ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

दिसम्बर : 2003

मूल्य : 7 रुपये

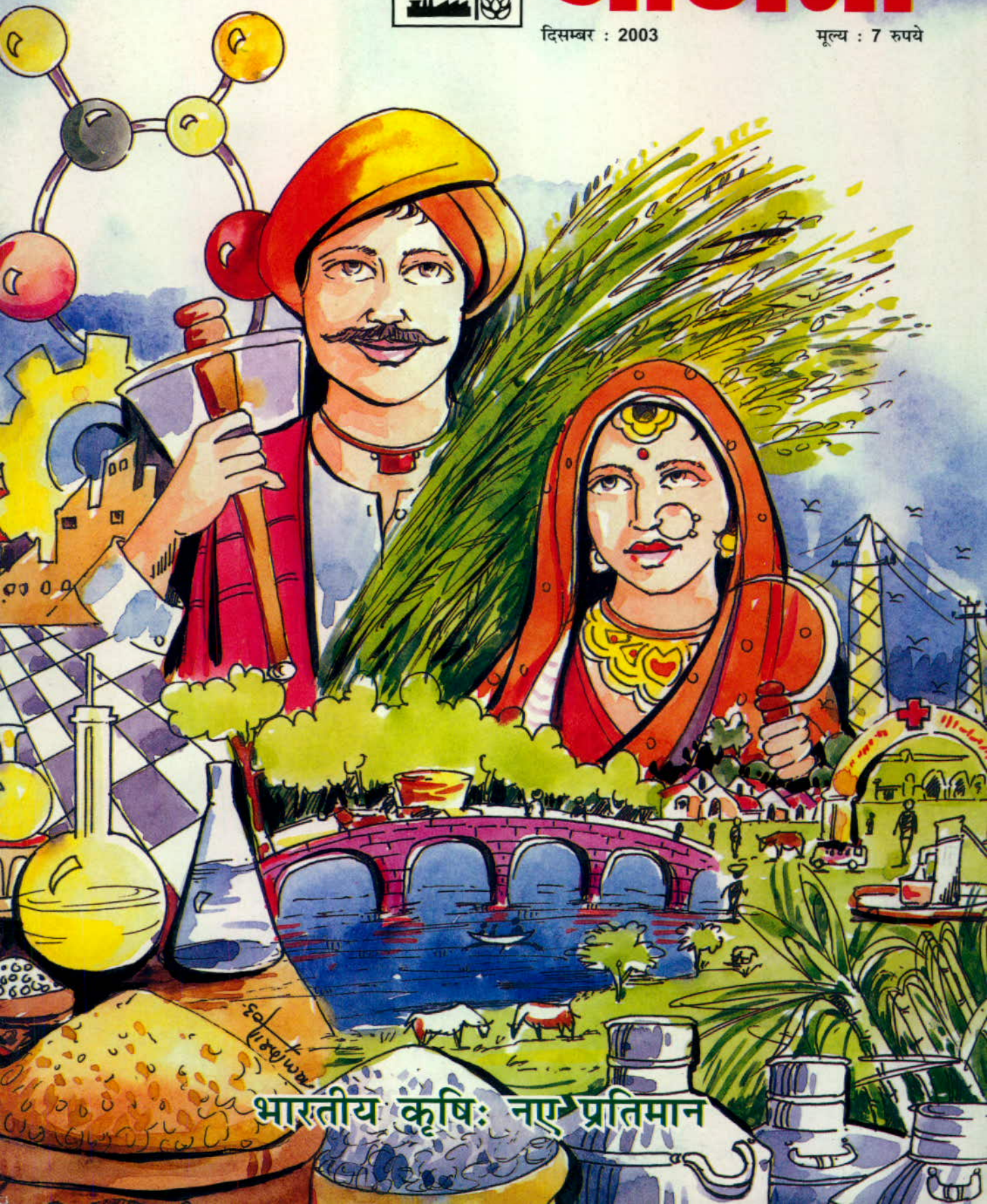

भारतीय कृषिः नए प्रतिमान

जय हिंद जय हिंदी

प्रकाशन विभाग में मनाए गए हिंदी पखवाड़े के सिलसिले में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सबसे दायें हैं पत्रकार श्री तरुण विजय उनके बाईं ओर हैं विभाग के निदेशक प्रो. उमाकांत मिश्रा, श्री अखिलेश झा और विश्वनाथ रामशेष, 'योजना' के प्रधान संपादक।

सुप्रसिद्ध पत्रकार और पांचजन्य के सम्पादक श्री तरुण विजय ने भारतीय समाज के मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान किया है। वे प्रकाशन विभाग में 15 से 29 सितम्बर, 2003 तक मनाए गए हिंदी पखवाड़े के सिलसिले में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। श्री तरुण विजय सिंधु नदी के तट पर लेह में हर साल होने वाले सिंधु दर्शन समारोह के आयोजक भी हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य में दृष्टिकोणों और आचरण को संवारने की शक्ति होती है, और इन्हीं से मनुष्य का 'कर्म' तय होता है। सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व की चर्चा करते हुए उन्होंने पदाधिकारियों से जीवन के हर क्षेत्र में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रकाशन विभाग के निदेशक, प्रोफेसर उमाकांत मिश्रा ने कहा कि विभाग पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह सरकार का एक प्रकाशन गृह है।

विभाग द्वारा हिंदी पखवाड़े के दौरान कई गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें डा. शेरजंग गर्ग, डा. भारतेंदु मिश्र और सुश्री प्रभाकिरण जैन ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को खूब हंसाया, लेकिन साथ ही इन कविताओं के माध्यम से गंभीर तथा सार्थक सामाजिक संदेश भी दिया गया।

मयंक अग्रवाल

योजना

वर्ष : 47 अंक 9 दिसम्बर, 2003 अग्रहायण–पौष, शक–संवत् 1925

प्रधान संपादक
विश्वनाथ रामशेष

संपादक
राजेन्द्र राय

उप संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666 / 2508, 2566
ई–मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 23387069
दूरभाष फैक्स : 23387983

आवरण
नवल किशोर

इस अंक में

• विस्तार सेवाएं – कृषि विकास की कुंजी	ओंकार केडिया	4
• पंचगव्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था	वीरेन्द्र कुमार विजय बरखा गर्ग	7
• उर्वरकों की भारतीय अर्थव्यवस्था में सहभागिता	दसमन्तदास पटेल	11
• भारतीय कृषि की ज्वलंत समस्या : भूमिक्षरण	ओ.पी. शर्मा	18
• पराजीनी फसलें और उनके खतरे	ईशान देव	22
• भारत में औषधीय फसलों की खेती एक विकल्प	सुशील कुमार गौतम	26
• अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियां और भारत का सूती वस्त्र उद्योग	रवि कुमार दाधीच	29
• विकलांगों के कल्याण हेतु सरकारी प्रयास एवं संचालित योजनाएं	उमेश चन्द्र अग्रवाल	34
• मानवाधिकार के प्रति जागरूकता	मधुरिमा	40
• मंथन – सच्चा सुख	देवेन्द्र उपाध्याय	44
• जहां चाह, वहां राह – एक योजना ने दिखाई नई राह	निरंकार सिंह	45
• स्वास्थ्य चर्चा	–	47
• नए प्रकाशन	–	49

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलगू** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। नई सदस्यता के नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर / डिमांड ड्राफ्ट / पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :–

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; **द्विवार्षिक** : 135 रु.; **त्रैवार्षिक** : 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश** : 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश** : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

संपादकीय

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र अहम भूमिका निभाता है क्योंकि भारत में कृषि से लगभग 65 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है और सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 24 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र की भूमिका के मद्देनजर ही तो इसके प्रोत्साहन के लिए लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता प्रदान करते हुए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गएं।

आज हमारा देश खाद्यान के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यातक भी बन गया है। वर्ष 2001–02 में हमारा उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर 21.2 करोड़ टन हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं। आज भी कृषि गरीबी उन्मूलन और आर्थिक प्रगति की कुंजी है। आने वाले समय में हमें उत्पादन बढ़ाना होगा इसके लिए उन्नत एवं आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग जरूरी होगा।

वर्तमान में कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं अथवा इसकी क्या समस्याएं हैं पर प्रकाश डालने के लिए यह अंक भारतीय कृषि पर विशेष सामग्री लेकर प्रस्तुत है।

हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता आज भी गांवों में रहती है और पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में गोपालन एवं पंचगव्य एकमात्र ऐसी शक्ति है, जो हमारे गांव को पुनः आत्मनिर्भर बना सकती है क्योंकि औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने गांवों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। औद्योगिकरण की वजह से आज ग्रामीण बेकार हो गए हैं और उनकी रोजी–रोटी छिन गई है। 'पंचगव्य' ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस तरह से नई जान फूंक रही हैं इसकी चर्चा अंक में की जा रही है।

फसलोत्पादन वृद्धि में उर्वरकों के अतिरिक्त कई अन्य कारक भी होते हैं लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगों के परिणाम बताते हैं कि पैदावार वृद्धि में 40–50 प्रतिशत का योगदान अकेले उर्वरक का होता है। उर्वरकों की भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी सहभागिता है इसकी जानकारी भी इस अंक में पाठकों को मिलेगी।

भूमिक्षरण को कृषि का क्षयरोग कहा गया है। भारत में भूमिक्षरण के लिए प्राकृतिक विपदाओं के साथ–साथ मानवकृत कारण भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। भूमिक्षरण की समस्या से कैसे निपटा जाए इस पर भी प्रकाश डाला गया है।

आज के इस वैज्ञानिक युग में क्या कुछ संभव नहीं है। इसी क्रम में जैव प्रौद्योगिकी और जीनियागिरी ने मिलकर वनस्पति एवं जीव क्षेत्र में भारी रद्दो–बदल करना शुरू कर दिया है। इस तकनीक से आप मनोवांछित फसल प्राप्त कर सकते हैं। आज फसलों की संरचना कलाकारों द्वारा बनाई जाने वाली कलाकृतियों जैसी हो गई है। अब तो जीनियागिरी यहां तक पहुंच रही है कि हैजे के टीके की जगह केले का गिल खाने से काम चल जायेगा। जीनियागिरी से संबंधित ऐसी अनेक रोचक जानकारी आपको अंक में शामिल लेख 'पराजीनी फसलें और उनके खतरे' में मिलेगी।

देश की कुल जनसंख्या का लगभग 5 फीसदी हिस्सा किसी न किसी विकलांगता का शिकार है। हमें विकलांगों में समाज की या सरकार की दया पर जिन्दा रहने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हम सबको उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि वे भी स्वाभिमान के साथ जी सकें। 3 दिसम्बर, विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकलांगों के कल्याण एवं विकास हेतु चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है ताकि विकलांगजन इससे लाभ उठा सकें।

दिसम्बर माह में एक और महत्वपूर्ण दिवस है – 'मानवाधिकार दिवस' जिसे पूरा विश्व 10 दिसम्बर को मनाता है। प्रत्येक मानव में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। भारतीय संविधान कई तरह के मानवाधिकार प्रदान करता है। अंक में उन प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है।

'मंथन' के तहत इस बार डा. राजेन्द्र प्रसाद के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद न सिर्फ हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे बल्कि एक महान देशभक्त भी थे। भारत माता की सेवा के लिए उन्होंने अपने घर–परिवार का त्याग कर दिया। उनके अनुसार देश सेवा में ही सच्चा सुख निहित है।

पाठकों के अनुरोध पर 'मंथन' स्तंभ में कभी–कभी कविताओं को भी स्थान दिया जाता है। इस अंक में पाठक कविता का रस भी ले सकेंगे।

हमारा जनवरी, 2004 विशेषांक 'बुनियादी संरचनाएं और सेवाएं : नई बुलंदियों पर' केंद्रित होगा। इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसके अनेक पहलुओं पर आपको विशिष्ट एवं प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराएगें। अपनी प्रति पहले ही एजेंट के पास बुक कराना न भूलें।

अंत में 'योजना' परिवार की तरफ से 'योजना' के सभी पाठकों को नए साल की अशेष शुभकामनाएं।

आपकी राय

(संदर्भित अंक–सितम्बर 2003)

ऐतिहासिक विषयों पर लेख देते रहें

सितंबर 2003 का अंक प्राप्त हुआ। हर बार की तरह इस बार भी काफी अच्छे–अच्छे ज्ञानवर्द्धक लेख और नया स्तंभ 'मंथन' पढ़ने को मिला।

राकेश कुमार सिन्हा का लेख 'बोलते जहां पत्थर' ने ज्ञान में इजाफा किया। इसे पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हर अंक में यदि एक ऐतिहासिक, एक वैज्ञानिक एवं एक साहित्यिक लेख रहता (अनिवार्यतः) तो ज्यादा अच्छा होता। इस बार उपर्युक्त तीनों चीज पढ़ने को मिला। 'कैस' के बारे में प्रकाश चंद्र शुक्ल के लेख में जितनी बारीकी से 'कैस' पर प्रकाश डाला गया है इससे 'योजना' के समस्त पाठकों की कैस की अवधारणा पूर्णतः स्पष्ट हो गई होगी।

इन्दु कुमारी सिन्हा का लेख "स्त्री सशक्तिकरणः अतीत से आज तक" पढ़ने को मिला लेख काफी अच्छा और यथार्थपरक लगा किन्तु लेखिका अतीत के वर्णन में थोड़ी–सी अतिरंजना कर गई हैं। कुल मिलाकर सिन्हा जी का लेख गागर में सागर भरने का एक सराहनीय प्रयास हैं।

संतोष कुमार गुप्ता, पिण्ड्रा,
बलरामपुर (छत्तीसगढ़)

संग्रहणीय अंक

अंक में सभी लेख अपने–आप में अद्वितीय हैं। रवीन्द्र तिवारी द्वारा हिन्दी दिवस पर विशेष लेख हिन्दी एवं वर्तमान परिवेश की नवीन चुनौतियां पढ़कर यह जानकारी हुई कि किस तरह विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष करते हुए हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। सम्पर्क भाषा के रुप में अधिकाधिक लोग हिन्दी का प्रयोग सतत् कर रहे हैं, जिसका प्रमाण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'मंडारिन' के बाद दूसरी भाषा के रुप में हिन्दी ने कर दिखाया लेकिन चुनौतियां अभी भी हमारे सामने बरकरार हैं। हमें तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक कि यह संयुक्त राष्ट्र संगठन की भाषा नहीं बन जाती है।

"केबल टी.बी. उद्योग को संगठित करने का प्रयास–कैस" लेख लोगों को जागृत करता दिखाई पड़ रहा है। यह उपभोक्ताओं के हित में होगा क्योंकि अब केबल आपरेटरों की मनमानी नहीं चलेगी, लोग अपना मनपसंद चैनल देख सकेंगे। अयोग्य खेतिहर भूमि में योग्य पौधा 'जोजोबा' का उत्पादन जहां पेट्रोलियम का भार कुछ कम करेगा तथा पर्यावरण को शुद्ध रखेगा वहीं किसानों को नकदी फसल के रुप में अच्छा विकल्प भी देगा। नये कॉलम "मंथन" की शुरुआत लोगों को लेखन की नई प्रेरणा देगा, इसके लिए संपादक महोदय को विशेष धन्यवाद।

राजेन्द्र कुमार मार्शल,
स्टेनली रोड, इलाहाबाद

'मंथन' चिर प्रतीक्षित था

सर्व प्रथम सम्पादक एवं उनके सहयोगियों को उत्कृष्ट लेखों के प्रकाशनार्थ मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। तत्पश्चात कुछ अन्य लेख जैसे प्रकाश चन्द्र शुक्ल, इन्दु कुमारी सिन्हा तथा सूर्य भान सिंह जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण मुद्दों व ज्वलंत समस्याओं जैसे – कैस, स्त्री सशक्तिकरण, कृषि व उद्योग में व्यापारिक बैंकों का योगदान आदि विषयों पर ज्ञानवर्द्धक रोचक जानकारी उपलब्ध कराई, प्रशंसनीय हैं।

'योजना' में शामिल इस बार एक पहला और नया कॉलम–'मंथन' बेहद रोचक, प्रेरणादायक और मनमोहक लगा। इस कालम के इस पहले अंक के लिए इसकी लेखिका–सुमन जैन भी विशेषतः धन्यवाद की पात्र हैं। यह कालम 'योजना' के लिए नया आयाम देने वाला साबित हो सकता है यदि इसमें अच्छी–अच्छी उत्कृष्ट व प्रेरणादायी, कथाएं, कविताए और लेख प्रकाशित होते रहें। इस तरह का कालम चिर प्रशिक्षित था जिसे शामिल करके संपादक महोदय ने महान कार्य किया है। यह कालम 'योजना' को नई ऊंचाई और आयाम देते हुए लोकप्रिय बनाने में समर्थ होगा।

सत्येन्द्र पूजन प्रताप त्रिपाठी
इला. वि. वि. (इलाहाबाद)

जरूरत है आत्ममंथन कर आगे बढ़ने की

'मंथन' कालम में उल्लेखित स्वर्ण मृग का आचरण बहुत ही मर्मस्पर्शी और विचारोत्तेजक रहा। आज इसी स्वर्ण (संपत्ति धन) के पीछे हमने अपनी आत्मा गिरवी रखी है और पशु (मृग) से भी बदतर आचरण मानव कर रहे हैं। आखिर आतंक, हिंसा, उत्पीड़न, छोटी–छोटी बातों पर तनाव व मार–पीट, लूट–खसोट, मिलावट और दायित्व विहीनता क्या है? आखिर हम अशुद्ध–चरित्र का निदर्शन क्यों कर रहे हैं? आनंद, सुख व आगे बढ़ने के लिए न! पर सत्य यह है कि हमें आनंद उत्तरोत्तर घटता नजर आ रहा है नित–नवीन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अतः आज जरूरत है – आत्ममंथन कर आगे बढ़ने की। पर सेवा, दया, मैत्री व कटुता की जरूरत है आज। जरूरत है– 'स्व' को 'सर्व' में समन्वित करने की। स्मरणीय रहे कि हम अपने को अपने स्तर पर दायित्व–निर्वहन से जोड़कर, परस्पर दिलों के तार झंकृत कर, गरीबों व अनाथों का सहारा बन और प्रेम को धर्म (कर्म) मानकर आचरण करें तो हमारा जीवन स्वर्णमय हो जाएगा। अतः आइए! आत्ममंथन करें और परस्पर सहयोग से 'विकास' की एक नई परिभाषा गढ़ें।

उमेश चन्द्र राय
इलाहबाद (उ.प्र.)

सर्वश्रेष्ठ पत्र

विचारों से जागरुक होना आवश्यक

मैं 'योजना' हिन्दी पत्रिका की फरवरी 2003 से नियमित पाठिका हूं। वैसे इस पत्रिका के हर अंक में ज्ञानवर्द्धक और समसमायिक विषयों पर लेख रहता है लेकिन मुझे सितंबर 2003 का अंक बहुत ही रोचक लगा। साथ ही सोचने को विवश कर दिया।

"हिन्दी एवं वर्तमान परिवेश की नवीन चुनौतियां" लेख सचमुच चुनौतिपूर्ण है। क्या हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी कोई त्यौहार है जो सप्ताह तक मनाया जाता है तत्पश्चात् उस पर कोई विचार नहीं किया जाता। यह भारतीय संस्कृति के लिए बहुत चिंताजनक है। हिंदी भाषा लुप्त होती जा रही है अगर इसे समय रहते नहीं बचाया गया तो यह इतिहास बनकर रह जाएगी। आज हर जगह अंग्रेजी का बोलबाला है। आज की युवा को हिन्दी के प्रति जागरूक होकर, इसे बचाए रखने के प्रयास करने होंगे।

"जहां चाह, वहां राह"– 'गरीबों और अनाथों का सहारा शहीद भगतसिंह सेवादल' लेख पढ़कर हमें यह सीख मिली कि अपने लिए सब जीते है, दूसरों के लिए जीना ही वास्तविक जीवन है। अगर शंटी के समान हर व्यक्ति त्याग की भावना और सेवा की भावना रखे तो हमारे देश से गरीबी अपने–आप कम हो जाएगी। 'मंथन' के अन्तर्गत 'कथा साहित्य की अमूल्य निधि' में जो कहानी दिया गया है वह भी प्रेरणादायक है। सचमुच त्याग की भावना से हर कोई उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम दृढ़निश्चयी होना आवश्यक है।

सुषमा सिंह, न्यू नेवी नगर, कोलाबा, मुबंई.

विस्तार सेवाएं – कृषि विकास की कुंजी

○ ओंकार केडिया

कृषि का तेजी से विकास, अभी भी गरीबी उन्मूलन और आर्थिक प्रगति की कुंजी है। आने वाले वर्षों में कृषि पैदावार में वृद्धि बेहतर उत्पादकता से ही संभव हो सकेगी और इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग जरूरी होगा। आधुनिक प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित करने में कृषि विस्तार सेवाओं की भूमिका अग्रणी होगी।

भारत में, कृषि से लगभग 65 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है और सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 24 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र ने खाद्य सामग्री और कच्चे माल की बढ़ती मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। बड़ी संतोषजनक बात है कि बीसवीं सदी के समाप्त होते–होते देश में खाद्यान्न का उत्पादन पांचवें दशक के आरंभिक दिनों की तुलना में चार गुना बढ़ गया था। वर्ष 2001–02 में यह उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर 21.2 करोड़ टन हो गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। कृषि का तेजी से विकास, अभी भी गरीबी उन्मूलन और आर्थिक प्रगति की कुंजी है। आने वाले वर्षों में कृषि पैदावार में वृद्धि बेहतर उत्पादकता से ही संभव हो सकेगी और इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग जरूरी होगा। आधुनिक प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित करने में कृषि विस्तार सेवाओं की भूमिका अग्रणी होगी।

कृषि विस्तार सेवाओं से किसानों को सूचना, प्रशिक्षण और उन्नत उत्पाद प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में मदद मिलती है और इस प्रकार विस्तार सेवाएं कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान करती हैं। स्वतंत्रता के बाद, बदलते परिवेश के अनुरूप विस्तार सेवाओं में भी बदलाव आता रहा है। 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम और 1952 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का जोर, मानव विकास पर ही था, लेकिन धीरे–धीरे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल दिया जाने लगा। विस्तार सेवा संबंधी बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सघन कृषि जिला कार्यक्रम (1961–64) सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (1965–65) उच्च पैदावार वाली किस्मों के कार्यक्रम, (1966–67) और लघु तथा सीमांत किसान विकास कार्यक्रम (1969–70) शुरू किए गए थे।

भारतीय कृषि हमेशा से गरीबी उन्मूलन और आर्थिक प्रगति की कुंजी रही है।

1970 के दशक के मध्य में प्रशिक्षण और भ्रमण विस्तार प्रबंध प्रणाली की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम था। ज्यादा पैदावार देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों के लिए फसल प्रबंध पद्धतियों के तेजी से प्रचार–प्रसार में विस्तार संबंधी यह कार्यक्रम काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। यह प्रणाली मुख्य तौर

पर पारस्परिक संपर्क पर काम करती है।

इस समय कृषि मंत्रालय का कृषि और सहकारिता विभाग अनेक योजनाओं के माध्यम से विस्तार गतिविधियां चला रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत कृषि विस्तार सेवाओं के एक विकेन्द्रित और मांग आधारित ढांचे का सात राज्यों के 28 जिलों में प्रायोगिक परीक्षण किया जा रहा है। इस परियोजना के प्रमुख लक्ष्य हैं – विस्तार अनुसंधान और विस्तार क्षमता को मजबूत बनाना, जन विस्तार सेवाओं का पुनर्गठन और जिला स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के सहयोग और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसियों के गठन द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए नए संस्थागत प्रबंधों का परीक्षण करना। किसान सूचना एवं परामर्श केन्द्र तथा किसान परामर्श समितियां ब्लाक स्तर पर काम करती हैं, जबकि जमीनी स्तर पर विस्तार गतिविधियां किसान समूहों के इर्द–गिर्द केन्द्रित रहती हैं। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना वाले राज्यों में राज्य कृषि प्रबंध, प्रशिक्षण और विस्तार प्रशिक्षण संस्थाओं का गठन किया जा चुका है। उपर्युक्त प्रशिक्षण संस्थाएं स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, जो राज्य स्तर पर शीर्षस्थ प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में काम करती हैं। ये प्रशिक्षण केन्द्र परियोजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एंजेसियां सभी 28 जिलों में काम कर रही हैं।

एग्री क्लीनिक/कृषि कारोबार योजनाओं के तहत कृषि स्नातकों को भुगतान आधार पर किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करने और अन्य कृषि कारोबार गतिविधियों के लिए परियोजनाएं चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार सेवा योजना के तहत कृषि उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों के लिए चुने हुए किसान संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार सेवा योजना के तहत चुने हुए गैर सरकारी संगठन एकीकृत विस्तार सेवाओं के प्रारूप के विकास के लिए प्रयास करते थे।

विशेषकर तेजी से हो रहे विश्वव्यापीकरण और उदारी के कारण किसानों के सामन उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करने में विस्तारकर्मियों को सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं। वरिष्ठ विस्तार प्रशिक्षण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 1985 में हैदराबाद में एक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान खोला गया था। मझोले और ज़मीनी स्तर के विस्तारकर्मियों और किसानों को प्रशिक्षण देने के कार्य में राज्य कृषि विश्वविद्यालय को लगाया गया है। मझोले स्तर के विस्तार कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर भी विस्तार शिक्षा संस्थाएं खोली गई हैं। शुष्क–भूमि कृषि, पौध संरक्षण और जल प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विस्तारकर्मियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता वाले प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एक राज्य के विस्तारकर्मियों और किसानों को दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है और उन्हें उस क्षेत्र विशेष के किसानों, विस्तारकर्मियों और वैज्ञानिकों से चर्चा करने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित किसानों को नई प्रौद्यौगिकियों से परिचित करवाने के लिए रबी और खरीफ सीजनों में किसान मेलों का आयोजन किया जाता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय इन मेंलों का आयोजन करते हैं। जिसके लिए उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षुओं और विस्तारकर्मियों के फायदे के लिए प्रशिक्षण नियमावली पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं और न्यूजलैटर लिए जाते हैं या प्रकाशित किए जाते हैं। प्रदर्शनियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है वीडियो फिल्में और ऑडियो कैसेट बनाए जाते हैं। महिला किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए बजटीय सहायता दी जाती है। महिला किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केन्द्रीय योजनाएं और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं भी चल रही हैं।

कृषि विस्तार के क्षेत्र में जिन सुधारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनमें जन विस्तार व्यवस्था पुनर्गठन, निजी कृषि सुविधाओं को बढ़ावा देने, विस्तार सुविधा संस्थाओं को विकेन्द्रीकृत और किसानों के प्रति उत्तरदायी संस्थाओं के रूप में पुनर्गठित करने, सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, विपणन और मूल्यवर्द्धन समस्याओं के लिए विस्तार ढांचे को व्यापक आधार वाला बनाने तथा मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि नीति वर्ष 2000 में घोषित की गई थी। इसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष चार प्रतिशत से अधिक विकास दर प्राप्त करना; संसाधनों का कुशल उपयोग; मृदा, जल और जैव–विविधता का संरक्षण; घरेलू बाजार की जरूरत पूरी करना और कृषि उत्पादों के निर्यात से प्राप्त होने वाले लाभ को अधिकतम करना था। कृषि विस्तार को महत्व दिए बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव है। भारी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों को कृषि विस्तार सेवाएं देनी होंगी। विस्तार प्रयासों का किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना आवश्यक होगा। अलग–अलग तरह के और विविधतापूर्ण जरूरतों को पूरा करने वाले प्रयासों को अपनाना होगा, क्योंकि किसानों को तरह–तरह के आदानों और पद्धतियों को अपनाना पड़ता है तथा इनके कुशल उपयोग के लिए कौशल

(शेष पृष्ठ 16 पर)

सामान्य अध्ययन

STALWARTS COMBINE TO
FORM THE BEST EVER TEAM

ALS

हिन्दी माध्यम में

Complete Solution for the revised Course in **GS**

IAS PRELIM-CUM-MAIN

GS Training Programme

हमारी GS Team

● इतिहास व संस्कृति- **Manoj K Singh**- *(Director-ALS, YD Misra's IAS, Interactions, MIPS Education, ISGS, Managing Director- Competition Wizard)* एंव अनुभवी विशेषज्ञ ● विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/सांख्यिकी **Jojo Mathews** *(Director-ALS, Interactions, Managing Editor- Competition Wizard)* ● निबंध एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दे - **Shashank Atom** *(Director-ALS, Interactions, Chief Editor- Competition Wizard)* ● भारतीय राजव्यवस्था- **Manoj K Singh** व मनोज सोमवंशी ● भारतीय अर्थव्यवस्था -प्रशान्त कु. झा (105th Rank holder in IAS 2002 Result) ● भूगोल: महेश कुमार बर्णवाल व अन्य ● समसामयिकी-**Jojo Mathews**, व अन्य ● मानसिक योग्यता व सा. विज्ञान- ए. के. सिंह *(Director- IMS)*, विजय कुमार व अन्य विशेषज्ञ

हमारी योजना ● 400 घंटे क्लासरूम प्रशिक्षण ● पूरे दो दिनों का परिवर्तनकारी वर्कशॉप ● संबंधित क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक ● पूर्ण परिमार्जित अध्ययन सामग्री ● निरन्तर परीक्षण (Test) व्यवस्था ● फ्लेक्सी मॉड्यूल विकल्प ● निबंध लेखन अभ्यास पत्राचार कार्यक्रम शुल्क केवल **1800** रू (कुल **150** सीट पत्राचार कार्यक्रम हेतु)।

WORKSHOP *Hindi Medium*
with **Shashank Atom**
December 19 - 20, 2003 (9:00am - 6 pm)

Other Subjects
HISTORY, SOCIOLOGY, भूगोल
PUBLIC ADMN. & PHILOSOPHY
(Hindi & English Medium)

Special Concession for SC/ST Candidates and other weaker sections

ISGS Indian School of General Studies — in association with — MIPS EDUCATION A Division of ALS — and — interactions A Division of ALS

Corporate Office: B-19, ALS House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-110009.
Ph: 27651700, 27651110, 27652738. Cell: 9810345023. FAX: 27653714

पंचगव्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

○ वीरेन्द्र कुमार विजय
○ बरखा गर्ग

वर्तमान अर्थव्यवस्था में गोपालन एवं पंचगव्य ही एकमात्र ऐसी शक्ति है, जो हमारे गांव को पुनः आत्मनिर्भर बना सकती है। पंचगव्य एवं गोपालन ग्रामीण कृषि, ऊर्जा स्रोत, चिकित्सा, घरेलू उपयोगी वस्तुएं, रोजगार आदि का मूल आधार बने तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का नजारा ही बदल सकता है।

हमारे देश की 70 प्रतिशत से ज्यादा जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। प्रचीन काल से ही हमारे गांव आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक तौर से आत्मनिर्भर थे। परंतु आजकल नजारा बदल गया है। बड़े–बड़े शहरों में बड़े–बड़े कारखाने खड़े कर दिए गए हैं। गांवों को कच्चा माल देने वाला एक माध्यम बना लिया है। गांव के अंदर जो अनेक कारीगर थे बढ़ई, लुहार , राजमिस्त्री, उन सब लोगों की रोजी–रोटी छिन गई। गांव के लोग बेकार हो गए हैं और शहर की तरफ दौड़ने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। शहर में भी कोई काम न मिलने के कारण वे अनेक गैरकानूनी कामों में लिप्त हो गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो सदियों से कायम थी, छिन्न–भिन्न हो गई है।

पंचगव्य

प्राचीन काल से ही गाय को पूरे भारत वर्ष में माता की तरह पूजा जाता है। यह किसी करुणा वश या प्रेम भाव में बहकर नहीं किया जाता। अपितु हमारे पूर्वजों ने गाय के महत्व को समझा एवं सब कुछ जानने के बाद ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गाय में पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सम्भालने की क्षमता है। आयुर्वेद में प्राचीन काल से गाय दूध, घी, दही, गोमूत्र, गोमय (गोबर) आदि का स्थान–स्थान पर महत्व बतलाया गया है। इन द्रव्यों को आयुर्वेद में 'गव्य' कहा गया है। पांचों को मिलाकर पंचगव्य कहते हैं। हमारा भारत वर्ष अभी कितनी ही अनगिनत समस्याओं से जूझ रहा है। इस वर्तमान अर्थव्यवस्था में गोपालन एवं पंचगव्य ही एकमात्र ऐसी शक्ति है, जो हमारे गांव को पुनः आत्मनिर्भर बना सकती है। पंचगव्य एवं गोपालन ग्रामीण कृषि, ऊर्जा स्रोत, चिकित्सा, घरेलू उपयोगी वस्तुएं, रोजगार आदि का मूल आधार बने तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का नजारा ही बदल सकता है।

पंचगव्य एवं कृषि

गाय के गोबर से सर्वोत्तम खाद तथा गोमूत्र से कीट नियंत्रक औषधियां निर्मित होती हैं – यह एक अभिप्रमाणित तथ्य है। गौ आधारित कीटनाशक तथा जैविक खाद कम खर्च में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ही तैयार किए जा सकते हैं। यह भी प्रमाणित हो चुका है कि जैविक खाद एवं कीटनाशक जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं एवं यह पर्यावरण मित्रवत भी हैं। इनसे उत्पादित पदार्थों की गुणवत्ता, पौष्टिकता एवं प्रति यूनिट उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि होती है। जैविक खादों में कम लागत व गुणोत्तर उत्पादन से सकल आय में बढ़ोत्तरी होती है। जैविक खेती गांवों के बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है। कई पश्चिमी देश भी रासायनिक विधि को छोड़कर जैविके खेती की ओर जा रहे हैं।

भारत में कृषि क्षेत्र छोटे–छोटे वर्गों में बंटा हुआ है, जहां हरेक के लिए ट्रैक्टर रख पाना सम्भव नहीं है। कई शोधों द्वारा यह पता चला है कि ट्रैक्टर के प्रयोग से हमारी धरती की उर्वरा शक्ति कम हो रही है तथा यह प्रदूषण का भी कारण है। बैलचालित आधुनिक ट्रैक्टर द्वारा इन सब समस्याओं का हल किया जा सकता है यह भी प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैल चालित ट्रैक्टर ही आर्थिक तौर पर सही है।

पंचगव्य ग्रामीण ऊर्जा का स्रोत

भारत वर्ष में कृषि, व्यावसायिक व घरेलू उपयोग में प्रयोग की जा रही ऊर्जा का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। इसके लिए हमें विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। कुल गोवंशीय पशुओं से हमारे देश में लगभग 11,500 लाख टन गोबर प्रतिवर्ष मिलता है। यदि इस गोबर से बायोगैस प्लांट संचालित किया जाए तो हमारी अधिकांश ऊर्जा समस्या समाप्त हो जाएगी और हमें किसी पर आश्रित भी नहीं रहना पड़ेगा।

गोबर गैस संयंत्र अनुपयोगी गोवंश के गोबर से भी चलाया जा सकता है। इससे

लोक प्रशासन

By (हिन्दी माध्यम)

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

लोक प्रशासन का चयन
उचित निर्णय और व्यावसायिक दृष्टिकोण
तो आइये करें !
लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरूआत,
'अतुल लोहिया' के साथ।

NEW BATCH STARTS
From 1st Dec. & 26th Dec., 2003
ADMISSION OPEN

अतुल लोहिया ही क्यों?

क्योंकि केवल हम कराते हैं लोक प्रशासन का सम्पूर्ण एवं समग्र अध्ययन।

UPSC के साथ *UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS* की भी तैयारी

- **अध्यापन की शैली** - विशिष्ट व वैज्ञानिक (दो घंटे से लेकर 200 घंटे तक एक कड़ी के रूप में पढ़ाने का दावा)
- **नोट्स** - वैज्ञानिक तरीके से तैयार पूर्णतः संशोधित व परिमार्जित, Pre. और Mains के लिए अलग-अलग। संदर्भ : 80 से 85 स्रोत।
- केवल हमारे नोट्स से UPSC (Pre.) 2001, 2002 एवं 2003 में लगभग 90 प्रतिशत प्रश्न आए।
- **Revision Notes** - चार्ट के रूप में उपलब्ध कराने वाले एकमात्र शिक्षक।
- हम देते हैं प्रत्येक क्लास का 40 प्रतिशत समय प्रश्न अभ्यास में और शेष समय **विषय की बेहतर समझ** एवं **छात्रों की परिपक्व सोच** के विकास में।
- इसके अतिरिक्त आप प्राप्त कर सकते हैं – प्रतियोगी वातावरण, कुशल परिचर्चा समूह, और भी...

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)
MAINS - 2,000/-
MAINS + PRE. - 3,000/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

केवल लोक प्रशासन हिन्दी माध्यम के अध्ययन एवं अध्यापन हेतु पूर्णतः समर्पित संस्थान

Alok Lall (Director) - 9818330979
AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
FLAT No. 105, 1st FLOOR, VIRAT BHAWAN COMMERCIAL COMPLEX,
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 • Ph.: 27655134. CELL.: 9810651005
At Allahabad : "INSEARCH", Opp. D.J. Hostel, Near Anand Bhawan. Ph.: 0532-2467708

प्राप्त गैस का प्रयोग ईंधन व रोशनी के लिए किया जा सकता है, जिससे वनों की कटाई के दबाव को कम किया जा सकता है और पेट्रोलियम की खपत भी कम की जा सकती है। ग्रामीणों को बिना धुएं का स्वच्छ ईंधन भी मिल जाएगा। गोबर गैस संयंत्र से जेनरेटर चलाकर बिजली भी पैदा की जा सकती है। कृषि के सभी कार्यों के साथ–साथ भारवाहन यातायात का मुख्य स्रोत गांवों में बैल ही है। बैल चालित ट्रैक्टर, बैल चालित जेनरेटर तथा बैलगाड़ी के प्रयोग से गांव की वर्तमान स्थिति को बदला जा सकता है, जो कि पेट्रोलियम पर आधारित है। इनके प्रयोग से रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।

बायोगैस बॉटलिंग पर भी आजकल शोध चल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर भी काफी सफलता हासिल कर ली है। इसके पूरा हो जाने पर बायोगैस को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए पाईपों की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पंचगव्य चिकित्सा

दवाओं, डॉक्टरों और अस्पतालों पर आजकल करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं फिर भी रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। गांवों के गरीब महंगी आधुनिक चिकित्सा कराने में असमर्थ हैं हमारा आर्ष साहित्य गो महिमा से भरा हुआ है। अब विज्ञान भी गोबर व गोमूत्र के गुणों को समझने लगा है। आयुर्वेद शास्त्र में गोदुग्ध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र की स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में असीम महिमा वर्णित की गई है। अधिकतर सभी रोगों का इलाज 'पंचगव्य' चिकित्सा में मौजूद है। इससे सम्बन्धित कई प्रमाण वैज्ञानिकों ने पेश किए हैं। गोमूत्र में ताम्र, लौह, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज जैसे – कार्बोलिक एसिड, पोटाश और लैक्टोज नामक तत्व मिलते हैं। गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरीन, मालीन्डनम आदि तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों के कारण गोमूत्र–गोबर से विविध प्रकार की औषधियां बनती हैं और यह सभी प्रकार के रोगों पर काम करती है।

पंचगव्य एवं मनुष्य का पोषण

गाय का दूध किसी भी अन्य दूध के मुकाबले ज्यादा श्रेष्ठ है इसीलिए आज भी डाक्टर नन्हें–मुन्हें बच्चों को ऊपर का दूध पिलाने के लिए गाय के दूध की ही सलाह देते हैं। गाय के दूध में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के अलावा अन्य एन्जायम पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को सुपाच्य बनाते हैं। धरती पर दूध ही एक ऐसा तत्व है जिसे पूर्ण आहार माना गया है। इसमें हमारे शरीर के विकास व वृद्धि के लिए आवश्यक सभी तत्व उपलब्ध हैं। दूध एवं दूध के अन्य उत्पाद से गांव में रोजगार के काफी अवसर खुल जाएंगे।

पंचगव्य घरेलू उपयोगी वस्तुएं

गोमूत्र व गोमय की विशिष्टताओं के कारण न केवल उनका प्रयोग रोगों के शमन के लिए किया जा सकता है बल्कि अनेक ऐसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं जो कुटीर उद्योग व ग्रामोद्योग का आधार बन सकते हैं। इससे त्वचा रक्षक साबुन, दंतमंजन, डिस्टेम्पर, धूपबत्ती, फिनायल, शैम्पू, उबटन, तेल, मच्छर विनाशक, मरहम आदि बनते हैं। इन सभी वस्तुओं का उत्पादन गौशालाएं आयुर्वेद के आधार पर कर रही हैं, जिनका सन्तुष्टी विश्लेषण भी किया गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से सभी उपभोक्ता 80–90 प्रतिशत संतुष्ट हैं तथा सभी ने इन वस्तुओं के अनेक फायदे भी बताए हैं।

पंचगव्य एवं रोजगार

उपर्युक्त सभी बातों से यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर गोवंश को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की कई समस्याओं के साथ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या भी दूर हो जाएगी तथा फिर से गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे तथा जो अर्थव्यवस्था जो छिन्न–भिन्न हो गई थी फिर से कायम हो जाएगी।

वैज्ञानिक विश्लेषण

आज गोवंश एवं पंचगव्य के महत्व को सारे विश्व ने माना है। इसके कुछ प्रमाण, संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

1. अभी हाल ही में अमेरिका ने गोमूत्र का पेटेंट नं. 6410059 दिया है। पेटेंट का शीर्षक है, **'फार्मास्युटिकल कम्पोजीशन कन्टेनिंग काऊ – यूरीन डिस्टीलेट एण्ड एन एन्टीबायोटिक'** एन्टीबायोटिक्स औषधियों तथा कैंसर–रोधी दवाओं की खुराक की मात्रा में पर्याप्त कमी करना उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है जो जीवाणुओं को अधिक सशक्त करता है। आज इसके लिए सोलह वैज्ञानिक सहायक शोधकर्त्ता के रूप में सतत् संलग्न हैं।
2. गाय के दूध में रेडियो विकिरण (एटॉमिक रेडिएशन) से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है।

   – शिरोविच, रूसी वैज्ञानिक
3. गोमूत्र एक सशक्त कीटनाशक है – यह एक अभिप्रमाणित तथ्य है। कई किसानों ने भी इसे अपने खेतों में प्रयोग करके प्रमाण दिया है।
4. गोबर तथा इससे बने जैविक खाद धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। गो–आधारित कृषि, रासायनिक कृषि से बेहतर है तथा अक्षय विकास का एकमात्र उपाय है। (किसानों द्वारा प्रमाण दिए गए हैं)
5. पंचगव्य चिकित्सा किडनी की बीमारियों, कैंसर, चमड़ी की बीमारियों आदि में लाभदायक। *(क्लिनिकल ट्रायल, आदर्श गोसेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प, अकोला एवं गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, नागपुर)*
6. माइटोसीन–सी जो एक सशक्त एण्टी–ट्यूमर एजेंट है, डी.एन.ए. को छोटा कर देता है। इस पर गोमूत्र अर्क का लाभदायक असर देखा गया

है। *(गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, नागपुर)*

7. गोघृत (घी) शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, घावों को जल्दी भरने में सहायक है, तथा यादाशाश्त (Memory) बढ़ाने में मदद करता है।
8. गोमूत्र में एण्डी माइक्रोबियल प्रोपर्टी भी है (रोगाणु से लड़ने की क्षमता)।

ऐसे और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, जिसके आधार पर हम पंचगव्य के महत्व को साबित कर सकते हैं, जिन्हें यहां लिख पाना सम्भव नहीं है।

सुझाव

1. पंचगव्य एवं गो आधारित वस्तुओं को गांवों तक ले जाने में गोशालाएं, पंचायतें, एन.जी.ओ., प्रचारक आदि सहायता दें। वे सभी अपने–अपने गांवों के गोवंश को बचाने में, देखभाल करने में तथा रोजगार स्थापित करने में मदद करें।
2. भारतीय देसी नस्ल की गाएं ज्यादा बेहतर हैं क्योंकि वह हमारे मौसम एवं पर्यावरण के हिसाब से ज्यादा बेहतर हैं तथा भारतीय देसी नस्ल को बचाने में तथा गोवंश बढ़ाने में सभी संलग्न व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि मदद करें।
3. महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन में काफी संलग्न हैं तथा उनकी दशा गांवों में सही नहीं है। महिलाओं को भी रोजगार (गो आधारित) स्थापित करने में शामिल करना चाहिए।
4. पशु चारा का इन्तजाम ग्राम स्तर पर सही तरह से संचालित किया जाए, ताकि गोपालक को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
5. सरकार को पंचगव्य आधारित वस्तुओं पर से टैक्स मुक्त कर देना चाहिए ताकि ग्रामीणों को रोजगार स्थापित करने में प्रोत्साहन मिले।
6. पेट्रोलियम और पंचगव्य में कोई लड़ाई नहीं है, परंतु उसका प्रयोग वहीं करना चाहिए जहां वह आर्थिक तौर पर लाभदायक है और जहां ज्यादा प्रदूषण नहीं है।

निष्कर्ष

आधुनिकता एवं पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर आज हमने पंचगव्य की महिमा को बिलकुल नकार दिया है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं। अगर हमें ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार तथा आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है, तो आवश्यकता है पंचगव्य एवं गोवंश के महत्व को समझा जाए। पंचगव्य एवं गोवंश के महत्व को समझकर, उसके ग्रामीण क्षेत्रों में पुनः स्थापना के प्रयास करने होंगे, एक नए ढंग से, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। ❑

(लेखकद्वय ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, आई.आई.टी., दिल्ली में क्रमशः सहायक प्रोफेसर एवं शोध छात्रा हैं।)

IAS/PCS-2004
PRE CUM MAINS
FOUNDATION COURSES

TIMES TUTORIALS
(A STUDY CIRCLE FOR ADMINISTRATIVE SERVICES)

ADMISSION OPEN FOR SUBJECTS

HISTORY
By Tanweer Hashmi

SOCIOLOGY
By Manish Kumar

PUB. AD.
By Nimisha Gaur

POL. SCIENCE
By Rajesh Yadav

G.S.
A Panel of Eminent Faculty

Features:
- Emphasis on writing practice
- Dependable Notes book
- Practice on Essay Writing

A-23-24, 304, 3rd Floor, Satija House,
Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9.
Ph.: 9811089359, 9811600319, 33022433

HOSTEL FACILITY ARRANGED
SEPARATELY FOR BOYS & GIRLS

उर्वरकों की भारतीय अर्थव्यवस्था में सहभागिता

○ दसमन्तदास पटेल

उन्नीसवी सदी के मध्य से पूर्व जब देश के कृषि योग्य भूमि में पोषक तत्वों की इतनी कमी हो गई कि खाद्यान उत्पादन में निरंतर ह्रास होने लगा, ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय कृषि में जीवन की एक नई किरण के साथ 'उर्वरक' का उदय हुआ तथा इसके द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि ने न केवल भारतीय जनता की अन्न संकट से रक्षा की, अपितु भारत वर्ष को खाद्यान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में जो योगदान किया इसके लिए भारतीय कृषि के इतिहास में 'उर्वरक' को वरदान के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।

उन्नीसवी सदी के मध्य से पूर्व जब भारत वर्ष के कृषि योग्य भूमि में पोषक तत्वों की इतनी कमी हो गई कि खाद्यान उत्पादन में निरंतर ह्रास होने लगा तथा इसके परणिामस्वरूप भारतीय कृषकों को न केवल भरपेट भोजन प्राप्त करना कठिन हो गया वरन् देश की तमाम जनता भुखमरी की दौर से गुजरने लगी तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय कृषि में जीवन की एक नई किरण के साथ 'उर्वरक' का उदय हुआ तथा इसके द्वारा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि ने केवल भारतीय जनता की अन्न संकट से रक्षा की, अपितु भारत वर्ष को खाद्यान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में जो योगदान किया उसके लिए भारतीय कृषि के इतिहास में 'उर्वरक' को वरदान के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।

फसलोत्पादन वृद्धि में उर्वरकों के अतिरिक्त कई कारक सम्मिलित होते हैं, अतः किसी एक कारक का योगदान ज्ञात करना कठिन है, फिर भी वैज्ञानिक प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर फसल पैदावार वृद्धि में उर्वरक का योगदान 40–50 प्रतिशत के बीच आंका जाता है।

हरित क्रान्ति एवं बीज

हरित क्रान्ति के दौरान उन्नतिशील प्रजातियों का उत्पादन वृद्धि में योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था, परन्तु वर्तमान में किए गए परीक्षणों के परिणाम इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते। मोटे अनाज, बारानी एवं परम्परागत खेती भारतीय कृषि के आधार रहें तथा बारानी फसलें हरित क्रान्ति से लगभग अछूती रही हैं। मोटे अनाजों जैसे – ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, सावा, कोदो इत्यादि की उपज में भी क्षेत्रफल के लगातार कम होने के बावजूद काफी वृद्धि हुई है। जिसका श्रेय केवल उर्वरक प्रयोग को जाता है। दलहनी फसलें जिसमें पहले उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता था, अब उर्वरकों के प्रयोग से उपज में आशातीत वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में ऐसी कोई भी खाद्यान्न फसल नहीं है, जो अन्य वृद्धि कारकों की उपस्थिति के बावजूद उर्वरक की अनुपस्थिति में अच्छी उपज दे सकती हो। यहां यह कहना समीचीन होगा कि पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी क्षेत्रों का अग्रणी होने का मूल कारण भरपूर मात्रा में उर्वरक प्रयोग है।

जीवांश खाद का प्रयोग तथा मुख्य फसलों की उत्पादकता

बीसवीं सदी के मध्य से पूर्व देश में फसलों की उपज वृद्धि हेतु केवल खादों का प्रयोग होता था। इसके लिए गोबर तथा कम्पोस्ट खादों के प्रयोग के अतिरिक्त हरी खाद जैसे – सनई एवं ढैचा का भी प्रयोग किसान करते थे, इसके अलावा चूंकि उस समय आबादी कम तथा प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि अधिक थी अतः किसान खेतों को कुछ माह के लिए खाली छोड़ देते थे ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए तथा रबी की फसलों जैसे गेहूं, गन्ना आदि की अच्छी उपज की जा सके। इस उपायों के बावजूद खाद्यान्न फसल धान की उपज उन्नीसवीं

सदी के अंत तथा बीसवीं सदी के प्रारम्भ (1895–1900) में 422 कि.ग्रा. /एकड़ थी, जो आगामी वर्षों (1920–1925) में यह उपज धटकर 351 कि.ग्रा. एकड़ हो गई। गेहूं की उपज की भी यही दशा थी। उक्त अवधि के दौरान गेहूं की उपज 300 कि. ग्रा. एकड़ लगभग स्थिर रही। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि उक्त अवधि के दौरान जनसंख्य वृद्धि ज्यामितीय नियमानुसार होती रही, जबकि प्रमुख भोज्य फसलें (धान एवं गेहूं) की उपज प्रतिवर्ष धटती गई अथवा स्थिर रही, जो भुखमरी का कारण बनी। यह सत्य है कि उपज वृद्धि के अन्य कारक जैसे सिंचाई के साधन, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं तथा खेती के उन्नत औजार बीसवीं सदी के पूर्व में नहीं थे, आज भी देश के तमाम भागों में परम्परागत ढंग से खेती की जा रही है, किंतु उर्वरक प्रयोग से उपज में कई गुना वृद्धि हुई है।

नई प्रजातियां एवं उर्वरकों का प्रयोग

सन् उन्नीस सौ साठ के पहले भारतीय कृषक अन्न के संकट से जूझ रहे थे इस संकट से मुक्ति हेतु खाद्यानों की ज्यादा पैदावार की आवश्यकता थी। इसी दशक के दौरान डा.एन.ई. बेरलाग गेहूं की बौनी प्रजातियों को भारत लाएं जो भारतीय कृषि में मील का पत्थर माना जाता है। कृषि क्षेत्र में उन्नीस सौ साठ के बाद का समय खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि के दृष्टि से स्वर्णिम युग रहा, जिसे बाद में हरित–क्रांन्ति के नाम से जाना गया। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने अधिकाधिक उपज देने वाली प्रजातियों का विकास किया, जिससे उपज में आशानुकूल वृद्धि हुई तथा यह क्रम आज भी जारी है। इस उन्नतिशील प्रजातियों की उपज उर्वरक तथा पानी के प्रयोग पर निर्भर थी। पानी की थोड़ी–बहुत कमी से तो उपज कम प्रभावित होती थी, परन्तु उर्वरक के बिना इस उन्नतिशील प्रजातियों से बहुत कम उपज प्राप्त होती थी। चूंकि नई प्रजातियां उर्वरक प्रयोग से उत्तरोत्तर अधिक उपज देने लगीं, अतः इसका प्रचलन किसानों में दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। चूंकि उर्वरक का प्रयोग सभी फसलों, भूमियों एवं हर प्रकार की जलवायु में कारगर सिद्ध हुआ, इस कारण देश के किसानों में इसका प्रचलन बढ़ता गया। कालान्तर में आबादी बढ़ने से जब प्रतिव्यक्ति जोत की भूमि कम हो गई तो किसानों ने बंजर, ऊसर, चारागाह, बगीचें एवं क्षारीय तथा अम्लीय भूमियों में भी खेती करनी प्रारम्भ कर दिया तथा उर्वरक एवं पानी के प्रभाव से धान, गेहूं के साथ–साथ अन्य फसलों की अच्छी उपज प्राप्त की। कृषि कार्य हेतु उन्नत यंत्रों जैसे – ट्रैक्टर, थ्रेसर, कल्टीवेटर आदि के विकास एवं उपयोग के परिणामस्वरूप जो कुछ गोबर तथा कम्पोस्ट की खाद खेत में डाली जानी थी, वह भी देश के अधिकांश क्षेत्रों में बंद हो गई। गोबर एवं कम्पोस्ट की अनुपलब्धता के बाद किसानों की निर्भरता अब केवल उर्वरक पर ही टिकी है। यहां यह कहना उचित होगा कि वर्तमान समय में भारतीय कृषि उर्वरक पर निर्भर है, अगर कृषि से उर्वरक हटा दिया जाए तो चाहे उपज वृद्धि के अन्य कारक मौजूद ही क्यों न हो, देश को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ सकता है।

उर्वरक प्रयोग एवं उत्पादन वृद्धि

उपज वृद्धि में किसी एक कारक का योगदान ज्ञात करना कठिन है, फिर जैसा कि पूर्व में वर्तमान के अधिकांश कृषि वैज्ञानिकों का आकलन है कि उर्वरक का उपज वृद्धि में योगदान लगभग 50 प्रतिशत होता है। अनुसंधान के आधार पर 1995–96 के अंतर्गत सर्वाधिक उपज वृद्धि (276 कि.ग्रा हे.) दर्ज की गई है जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से उल्लेखनीय है। यहां अगर उपर्युक्त वृद्धि का पचास प्रतिशत यानी 138 कि.ग्रा. हे. योगदान

I.A.S. 2004

दर्शनशास्त्र

सर्वाधिक लोकप्रिय एवं अंकदायी विषय

द्वारा

धर्मेन्द्र कुमार

पिछले सात बैचों की लगातार शानदार सफलता के पश्चात् अब और नए परिष्कृत एवं परिमार्जित अध्ययन सामग्री के साथ

पत्राचार कार्यक्रम : दर्शनशास्त्र (मुख्य परीक्षा)

- *संस्थान दर्शनशास्त्र हेतु परिष्कृत एवं गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। जो अभ्यर्थी व्यस्तता, असमर्थता या किसी अन्य कठिनाई के कारण दिल्ली आकर कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते, वैसे अभ्यर्थी पत्राचार के माध्यम से इस सम्पूर्ण सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं।*
- *इसमें वैसे सभी अध्यायों की भी समुचित एवं क्रमवार विवेचना की गई है जिस पर प्रमाणिक सामग्री सहजता से उपलब्ध नहीं है, जैसे-ईश्वर की धारणाएँ, ईश्वर विहीन धर्म, वैज्ञानिक मनोवृति एवं प्रगति, पर्यावरण-दर्शन आदि।*
- *पत्राचार सामग्री को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि का दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट, "Dharmendra Kumar" के नाम भेजें।*

पत्राचार कार्यक्रम का शुल्क : 2600/-

इस वर्ष के सफल प्रत्याशी

कमल किशोर यादव	I.A.S.
राजेश प्रधान	I.P.S.
रमाकांत गुप्ता	I.P.S.
मनु टेन्टीवाल	I.R.S.
जगदीश मीणा	I.R.S.
नीरज कुमार गुप्ता	181st Rank
राजीव शुक्ला	185th Rank
अविनाश कुमार	233rd Rank

PATANJALI

2580, हडसन लाईन, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-110009
फोन : 27402108, मोबाईल : 9811583851

सलाह, सहयोग, समर्थन-दर्शन प्रसार एवं अनुसंधान केन्द्र

उर्वरक का मानें तो उर्वरक का यह प्रभाव अपने–आप में एक मिसाल है। गेहूं के बाद उपज में सर्वाधिक वृद्धि कुल धान (218 कि.ग्रा. हे.) तथा कुल खाद्यान्न (187 कि.ग्रा.हे.) के अंतर्गत रही। धान की फसल में यह बढ़ोत्तरी 178 कि.ग्रा. हे. रही सबसे कम उपज में वृद्धि दालों (25 कि.ग्रा.हे.) में हुई है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि मोटे अनाजों जैसे – ज्वार एवं बाजरा के क्षेत्रफल में निरंतर ह्रास के बावजूद इनकी उपज में निरंतर वृद्धि इस बात को दर्शाती है, कि इन बारानी फसलों में भी किसान भरपूर उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। इर बारानी फसलों में न ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और न ही इनकी उन्नतिशील जातियां ही किसानों में लोकप्रिय हो पाई है। अतः ज्वार, बाजरा तथा अन्य ऐसे मोटक अनाजों की उपज उन्नतिशील जातियां ही किसानों में लोकप्रिय हो पायी हैं। अतः ज्वार, बाजरा तथा अन्य ऐसे मोटे अनाजों की उपज में वृद्धि क्रमशः 136 एवं 100 कि.ग्रा.हे. रही है। कुल तिलहन की उपज जो कि 1950–51 में मात्र 481 कि.ग्रा./ हेक्टेयर हो गई, अन्य फसलों जैसे गन्ना तथा कपास की उपज में भी 33422 से 68369 कि.ग्रा./हे. तथा 88 से 246 कि.ग्रा. हेक्टेयर बढोत्तरी हुई।

टिकाऊ उत्पादन

यह सिद्ध हो चुका है कि मौजूदा कृषि में सबसे प्रभावशाली उत्पादक कारक उर्वरक है और इसी कारण उर्वरक का प्रयोग लगातार हर क्षेत्र में तथा हर फसल में दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है। उन्नीस सौ साठ के बाद फसलों की उन्नतिशील जातियों के प्रादुर्भाव के साथ ही उर्वरक की मांग साल–दर साल बढ़ती गई। मांग को देखते हुए उर्वरक उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई। वर्ष 1951–52 में जो उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हुई। 38.7 हजार टन था। वर्ष 1995–96 में बढ़कर 11164 हजार टन हो गया।

उर्वरक खपत जो वर्ष 1951–52 से लगभग 35 हजार टन अधिक था, बढ़कर वर्ष 1995–96 में 3144 हजार टन हो गया। जिस गति से उर्वरक खपत में निरन्तर वृद्धि हो रही है, उससे यह स्पष्ट है कि अगर भविष्य में उर्वरक प्रयोग में कमी की गई, तो उसी समय भारत की सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था चौपट हो सकती है। उर्वरक खपत में वृद्धि का मूल कारण सीमित क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन तथा कृषि आय में वृद्धि करना है। उर्वरक प्रयोग की बढ़त के साथ–साथ सकल फसलाच्छादित क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। वर्ष 1951–52 में जो उर्वरक खपत 0.55 कि.ग्रा. हेक्टेयर थी। यह वर्ष 1955–56 में बढ़कर 76.7 कि.ग्रा. हेक्टेयर हो गई। वर्ष 1993–94 में फॉस्फोरस तथा पोटास युक्त उर्वरकों के दामों में भारी वृद्धि के कारण उर्वरक खपत में ह्रास हुआ है। उर्वरक खपत में सर्वाधिक वृद्धि 7वें एवं 8वें दशक में हुई। उर्वरक की खपत में वृद्धि से यह अनुमान लगाया जा सकता है, कि देश को अन्य संकट से मुक्त कराने में उर्वरक कितनी महती भूमिका रही है।

उर्वरक खपत एवं खाद्यान्न उपज में परिवर्तन

पंजाब, जम्मू एवं काश्मीर, कर्नाटक एवं केरल राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में वृद्धि हुई है तथा इसका सीधा प्रभाव इन राज्यों में खाद्यान्न उपज वृद्धि पर पड़ा है, विभिन्न राज्यों में उर्वरक खपत में निरंतर वृद्धि को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि उर्वरक के इस्तेमाल को देश के कृषिकों ने जिसे तेजी से अपनाया उतना अन्य किसी तकनीकी को अंगीकार नहीं किया।

फसल सघनता में वृद्धि

बढ़ती हुई आबादी को भोजन देने हेतु यह आवश्यक है कि भूमि की इकाई क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा फसलें लगाकर प्रति हेक्टेयर कुल पैदावार में वृद्धि की जाय। उर्वरक प्रयोग न केवल खाद्यान्न फसलों की उपज में वृद्धि की है बल्कि फसल सघनता को भी बढ़ाने में भरपूर योगदान किया है इस कारण फसल सघनता जो वर्ष 1950–51 में 111 थी, वह वर्ष 1995–96 में बढ़कर 1311 हो गई, यद्यपि उपर्युक्त वृद्धि में कृषि के अन्य कारकों जैसे सिंचाई के साधनों, उन्नतशील बीज तथा कृषि उपकरणों का भी योगदान समान रहा है।

जीवांश खाद समन्वयन एवं उर्वरक उपयोग में वृद्धि

भारतीय कृषि में उवर्रक प्रयोग लगभग पचास वर्षों से होता आ रहा है। अतः इसकी उपयोग क्षमता में ह्रास दृष्टिगोचर हो रहा है। उर्वरक की उपयोग क्षमता वृद्धि हेतु इसके साथ–साथ जीवांश खाद जैसे गोबर कम्पोस्ट, हरी खाद का प्रयोग आवश्यक समझा जाने लगा है।

उर्वरक खपत तथा फसलों की उपज

यद्यपि उर्वरक खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने का एक मुख्य कारक है तथा इसकी खपत भी देश में वर्ष 1951–52 से 1995–1996 के दौरान बढ़कर 0.5 से 76.7 कि.ग्रा. हो गई फिर भी यह मात्रा विकसित तथा अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है, चीन में उर्वरक खपत में इस अन्तर के कारण ही भारत वर्ष में खाद्यान्न उपज अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है, चीन में उर्वरक खपत वर्ष 1995–96 में 307 कि.ग्रा. हेक्टेयर थी जबकि भारत वर्ष में यह मात्रा 85 कि.ग्रा. हे. है परिणामतः 6062, 3759 तथा 5173 कि.ग्रा. हे. प्राप्त हुई। जबकि इन्हीं फसलों की उपज हमारे देश में 2811, 2473 तथा 1400 कि.ग्रा. हेक्टेयर प्राप्त की गई। जापान, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे विकसित देशों के मामलें में भी यही बात लागू होती है। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि भारत को भी सदैव के लिये अपने खाद्य संकट को समाप्त करने हेतु प्रति

हेक्टेयर उर्वरक खपत में न्यायसंगत वृद्धि करने की आवश्यकता है।

उर्वरक प्रयोग सम्बंधी भ्रान्ति

भारत वर्ष में उर्वरक खपत अन्य देशों के मुकाबले कम होने के मुख्यतः दो कारण है, पहला यह कि गरीब तबके के किसान अपनी कम आय के कारण जो कुछ उनके पास कम्पोस्ट या गोबर की खाद होती है वहीं खेत में डालते हैं। दूसरे पर्याप्त पूंजी वाले सम्पन्न किसान भी फसलों में इतना कम उर्वरक डालते हैं कि उससे पौधों को समुचित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। यहां यह बताना आवश्यक है कि पंजाब तथा हरियाणा को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में फसलों में उर्वरक की संस्तुत मात्रा से बहुत कम उर्वरक प्रयोग होता है। बड़े किसान प्रचुर पूंजी के बावजूद उर्वरक प्रयोग इसलिये कम करते हैं कि उन्हें सन्देह है कि ज्यादा उर्वरक प्रयोग से कहीं जमीन क्षारीय, अम्लीय या खेती के लिये अनुपयोगी न हो जाय यह मिथ्या भ्रान्ति देश में कम उर्वरक प्रयोग होने के अन्य कारणों में एक मुख्य कारण यह है। पंजाब और हरियाणा के किसान जो इस मिथ्या भ्रान्ति पर विश्वास नहीं करते, संस्तुत या उससे भी अधिक उर्वरक प्रयोग प्रत्येक फसल में करते हैं और यही कारण है कि ये राज्य खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है उदाहरणार्थ वर्ष 1996–1997 में पंजाब तथा हरियाणा में उर्वरक खपत 158 तथा 131 कि.ग्रा. हेक्टेयर प्राप्त हुई इसके विपरीत उत्तरप्रदेश, बिहार तथा गुजरात जहां पर उर्वरक खपत मात्र 108, 81 तथा 76 कि.ग्रा. हेक्टेयर थी, खाद्यान्न उपज 2088, 1593, 1303 कि.ग्रा. हेक्टेयर प्राप्त हुई थी।

संतुलित उर्वरक कार्यकम

पौधों को मुख्यतः तीन पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटास की विशेष आवश्यकता है। मृदा परीक्षण तथा पौधों की आवश्यकतानुसार सूक्ष्म पोषक तत्व भी दिये जात हैं। यद्यपि भूमि में साधारणतया पौधों के लिये आवश्यक सभी सूक्ष्म पोषक तत्व विद्यमान है परन्तु सघन खेती तथा अधिक उपज देने वाली उन्नतशील जातियों के प्रयोग से यह पोषक तत्व धीरे–धीरे कम होते जा रहें हैं, तथा अब इन पोषक तत्वों की बाह्य आपूर्ति के बिना फसल की अच्छी उपज सम्भव नहीं हैं। उर्वरक में नाईट्रोजन सभी पोषक तत्वों में प्रभावशाली है तथा इसका फसलों की वृद्धि पर शीघ्र प्रभाव पड़ा है, इस कारण किसान नाइट्रोजनयुक्त खाद को सबसे ज्यादा अपनाएं और परिणामतः इसकी खपत तथा उत्पादन में अनवरत् वृद्धि हुई। कालांतर में फॉस्फोरस की कमी महसूस होने के कारण नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरसयुक्त उर्वरक देने पर बल दिया गया। पोटॉस जो पहले भूमि में प्रचुर मात्रा में थी, धीरे–धीरे इसकी कमी के संकेत भी विभिन्न प्रदेशों से आने लगे। परिणामतः फसलों की अच्छी उपज हेतु इन तत्वों की संतुलित मात्रा की संस्तुति विभिन्न फसलों के लिये की गई। परन्तु अब भी देश के अधिकांश किसान प्रमुखतः नाइट्रोजन का ही प्रयोग करते हैं तथा जो कुछ फॉस्फोरस तथा पोटास डालते हैं वह भी इतनी कम मात्रा में होती है जो पौधों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाती। इस न्यून तथा असन्तुलित उर्वरक का कुप्रभाव न केवल फसलों की उपज पर पड़ता बल्कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति का भी ह्रास होता है इतना ही नहीं असन्तुलित उर्वरक से फसलों का एकांकी विकास हाता है तथा पौधे विभिन्न बीमारी के शिकार हो जाते हैं।

कम्पोस्ट एवं हरी खाद का उर्वरक के साथ समन्वय आवश्यक

भारतीय कृषि में उर्वरक प्रवेश के पहले गोबर खाद तथा हरी खाद ही भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तथा पौधों को पोषक तत्व देने के एकमात्र साधन थे। परन्तु कालान्तर में कृषि के यन्त्रीकरण, सघन खेती तथा उर्वरक के प्रति किसानों के रूझान के फलस्वरूप कृषिकों की रूचि कम्पोस्ट तथा हरी खाद के उत्पादन में धीरे–धीरे कम होती गई और आज स्थिति यह है कि अब केवल गिने–चुने राज्यों में ही कम्पोस्ट तथा हरी खादों का उत्पादन एवं प्रयोग शेष है।

यहां जीवांश खाद से जुड़ी एक और बात ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में भूमि की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने, फसलों की उत्पादन में स्थायित्व लाने एवं उर्वरक खपत में आंशिक कमी हेतु उर्वरक तथा जीवांश खाद समन्वय पर विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थान, उर्वरक विभाग तथा मृदा वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहें हैं ताकि उर्वरक खपत में आंशिक कटौती की जा सके। परन्तु विभिन्न राज्यों में कम्पोस्ट तथा हरी खाद उत्पादन तथा उनके सकल बोये गए क्षेत्र में विपणन को देखते हुए ऐसा लगता है कि जीवांश खाद तथा उवर्रक समन्वय संबंधी अनुसंधान केवल अनुसंधान तथा सरकारी संस्थाओं तक ही सिमट कर रहा जाएगा तथा कृषक उर्वरक खपत में निरन्तर बढ़त बनायें रखेंगे।

जैविक खाद की आवश्यकता

उर्वरकों के बढ़ते मूल्य तथा कम्पोस्ट हरी खाद एवं अन्य जीवांश खादों के उत्पादन में निरन्तर ह्रास को देखते हुए फसलों की पैदावार में बढ़त बनाए रखने हेतु कृषि में जैविक खाद के प्रयोग का प्रचलन हुआ है। ये खादें पौधों के लिये वायुमण्लीय नाइट्रोजन एकत्रित करने के अतिरिक्त भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों कों घुलनशील बनाकर उन्हें उपलब्ध कराने के साथ–साथ अवशेष को सड़ाने तथा उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। यद्यपि देश के विभिन्न भागों में जैविक खाद के उत्पादन तथा विकास हेतु तमाम सरकारी तथा अर्द्ध–सरकारी केन्द्र खुले हैं तथा कृषक प्रक्षेत्रों पर इस खाद का प्रदर्शन

भी हो रहा है, फिर भी कृषिकों का अपेक्षित आकर्षण इसकी तरफ नहीं हुआ है। कृषिकों में यह कितनी लोकप्रिय होगी यह तो कहना कठिन है, पर इसके प्रचार–प्रसार के देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में यहां न तो उर्वरक स्थानापन्न हो सकती है, और न ही इनसे खाद्यान्न उपज में अपेक्षित वृद्धि एवं टिकाऊपन आ सकता है।

उर्वरक प्रयोग का आर्थिक विवेचन

आज के घोर आर्थिक युग में किसी भी तकनीकी अथवा आर्थिक निवेश का अपेक्षित प्रचार–प्रसार एवं अंगीकार तभी हो सकता है, जब वह आर्थिक रूप से हितकर हो, यह बात साबित हुई है। अनुसंधानों के परिणाम इस बात को रेखांकित करते हैं कि कृषि में उर्वरक ही ऐसी प्रधान कारक है जो कि प्रति अतिरिक्त इकाई के बदले धनात्मक परिणाम चाहे वह फसलों की प्रति इकाई उपज हो या प्रति इकाई आय हो, दे सकता है।

उर्वरकों के मूल्यों का निर्धारण

उपर्युक्त तथ्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि किसानों एवं उर्वरकों के बीच अटूट रिश्ता कायम हो चुका है तथा अब फसलोत्पादन उर्वरक प्रयोग पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में बार–बार उर्वरकों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि करके कृषकों पर अवांछित बोझ डालना देश के अधिसंख्य कृषिकों के हित में नहीं हैं। जब–जब उर्वरक मूल्य में वृद्धि हुई है, तब–तब इसका कुप्रभाव उर्वरक खपत एवं खाद्यान्न उत्पादन में कमी के रूप में परिलक्षित हुआ है। उदाहरणार्थ वर्ष 1973–74 देश में कुल नाईट्रोजन, फॉस्फेटिक तथा पोटासयुक्त उर्वरकों की खपत क्रमश 1. 83.065 तथा 0.36 लाख टन थी जो कि वर्ष 1974–75 में घटकर 1.77.047 तथा 0.34 लाख टन रह गई। उर्वरक खपत में इस कमी का कुप्रभाव देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ा तथा जो खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1973–74 में 105 लाख टन था वहां वर्ष 1995–1996 में घटकर 185 टन रह गया। उपर्युक्त तथ्य इसे रेखांकित कर रहें हैं कि यदि जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न में सामंजस्य बनाकर रखना है तो उर्वरक के मूल्य में अपरिहार्य कारणों से की जाने वाली वृद्धि संगत होनी चाहिये।

उर्वरक संस्तुति

भूमि में निहित पोषक तत्वों के अनादिकाल से पौधे द्वारा दोहन के कारण वर्तमान उर्वरक संस्तुत के तहत दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा पौधों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रही है और इसी कारण या तो खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर मंद पड़ती जा रही या इससे बार–बार उतार–चढ़ाव हो रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान में देश में औसत उर्वरक खपत 81.8 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है, परन्तु दूसरी तरफ इस सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की अच्छी उपज का कारण इन राज्यों में संस्तुत मात्रा में अधिक उर्वरक प्रयोग ही है। इसके अतिरिक्त जैसा कि उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि विकसित देशों में भारत के मुकाबले अधिक खाद्यान्न पैदावार का मुख्य कारण उन देशों में अधिक उर्वरक प्रयोग है। केवल यही नहीं अब मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी तथा इससे फसलोत्पादन पर पड़ने वाले कुप्रभाव के आंकड़े सभी प्रदेशों से प्राप्त हो रहें हैं अतः वर्तमान परिवेश में भूमि की दशा, पौधों की आवश्यकता, सघन खेती के प्रसार तथा बढ़ती आबादी के अनुरूप खाद्यान्न पैदावार में समानान्तर वृद्धि हेतु वर्तमान उर्वरक संस्तुतियों की अविलम्ब समीक्षा की आवश्यकता है।

उपर्युक्त तथ्य यह इंगित करते हैं कि आज की भारतीय कृषि एवं उसका विकास विशेष रूप से उर्वरकों पर टिका है यद्यपि फसलोत्पादन के अन्य कारक भी उपज वृद्धि में सहायक है परन्तु यदि उनमें से उर्वरक हटा दिया जाय तो भारतीय कृषि अपंग हो जाएगी। ❑

(लेखक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग (अर्थशास्त्र) में शोध छात्र हैं।)

(पृष्ठ 5 का शेषांश)

विकसित करना पड़ता है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में गैर–सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और किसान संगठनों को अपना भरपूर सहयोग देना होगा। नीति निर्माताओं और योजनाकारों को कृषि विस्तार क्षेत्र की क्षमता को समय–समय पर उन्नत करते रहना होगा। अच्छी कार्य–प्रणालियों के अनुभव को आपस में बांटने की व्यवस्था करनी होगी। विस्तार सेवाओं में उपज की लाभकारी कीमत प्राप्त करने, फसल के बाद के प्रबंध के बारे में किसानों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने, पैदावार की बिक्री और उसके मूल्यवर्द्धन पर जोर देना होगा। सेवाओं का काम दिन–प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है, इसलिए राज्य कृषि विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र की एजेंसियों से परामर्श करके संपूर्ण विस्तार प्रणाली में नई जान फूंकनी होगी और उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होगा। वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं के संसाधनों के सहयोग से विस्तारकर्मियोंके कौशल को बढ़ाने के लिए एक गहन अभियान चलाना होगा। विस्तार सेवाओं की सफलता प्रमुख रूप से इस बात पर निर्भर होगी कि किसानों की नई–नई जरूरतों को पूरा करने में नए प्रयोग कितने सफल रहते हैं।

('पसूका' से साभार)

2003 के कुल परिणाम

हिन्दी माध्यम में शीर्षस्थ स्थान
अजय कु. मिश्र (पाँचवा)
महिलाओं में शीर्षस्थ स्थान एस. अस्विति (तीसरा)
भूगोल में सर्वोच्च अंक (418/600)
सर्वोच्च दस (10) में चार (4) स्थान 2, 3, 5 एवं 6
सर्वोच्च सौ (100) में उन्नीस (19) स्थान
कुल 286 में इक्यावन (51) सफल परीक्षार्थी

अजय कुमार मिश्र
पाँचवें स्थान के साथ
हिन्दी माध्यम में शीर्षस्थ

आदरणीय सुनील,

आज मैं जिस स्थान पर हूँ, वह आपके निर्देशन के कारण है और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के कारण ही मैं इस मंजिल पर हूँ। मेरी सफलता में भूगोल की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है और भूगोल की वजह से मैंने सामान्य अध्ययन में भी अच्छे अंक प्राप्त किया। आपके इस मार्गदर्शन के बारे में मुझे यह कहते हुए कोई हिचक नहीं हो रही है कि आप सिविल सेवा परीक्षा हेतु भूगोलविषय के अच्छे मार्गदर्शक हैं।

Ajay Kumar Mishra
(अजय कुमार मिश्र)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

हिन्दी माध्यम का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिससे दूर दराज के कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हो पाये।

सामान्य अध्ययन के लिए मैं पूरी तरह ENSEMBLE के अध्ययन सामग्री पर निर्भर थी जो बहुत ही परीक्षोपयोगी–सघन एवं विस्तृत दोनो ही था इसने मेरी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। **एस. अस्विथी–तीसरा स्थान**

दो वर्षो तक बहुत सारी सामग्री की खोज करने के उपरान्त जब मैंने ENSEMBLE की अध्ययन सामग्री ली तो मैंने महसूस किया कि इसके अलावा मुझे किसी और सामग्री या पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं। **अजय कु. मिश्र–पाचवाँ स्थान**

यद्यपि मैं किसी अन्य संस्थान का हिस्सा था परंतु मेरी सफलता ENSEMBLE के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और गुणवत्ता विकास कार्यक्रम द्वारा ही सुनिश्चित हो पायी।
मयूर महेश्वरी–छठा स्थान

अब वही अध्ययन सामग्री जो अंग्रेजी में उपलब्ध थी हिन्दी में अनूदित। वही उपगमन वही गुणवत्ता।

सामान्य अध्ययन एवं भूगोल 20 नवंबर से डिस्पैच प्रारंभ

IAS/PCS 2003-04

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

भारत की **एकमात्र** और **सबसे विशेषीकृत** सामान्य अध्ययन **प्रारंभिक परीक्षा** की **चार महीने** की गहन कक्षाएँ। प्रारंभिक परीक्षा कक्षा –जो हमारी विशेषता है और जिस पर हमारे जैसी कोई महारत नहीं रखता अब संपूर्ण परिमार्जित अध्ययन सामग्री के साथ–17 नवंबर से।

विशेषताएँ

- पुनः परिभाषित विषय वस्तु विशेषकर **अनुप्रयुक्त विषयों** पर बल
- मौलिक विज्ञान पर विशेष बल विशेषकर **गैर विज्ञान विद्यार्थियों** के लिए
- इतिहास, भूगोल समसामयिक और भारत संदर्भ ग्रंथ का **मानचित्रों द्वारा अध्ययन**
- **मानसिक योग्यता** के ऊपर विशेष महारत
- UPSC प्रारूप पर 3000 प्रश्नों का **नियमित रूप में अभ्यास**
- संपूर्ण अध्ययन सामग्री गहन रूप में।
- कक्षाओं की दिशा इस तरह से जिससे कि तथ्यों को याद करने में सहायता मिले।

भूगोल

पाँच (5) माहों की प्रारंभिक–मुख्य समन्वयित कक्षाएँ। **गैर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए** विशेषकर रचा हुआ पाठ्यक्रम, जिसका प्रारम्भ मौलिक भूगोल से हो रहा है। साथ ही संपूर्ण रुप से परिमार्जित अध्ययन सामग्री भी। ऐसा संरचित, विस्तृत पाठ्यक्रम जो विद्यार्थियों को किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं छोड़ता है और जिसके अध्ययन से 360–380 अंक आसानी से पाये जा सकते हैं।

मुख्य प्रारंभिक समन्वित – 17 नंवबर
प्रारंभिक परीक्षा विशेष – 12 जनवरी

अरुण सिंह द्वारा दर्शनशास्त्र*
प्रवीण किशोर द्वारा समाजशास्त्र*
वी. के. त्रिपाठी द्वारा राजनीतिशास्त्र*

***कक्षा प्रारंभ 20 नवंबर**

ENSEMBLE

संपर्क: 2272, हडसन लाइन्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली–110009.
फोन न.: 011–27418242, मोबाइल: 0–9811506926.
इलाहाबाद कार्यालय: 485, मम्फोर्डगंज, फव्वारा चौराहा, शिवाजी पार्क के निकट, इलाहाबाद–2. मोबाईल: 9415217610
विवरणिका के लिए 50रु/– का मनीऑर्डर/ड्राफ्ट दिल्ली पते पर भेजें। D.D favouring 'ENSEMBLE' payble at New delhi.

भारतीय कृषि की ज्वलंत समस्या – भूमिक्षरण

○ ओ.पी. शर्मा

***भा**रत जैसे कृषि प्रधान और जनसंख्या बहुल राष्ट्र में उचित भूमि प्रबंध का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। किंतु यहां की भूमि प्रबंधन नीति की अव्यावहारिकता के कारण भारतीय कृषि, भूमि से संबंधित अनेक समस्याओं से ग्रसित है जिनमें भूमिक्षरण की समस्या एक प्रमुख एवं ज्वलंत समस्या है। भूमिक्षरण के दुष्परिणाम भूमि तक सीमित नहीं रहते अपितु इससे मानव जाति और जीव–जंतु भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए भूमिक्षरण को कृषि का क्षयरोग कहा जाता है।*

सृजन एवं पोषण का सामर्थ्य रखने वाली भूमि को समस्त प्राणी–जगत के अस्तित्व का आधार और अनेक अनुपम उपहार प्रदान करने वाली 'रत्न प्रसवा' कहा जाता है। अतः मानव जगत और जीव–जंतुओं के अस्तित्व के लिए न केवल वैज्ञानिक ढंग से अधिकतम सदुपयोग अनिवार्य है, बल्कि भूमि की समुचित सुरक्षा करना भी अति आवश्यक हो गया है।

भारत जैसे कृषि प्रधान और जनसंख्या बहुल राष्ट्र में उचित भूमि प्रबंध का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। किंतु यहां की भूमि प्रबंधन नीति की अव्यावहारिकता के कारण भारतीय कृषि, भूमि से संबंधित अनेक समस्याओं से ग्रसित है जिनमें भूमिक्षरण की समस्या एक प्रमुख एवं ज्वलंत समस्या है। भूमिक्षरण या मृदा अपरदन से भूमि की ऊपरी मुलायम सतह और उर्वरा शक्ति इतनी तीव्र गति से नष्ट होती है कि उसका कोई तात्कालिक प्राकृतिक या कृत्रिम उपचार होना बहुत कठिन है, फलतः उपजाऊ भूमि भी कृषि के अयोग्य हो जाती है। भूमिक्षरण के दुष्परिणाम भूमि तक सीमित नहीं रहते अपितु इससे मानव जाति और जीव–जंतु भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए भूमिक्षरण को कृषि का क्षयरोग कहा जाता है। यह क्षयरोग कृषक की धीमी या रेंगती हुई मृत्य बनकर उसके अस्तित्व को भी संकट में डाल सकता है। यदि भूमिक्षरण की रोकथाम हेतु अभी से पर्याप्त उपाय नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में बाढ़, भूस्खलन आदि की समस्याएं और अधिक तीव्रतर बन जाएगी।

'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्' के अनुसार वर्तमान में हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बत्तीस करोड़ नब्बे लाख हेक्टेयर में से लगभग पंद्रह करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को जल और वायुक्षरण का सामना करना पड़ रहा हैं। और उसमें से सात करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र भूमिक्षरण के कारण अत्यधिक गंभीर रूप से विकृत हो हो चुका है। भू–वैज्ञानिकों का मत है कि भारत में प्रतिवर्ष सत्तर हजार वर्गफीट भूमि एवं लगभग छः अरब टन मिट्टी का कटाव होता है जो अपने साथ पौधों के लगभग नब्बे लाख टन प्रमुख उर्वरक और पोषक तत्वों को बहाकर ले जाती है। देश में बढ़ते हुए भूमिक्षरण के कारण प्रतिवर्ष तीन हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और आगामी बीस वर्ष तक यही स्थिति रही तो एक तिहाई कृषि भूमि पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। वस्तुतः भूमिक्षरण से होने वाली उतरोत्तर वृद्धि से न केवल देश में कृषियोग्य भूमि का क्षेत्रफल निरंतर कम होता जा रहा है, बल्कि इससे भारतीय कृषि की फसलोत्पादकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

हमारे देश में जहां एक ओर असम, झारखंड, बिहार तथा उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों में 'धरातलीय भूमिक्षरण' की समस्या कठिनाइयां उत्पन्न कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में वायु द्वारा भूमिक्षरण की समस्या गंभीर बनी हुई है। वायु द्वारा भूमिक्षरण के कारण कहीं पर उपजाऊ मिट्टी के ऊपर पर्याप्त मोटाई में रेत या बालू एकत्रित हो जाती है तो दूसरी जगह नीचे का कड़ा धरातल दिखायी देने लगता है। इसके अलावा देश के कुछ भागों में तेज वर्षा के कारण वनस्पति रहित भूमि में जल धाराओं से

छोटी–छोटी नालियां बन जाती है जो बाद में चौड़ी होकर नालीदार भूमिक्षरण का रूप ले लेती है। कई बार नालीदार भूमिक्षरण भूमि को गहरे और ऊबड़–खाबड़ बीहड़ों में परिवर्तित कर देता है, भारत में यमुना और चंबल के बीहड़ इसके ज्वलंत उदाहरण है जो मुरैना, धौलपुर, इटावा एवं आगरा के क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैले हुए हैं।

भारत में भूमिक्षरण के लिए प्राकृतिक विपदाओं के साथ–साथ मानवकृत कारणों को भी समान रूप से उत्तरदायी ठहाराया जा सकता है। यहां पर वर्षा के मौसम में निरन्तर जल–प्रवाह के कारण भूमि की ऊपरी सतह बह जाती है और अनेक नदियों में बाढ़ आ जाती है जो सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र की मिट्टी काटकर अपने साथ बहा ले जाती है। वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में नालों के तेज बहाव के कारण कई स्थानों पर पूरे खेत के खेत बह जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए 'आल इण्डिया साइल एण्ड लैंड यूज सर्वे आर्गनाइजेशन' ने उत्तरांचल में बैक डेम बनाया है। वर्षा ऋतु के पहले गर्मी के मौसम में प्रचण्ड हवाओं और आंधियों के कारण भी भूमि की ऊपरी सतह की नरम मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है। इसका प्रभाव शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्पष्ट दिखायी पड़ता है। कई बार समुद्र में ज्वार–भाटा अपने पर आस–पास के क्षेत्रों में काफी जल भर जाता है, जब यह जल वापिस समुद्र में जाता है तो अपने साथ काफी मिट्टी बहाकर ले जाता है। भारत में समुद्र द्वारा भूमिक्षरण की समस्या केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि के समुद्र तटों पर अधिक दिखायी देती है।

भारतीय किसान लगातार एक ही भूमि पर कृषि उत्पादन करते रहते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तथा ऊपरी कोमल परत का कटाव शुरू हो जाता है। हमारे देश में भूमिक्षरण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण वनों का निरन्तर कटना है। मध्य प्रदेश, छतीसगढ, उत्तराचंल, झारखण्ड और बिहार आदि राज्यों में वनों की अंधाधुध कटाई के कारण भूमि कटाव में वृद्धि हुई है। किसानों द्वारा अनुपयुक्त और अवैज्ञानिक तरीकों से कृषि करने के कारण भूमि का क्षरण होता है। पर्वतीय और ढालू क्षेत्रों में कृषकों द्वारा खेतों की जुताई ढाल की दिशा में की जाती है, परिणामस्वरूप न केवल मिट्टी का बहाव ही होता है बल्कि धीरे–धीरे वह भूमि बंजर हो जाती है।

देश में पशुओं की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ने के कारण उन्हें अनियन्त्रित ढ़ंग से चराया जाता है, इससे चरागाहों की भूमि आवरण रहित या नग्न हो जाती है और मिट्टी का कटाव बढ़ता जाता है। भारत के आदिवासी क्षेत्रों में आदिम जाति के लोग बार–बार कृषि का स्थान बदलकर स्थानान्तरित कृषि करते हैं जिसे 'झूमिंग कृषि' के नाम से पुकारा जाता है। और जब उनको आभास होने लगता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई है तो वे उस स्थान पर कृषि करना बन्द कर देते हैं और पुनः वनों को साफ करके खेती करने लग जाते है। इस प्रकार की झूमिंग खेती के कारण विशाल भू–खण्ड वनस्पतिविहिन हो जाते हैं और वर्षा होने पर उनका कटाव शुरू हो जाता है। हमारे देश में असम, बिहार, झारखण्ड, छतीसगढ़ व मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लगभग तीस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आदिवासी लोग आज भी झूमिंग कृषि करते है, जिससे न केवल भूमिक्षरण की समस्या गंभीर बनती जा रही है बल्कि भूमि वर्गीकरण और समुचित भूमि प्रबन्ध में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भारत में भूमिक्षरण के प्रमुख दुष्प्रभावों में मिट्टी की भौतिक सम्पत्तियों (कार्बन व नाईट्रोजन अनुपात) का बिगड़ना तथा पौधों के पोषक तत्वों (फास्फोरस, पोटास आदि) का नष्ट होना है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग छह अरब टन मिट्टी का क्षरण होता है जो अपने साथ पौधों के लाखों टन पोषक तत्वों

को बहा कर ले जाती है। इसके अलावा भूमिक्षरण के कारण वनस्पति भी धीरे–धीरे नष्ट होने लगती है और धरातल की ऊपर की आर्द्रता समाप्त हो जाती है, फलतः कालान्तर में वह भाग मरूस्थल में परिणत हो जाता है। भूमिक्षरण के कारण भूमि की बल अवशोषण क्षमता के कम होने के कारण भूमिगत जल–स्तर भी नीचा हो जाता है। नदियों के बहाव क्षेत्र में भूमिक्षरणजन्य मिट्टी एकत्रित होने के कारण नदियों की तलहटी ऊंची हो जाती है और उनकी क्षमता कम हो जाती है, परिणामस्वरूप नदियों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि नियोजनकाल के प्रारम्भ में देश में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पच्चीस मिलियन हेक्टेयर ही था जो आज बढ़कर चालीस मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है।

देश के जिन क्षेत्रों में निरन्तर भूमिक्षरण बढ़ता जा रहा है, उन क्षेत्रों की भूमि कृषि व अन्य कार्यों के अयोग्य होने के कारण जनसंख्या स्थानान्तरण और पुर्नवास की समस्या उत्पन्न हो रही है। निरन्तर भूमिक्षरण के कारण देश की झीलों और विभिन्न नम भूमि क्षेत्रों का स्वरूप उतरोत्तर बिगड़ता जा रहा है। जहां एक ओर डल, ऊटी, भीमताल, सांभर आदि झीलों का आकार सिमटता जा रहा हैं वहीं दूसरी ओर वर्षा जल को एकत्रित करने वाली विभिन्न स्थानों की आर्द्र भूमि लगभग विलुप्त होती जा रही है। कभी–कभी आंधी और तूफानों के कारण मिट्टी उड़कर खड़ी फसल पर जमा हो जाती है और उसे नष्ट कर देती है।

यद्यपि भारत सरकार द्वारा देश में भूमिक्षरण को रोकने के लिए निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं, किन्तु आज भी हमारे देश में भूमिक्षरण की समस्या अत्यन्त गंभीर बनी हुई। अतः देश में भूमिक्षरण को रोकने के लिए जहां एक ओर परम्परागत उपायों यथा– वृक्षारोपण, बांध निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, मेड़बंदी, नियंत्रित पशु चराई आदि का और अधिक विस्तार करना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक एवं अनुसंधान आधारित उपायों यथा–मल्विग पद्धति, स्ट्रिप क्रोपिंग, मिश्रित खेती, सतही जुताई, कंटूर खेती, ड्रेनों का निर्माण आदि को अपनाना भी अति आवश्यक है।

'मल्विग पद्धति' के अन्तर्गत मिट्टी पर फसल अवशिष्टों तथा पत्तियों से दस सेमी मोटी परत (मल्व) चढ़ा दी जाती है। मल्विग करने से न केवल मिट्टी कटाव तथा वाष्पीकरण को रोकने में सहायता मिलती है, बल्कि इससे जल अवशोषण की क्षमता बढ़ाने, खरफ्तवारों को कम करने तथा जैविक तत्वों की क्षति को रोकने में भी मदद मिलती है। इस प्रकार की खेती करने से रबी मौसम की उपज में लगभग तीस प्रतिशत तक वद्धि की जा सकती है। सतह के कटाव पर नियन्त्रण और उसके माध्यम से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में पट्टीदार खेती की उपयोगिता अब सार्वमौमिक रूप से स्वीकार की जा चुकी है। इस खेती में एक ही खेत में विभिन्न फसलों को वैकल्पिक पहियों में उगाते हैं जो जल और वायु द्वारा भूमिक्षरण को रोकने में सहायक होती है। पट्टीदारी खेती के प्रमुख प्रकारों में कंटूर स्ट्रिप, खेप स्ट्रिप, वायु स्ट्रिप आदि को सम्मिलित किया जाता है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी की परत सख्त होती है, उनमें वर्षा की समाप्ति के तुरन्त बाद दस सेमी. गहराई तक सतही जुताई की जानी चाहिये। इससे जल का भूमि में अधिक मात्रा में जाना सुनिश्चित हो जाता है तथा पानी बहकर व्यर्थ जाने से बच जाता है। सतही जुताई से जैविक अवशेषों को भूमि में समाविष्ट करके मिट्टी पर पपड़ी जमने की समस्या से बेहतर ढ़ंग से निपटा जा सकता है। इसके साथ–साथ सतही जुताई करने से जड़ों के फैलाव में मदद मिलती है तथा बारहमासी खरपतवार (कांस, डाब आदि) भी स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं।

शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भूमिक्षर रोकने हेतु कंटूर खेती को सर्वोत्तम मान जाता है। छह सौ मिमि. से कम व वाले क्षेत्र कंटूर निर्माण के लिए उपयुक रहते हैं। जुताई, पौध–रोपाई और अन्त जुताई जैसी प्रक्रियाए जब कंटूर के सा सम्पन्न की जाती है तो उनसे सतह बहाव की गति कम करने और मिट्टी कटाव को रोकने में मदद मिलती है असुरक्षित क्षेत्रों में भूमि कटाव की समस्य पर काबू पाने और जल प्रवाह की दिश परिवर्तित करने के लिए ड्रेनों का निर्मा किया जाना चाहिए।

भू–वैज्ञानिकों के मतानुसार समत और इकहरी स्थलाकृति वाले क्षेत्रों बहुत कम अन्तर पर घास या झाड़ि की पंक्तिबद्ध रोपाई, खस व रेशेदार पौध का विस्तार आदि वनस्पति विषयक उपाय से भूमि कटाव की समस्या का समाधा किया जा सकता है। ऐसे वनस्प अवरोधक अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते है। इन न केवल भूमिक्षरण को रोकने में मद मिलती बल्कि ईंधन है, चारे, भोज सुगंधित तेल आदि के उत्पादन में वृद्धि होती है तथा किसानों की आय बढ़ती है।

यदि हमारे देश में सरकारी प्रयास और जन–सहयोग के माध्यम से भू संक्षरण की उपर्युक्त अनुसंधान आधारि पद्धतियों को सुनियोजित औ प्रभावोत्पादक तरीकों से लागू किया जा तो ना केवल बढ़ते हुए भूमिक्षरण प रोक लगेगी, बल्कि कृषि की उत्पादकत में भी अभिवृद्धि होगी। 'सांस्कृतिक विरास संरक्षण' की अवधारणा और सामाजि सहभागिता का दृष्टिकोण भी भूमि, व पर्वत, पेड़ आदि के संरक्षण में निर्णा भूमिका अदा कर सकता है। □

(अध्यक्ष व्यावसायिक प्रबन्ध विभा
एस.पी.यू. महाविद्यालय
फालना

IAS/PCS

आरोहण

(हिन्दी माध्यम)

❁ प्रारंभिक से साक्षात्कार तक आपके साथ ❁

उपलब्ध विषय :-

- भूगोल (प्रारंभिक + मुख्य)
- दर्शनशास्त्र (सिर्फ मुख्य)
- हिन्दी साहित्य
- सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक + मुख्य)
- निबंध

{ हिन्दी माध्यम के लिए बेहतर विकल्प एवं सर्वाधिक अकंदायी विषय }

एकमात्र संस्थान जो प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की पूरी गारंटी देता है, अन्यथा फीस वापस ।

विशेष आकर्षण :-

✦ विषय चयन से संबंधित निःशुल्क मार्गदर्शनः सिविल सेवा के अभ्यर्थियों (विशेषकर हिन्दी माध्यम) के समक्ष प्रमुख समस्या वैकल्पिक विषय के चयन, पुनः उसकी तैयारी के तौर-तरीकों की होती है । विषय का सही चयन (विशेषकर दूसरा वैकल्पिक विषय) न कर पाना ही सफलता में सबसे बड़ी बाधा है । अतः यहां के एक्सपर्ट (यदा-कदा प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहेगें) द्वारा अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि, रुचि अर्थात हर पहलुओं पर गौर करते हुए निष्पक्ष मार्गदर्शन किया जाता है । यह भी संभव है कि आपको वैसे विषय के चयन का सुझाव दिया जाए जो हमारे यहां उपलब्ध न हो । अर्थात मेरे लिए आपकी सफलता सर्वोपरि है, जिसे आप खुद भी महसूस करेंगे ।

नोट : इसके लिए कार्यालय से संपर्क कर समय निश्चित कर लें ।

अन्य आकर्षण :-

✦ मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्ति हेतु विस्तृत एवं गहन अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा । ✦ निश्चित समय - अंतराल पर आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन । ✦ आंतरिक परीक्षा के टापर्स को (प्रोत्साहन के लिए) पूरी फीस तत्काल वापस । ✦ SC/ST/OBC को फीस में छूट । ✦ सिर्फ निःशुल्क कार्यशालाओं में ही नहीं, अन्य कक्षाओं में भी (निश्चित समय तक) बैठने एवं परखने की अनुमति । ✦ प्रत्येक छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन की सुविधा । ✦ छात्र एवं छात्राओं के रहने की अलग-अलग व्यवस्था ✦ नामांकन अधिकतम 30 ।

पता : 204, दूसरी मंजिल, A -23, 24 सतीजा हाउस (बत्रा सिनेमा हाल के पीछे), डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-9

Tel. : 011-27652362 (O), 011-35216097 (M)

निःशुल्क कक्षा प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को

पराजीनी फसलें और उनके खतरे

○ ईशान देव

पराजीनी फसलें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित निर्धारित आकार–प्रकार और गुण–धर्मों वाली होती हैं। इस प्रकार की फसलों की संरचना कलाकारों द्वारा बनाई जाने वाली कलाकृतियों जैसी हो गई है। आज दुनिया के अनेक देशों में पराजीनी फसलों की व्यापारिक खेती होने लगी है।

जैव प्रौद्योगिकी और जीनियागिरी ने मिलकर वनस्पति एवं जीव क्षेत्र में भारी रद्दो–बदल करना शुरू कर दिया है। इस तकनीक से मनोवांछित फसल और अनाज प्राप्त करने की दिशा में वैज्ञानिक आज बहुत आगे जा चुके हैं। पराजीनी फसलें कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित निर्धारित आकार–प्रकार और गुण–धर्मों वाली होती हैं। इस प्रकार की फसलों की संरचना कलाकारों द्वारा बनाई जाने वाली कलाकृतियों जैसी हो गई है।

आज दुनिया के अनेक देशों में पराजीनी फसलों की व्यापारिक खेती होने लगी है। पराजीनी सोयाबीन या उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है। उसके बाद दूसरे स्थान पर पराजीनी मक्के की फसल है। आज दुनिया भर में 30 प्रतिशत मक्का, 9 प्रतिशत कपास, 9 प्रतिशत कनोला (खाद्य तेल) और 1 प्रतिशत आलू की फसल पराजीनी फसलों के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। हमारा पड़ोसी देश चीन लगभग 100,000 हेक्टेयर भूमि में पराजीनी फसलों की खेती कर रहा है। पराजीनी फसलों के परीक्षण दुनिया के 45 से अधिक मुल्कों में चल रहे हैं। इसमें सबसे आगे है अमेरिका, उसके बाद है क्रमशः अर्जेन्टाइना, कनाडा, आस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, फ्रांस और चीन।

तालिका–1 में प्रदर्शित आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि विश्व में पराजीनी फसलों का प्रयोग किस तेजी से बढ़ रहा है।

उपर्युक्त तालिका में चीन में हो रही एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को नहीं शामिल किया गया है। आज हमारी फसलों का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा कीटों, रोगों और खर–पतवारों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। पराजीनी फसलों में संश्लेषण जीन इन तीनों के प्रतिरोधी हैं। यदि हम विश्व की सम्पूर्ण खेती पराजीनी फसलों के माध्यम से करके अपनी 45 प्रतिशत फसल को बचा लें तो हम इतने ही खेतों की खेती और खाद–पानी से दुगुनी आबादी के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो जायेंगे।

तालिका–1

वर्ष	विश्व भर में उगने वाली पराजीनी फसलों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1996	17 लाख
1997	110 लाख
1998	278 लाख
1999	400 लाख
2000	442 लाख
2001	500 लाख

बी.टी. जीन से युक्त फसलें

जैव वैज्ञानिकों ने पराजीनी फसलों को और सक्षम बनाते हुए बी.टी. जीन से युक्त फसलों का निर्माण किया है। इसके लिए मिट्टी में पाए जाने वाले 'बेसीलस थूरीजियेसिन' नामक बैक्टेरिया के वंशाणुओं का प्रयोग किया जाता है। बी.टी. के नाम से चर्चित ये जीवाणु ग्राम निगेटिव बैक्टेरिया हैं। इसके अलग–अलग प्रभेद (स्ट्रेन) पाए जाते हैं जो अलग–अलग प्रकार के जीव विष (टाक्सिन) पैदा करते हैं। ये टाक्सिन वे प्रोटीन कण है जो सी. आर.वाई. जीनों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये जीव विष आमतौर पर हानिकारक कीटों की आतों में पहुंच कर उनका हाजमा बिगाड़ देते हैं। जिससे हानिप्रद कीटों का सफाया हो जाता है। इन जीव विषों का धोल बना कर

छिड़काव भी किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में इन टाक्सिन बनाने वाले जीवों को फसलों की किस्मों में डालकर उन्हें कीटरोधी बनाया जाता है, जिसके चलते कीट इन पर हमला नहीं करते और फसल बिना किसी प्रदूषण के सुरक्षित रहती है। अलग–अलग बी.टी. प्रभेद अलग–अलग कीटों पर ही प्रभावी होते हैं। इस प्रक्रिया में मित्र कीट पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। कुछ वीविल और बीटल (गुबरैले) कीटों को मारते हैं तो कुछ लेपिडोप्टेरो कुल के कीटों को। कुछ पतंगों का सफाया करते है तो कुछ अमेरिकी बालवर्म जैसे फल वेधकों का। अनेक प्रभेद सूत्रकृमि (निमेटोड), फीताकृति (टेपवर्म) तो कुछ किस्म के प्रोटोजोआ को भी नियंत्रित करते हैं।

बी.टी. की खोज 1902 में हुई थी, तब से अब तक बी.टी. के विविध प्रभेदों में 80 से अधिक जीव विष पैदा करने वाले सी. आर.वाई. जीन खोजे जा चुके हैं। इनको संश्लिष्ट करके 30 से अधिक व्यापारिक फसलों की पराजीनी कीटरोधी बी.टी. किस्मों का विकास किया जा चुका है। इनमें कपास के अलावा मक्का और अब धान भी शामिल हो गया है। बी.टी. धान पर परीक्षण चल रहा है। बी.टी. युक्त पराजीनी फसलें अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको में बड़े पैमाने पर उगाई जा रही हैं।

आज सम्पूर्ण विश्व में कीटों की प्रजातियां 10 लाख से अधिक हैं। इनमें से केवल दस हजार की समस्याएं पैदा करते हैं। इनमें फसलों के लिए हानिप्रद कीट मात्र 100 के करीब ही होते हैं। इनमें से भी 'हेलिओथिस' और 'हेलिकोवर्पा' ये दो सबसे खतरनाक हैं, जिन्हें बी.टी. का जहर मार देता है। उपर्युक्त तथ्यों से बी.टी. की उपयोगिता स्वतः प्रमाणित है।

भारत में बी.टी. जीन

हमारे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा इन्स्टीच्यूट) के वैज्ञानिकों द्वारा टमाटर, पत्तागोभी और धान में बी. टी. जीन संश्लेषित करके कीटरोधी, पराजीनी फसलों का परीक्षण जारी है। शिमला स्थित 'केन्द्रीय आलू शोध संस्थान' में आलू में ट्यूबरमोब्क के नियंत्रण के लिए बी.टी. जीन का प्रयोग किया जा रहा है। राजमुद्री (आन्ध्र प्रदेश) के 'केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान' में तम्बाकू की इल्ली (स्पोडोप्टेरा लिट्रा) की रोकथाम के लिए बी.टी. तम्बाकू की फसल पर परीक्षण जारी है। हैदराबाद स्थित 'केन्द्रीय धान अनुसंधान निदेशालय' में बी.टी. युक्त धान की फसल को पीले तनाबेधक से नियंत्रण के लिए उगाकर ग्रीन हाउस में परीक्षण चल रहा है। कोलकाता स्थित 'बोस इन्स्टीच्यूट' में भी बी.टी. जीन पर प्रयोग जारी है। नागपुर में लेपिडोप्टेरा कुल के कीटों से कपास पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रतिरोधित करने के लिए कपास की किस्मों में बी.टी. जीन आजमाया जा रहा है। प्रोएग्रो जैसी निजी बीज कम्पनी टमाटर, बैंगन, फूलगोभी और पत्तागोभी में बी.टी. जीन डालकर इन सब्जियों की फसल को कीटों से सुरक्षित बनाने में जुटी हैं। देश की सबसे बड़ी बीज कम्पनी महिको ने बी.टी. कपास के विकास की दिशा में सफलता पाई है।

अन्य स्रोत

बी.टी. जीनों के अलावा मकड़ी और बिच्छू के विष को जीन के माध्यम से फसलों में उतारने के प्रयास जारी है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी बी.टी. से हटकर भी प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन बी. टी. के अलावा किसी और माध्यम को अभी सफलता नहीं मिल पाई है।

विशिष्ट क्षतायुक्त फसलों का विकास

फसलों में रोगों की रोकथाम में जीनियागिरि के सफल प्रयोग से उत्साहित वैज्ञानिकों ने इस विधा और तकनीक का प्रयोग अन्य समस्याओं के लिए भी किया है। जिसमें सूखा, क्षार, पाला और लवणरोधी फसलों के विकास के साथ ही खनिज सम्पदाओं से युक्त प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया जारी है।

जब कुछ फसलों पर अजैविक दबाव पड़ते हैं तो वे प्राकृतिक रूप से कुछ प्रोटीन, ओस्मोटिन और एनेक्जीन आदि प्रमुख प्रोटीन है। इन जीनों को पैदा करने वाले प्रोटीनों को पैदा करने वाले जीन धान, टमाटर, आलू में डाले गए हैं। भारत में सूखारोधी धान और सरसों की किस्मों पर जीनियागिरी के प्रयोग पूसा इन्सटीच्यूट और दिल्ली विश्वविद्यालय में किये गए। पूसा में बी.एल. चोपड़ा और उनकी टीम ने सरसों की 'जय किसान' नामक प्रजाति का विकास 'सोमाक्लोनल वेरियेशन' तकनीक से किया था। सरसों की यह फसल सूखारोधी और अगेती होने के कारण किसानों द्वारा पसंद की गई। इसी प्रकार चेन्नई की एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन की प्रयोगशाला में खारे पानी को सहने वाली जीन समुद्र के खारे पानी को सहने वाले 'समुद्री मैग्रोव' वृक्षों से अलग करके तम्बाकू में सफलतापूर्वक प्रविष्ट किया गया और अब उसे धान में प्रविष्ट करा दिया गया है। इस प्रकार समुद्र तट पर के खेतों में खारे पानी से धान पैदा होने की सम्भावना बढ़ गई है।

फलों, फूलों और सब्जियों में विशेष क्षमताओं का निर्माण

फलों, फूलों और सब्जियों की फसलों के तैयार हो जाने के बाद बागानों और खेतों से दूर महानगरों में खपत के लिए भेजना अनिवार्य है क्योंकि ये फसलें पूरी तरह अपने उत्पादन स्थल पर ही नहीं खप सकतीं। इनका ताजा और सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचना जरूरी है, ताकि अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचनें के पूर्व ही सड़ और दबकर खराब न हो जाए। वैज्ञानिकों ने इस दिशा में भी पर्याप्त कार्य किए हैं। 1994 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 'फ्लावर सौर' नामक एक ऐसा टमाटर बनाया जिसका छिलका बहुत

पराजीनी फसलों के खतरे

जैव अभियांत्रिकी से जुड़े लोग तो पराजीनी फसलों की चर्चा करते नहीं थकते, लेकिन पर्यावरणविद इसके विरोध में ढेरों तर्क उपस्थित करते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

पराजीनी उत्पादों से पर्यावरणीय विषाक्तता

पराजीनी पादप अनवरत वाहह्यजीनी पदार्थों का उत्पादन करते रहते हैं। विशेषज्ञों का ऐसा मत है कि इन जीन उत्पादों द्वारा पर्यावरणीय संक्रमण की संभावना हमेशा बनी रहती है। वास्तव में पराजीनी पौधे अपनी कोशिकाओं से ढेरों ऐसे तत्वों और अणुओं को उत्पादित करते रहते हैं। ये अणु और तत्व कोशिका से बाहर आकर स्थानान्तरित होने के बाद सजीव कोशिकाओं द्वारा स्रावण या कोशिकीय अत्पादों के रूप में अवमुक्त होते रहते हैं। जो कई तरह से वनस्पति और पर्यावरण को प्रभावित करते रहते हैं।

वन्य जीवन ओर मित्र कीटों पर प्रभाव

फसली पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये वन्य जीवों के लिए भोजन और आवास के भी साधन हैं। खेतों में लगे पराजीनी पौधे कीटनाशी प्रोटीनों का उत्पादन करते रहते हैं। वन्य जीवों एवं मित्र कीटों पर इनके प्रभाव की पर्याप्त सम्भावनाएं रहती हैं।

यद्यपि इनके प्रभाव की सम्भावनाएं इन्हें खाने वाले कीटों पर ही होती हैं। लेकिन इनके प्रभाव से मित्र कीटों की मृत्यु भी हो सकती है।

पराजीनी पादप ऐसे प्रोटीनों का निर्माण करते हैं जो वन्य जीवों या मित्र कीटों के लिए विषाक्त होते हैं। इस संदर्भ में हमें कुछ ऐसी सावधानियां लेनी होंगी जिससे इन हानिप्रद पदार्थों का प्रयोग लाभकारी कीटों द्वारा न किया जा सके।

पराजीनी पादपों के अनुवंशिकीय तत्वों का विचलन

पराजीनी पादपों में उपस्थित अनुवांशिकाय पदार्थों के विचलन (इस्केप) की सम्भावनाएं हमेशा बनी रहती हैं यह एक स्थापित सत्य है कि अनुवांशिक पदार्थों का फसली पौधों एवं जंगली खर–पतवार वाली प्रजातियों तथा देशी पौधों में संचरण होता है।

इस बात पर ध्यान दिय जाना चाहिए कि फसली पौधों में प्रवेश कराया गया जीन अपनी वन्य प्रजातियों से फिर से मिलने का रास्ता खोज लेता है। अतः हमें नए अनुवांशिक सूचनाओं को दूसरे पौधों में प्रवेश कराने से पहले अच्छी तरह सोच–समझ लेना चाहिए।

मजबूत था और दीवाल पर पटकने पर भी नहीं फटता था, यद्यपि यह टमाटर अपने स्वाद के कारण लोकप्रिय नहीं हो पाया और पिट गया। लेकिन अब भारत के पूसा इंस्टीच्यूट में ऐसे टमाटर का निर्माण हो चुका है जो स्वादिष्ट और टिकाऊ दोनों है।

पूसा संस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है जो अणुजैविकी पर भौतिक अनुसंधानों के साथ ही जीगियागिरी के व्यावहारिक प्रयोगों में लगा है। इसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैम्पस में भी जीनियागिरी से नई फसलों के गढ़ने का काम हो रहा है। सब्जियों में नई क्षमता निर्माण के इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. आशीष दत्ता ने रामदाने (ग्रेन एमरेथस) के जीन को आलू में संश्लेषित किया है जिससे इस पराजेनिक आलू में रामदाने की तरह प्रोटीन की मात्रा काफी बढ़ गई है। इस आलू को परीक्षण के दौरान शिमला के आलू संस्थान में पाया गया कि इस जीन के चलते आलू की रोग निरोधक क्षमता में वृद्धि के साथ ही उत्पादन भी अधिक मिला। इस प्रोटीन बहुल आलू से कुपोषण निवारण में अच्छी मदद की संभावना है। इसी प्रकार 'स्विस फेडरल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नालाजी' के इंस्टीच्यूट फार प्लान्ट साइन्सेज' के वैज्ञानिकों ने राकफेलर प्रतिष्ठान की मदद से धान की 'गोल्डन राइस' किस्म विकसित की। इसमें विटामिन 'ए' पैदा करने वाला जीन डाला गया है। फिलीपीन्स स्थित धान अनुसंधान (इरी) के धान–प्रजनकों ने अधिक लोहे और जस्ते से युक्त धान बनाया है जो एनीमिया से ग्रस्त बच्चों और महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा।

पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में पराजीनी प्रयोग

फूलों के कारोबार से फलने–फूलने वाला देश नीदरलैंड ऐसा पराजीवी पिटूनिया बेच रहा है जो केसरिया है, इसका जीन मक्के से लिया गया है। फूलों के क्षेत्र में जीनियागिरी का प्रयोग करते हुए नीला गुलाब, नीला कार्नेशन और नीला ट्यूलिप भी तैयार कर लिया गया है। अब इन्हें देर तक खिला और ताजा भी रखा जा सकता है। इसी प्रकार ऐसे गुलाब का विकास कर लिया है जो पूरे वर्ष खिलते हैं।

आज तमाम तरह के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की नहीं बल्कि वैक्सीन पैदा करने के लिए पौधों को बायोरियेक्टर की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास भी लगभग सफल हो गया है। अब तो जीनियगीरी यहां तक पहुंच रही है कि हैजे के टीके की जगह केले का गिल खाने से काम चल जायेगा, यही नही तमाम तरह के रोग निवारक और रक्षक तत्व इस तकनीक से बने फलों और सब्जियों में मिलेंगे। 1986 में जब से जिनियागिरी की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक 100 के आस–पास नई किस्में गढ़ी जा चुकी है। ऐसी आशा है कि 2005 तक पराजीनी फसलों का व्यवसाय करीब 6 अरब डालर तक पहुंच जायेगा। ❑

(सदस्य लोकोत्थान समिति)

IAS/PCS 2003-2004 (मुख्य, प्रारम्भिक, फाउंडेशन)

सामान्य अध्ययन
By
R.Kumar & Team

लोक प्रशासन
By
Mrs. Manisha Singh

इतिहास
By
R.Kumar

Commando Type Training

नये सत्र का कार्यक्रम

सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक)	10 दिसम्बर 2003
सामान्य अध्ययन (फाउन्डेशन)	10 दिसम्बर 2003
भारतीय इतिहास (प्रारंभिक)	10 दिसम्बर 2003
लोक प्रशासन (Main & Pre)	10 दिसम्बर 2003
भूगोल (Main & Pre)	10 दिसम्बर 2003
हिन्दी साहित्य	10 दिसम्बर 2003

सभी 600 अंक के प्रशन सामान्य अध्ययन एवं इतिहास के नोट्स से

पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध है

Hostel facility arranged Separately for Boys & Girls

IAS TUTORIALS

102,103 Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9

Ph. No :- 27651392, 27252444, 9810664003

Snews Ad. Ph.: 011-27050377

भारत में औषधीय फसलों की खेती – एक विकल्प

○ सुशील कुमार गौतम

***भा**रत की परम्परागत कृषि को देखकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया जिसका उद्देश्य भारत वर्ष में औषधीय पौधों की कृषि को बढ़ावा देना है।*

भारत एक साधन सम्पन्न कृषि प्रधान देश है मगर यहां के निवासी निर्धन हैं। भारत की लगभग 64 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से अपनी आजीविका चलाती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि 1950–51 और 1960–61 के दौरान कृषि का सकल देशी उत्पाद में भाग 52 से 53 प्रतिशत की बीच था, चाहे यह गिर रहा था परंतु जैसे ही औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने गति प्राप्त की कृषि के भाग में तीव्र गिरावट आई और यह 1996–97 में 26 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गया। भारत के निवासियों की गरीबी का यही मुख्य कारण है।

यहां पर जोतों का आकार छोटा होने के कारण अधिकांशतः कृषि श्रमिक ही हैं और औसत रूप से एक भारतीय कृषि श्रमिक को पूरे वर्ष में 197 दिन ही काम मिलता है और 40 दिन वह निजी काम में लगा रहता है तथा बाकी के 128 दिन वह बेरोजगार रहता है। देश की आबादी का एक बड़ा भाग कृषि में लगा रहता है। जबकि इससे आय बहुत कम होती है। और इस आय के कम होने का एक प्रमुख कारण है कि यहां के कृषक परम्परागत तरीके से कृषि करते हैं। इसलिये उत्पादन कम एवं निम्न किस्म का होता है। जिसका उचित मूल्य कृषक को प्राप्त नहीं होता। अतः ऐसे में आवश्यकता है कृषि में उत्पादकता के स्तर को सुधारने की एवं ऐसी फसलों को उगाने की जिनकी देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मांग हो और उन फसलों का मूल्य भी अधिक हो तथा उत्पादन लागत कम हो।

भारत की परम्परागत कृषि को देखकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली का गठन किया गया जिसका उद्देश्य भारत वर्ष में औषधीय पौधों की कृषि को बढ़ावा देना है।

भारत में जड़ी बूटियों का पर्याप्त भण्डार था और है। हमारे आस–पास के वातावरण में हमारे बगीचों एवं खेतों में जो औषधीय पौधे पाए जाते हैं हम उन्हें खरपतवार समझकर नष्ट कर देते हैं। जड़ी–बूटियों के संबंध में भारत हमेशा से अग्रणी रहा है। भारतीय शास्त्रों में भी जड़ी–बूटियों का उल्लेख किया गया है। जड़ी–बूटियों के विश्व बाजार में भारत का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम है। जिससे 450 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती है। जिसे सन् 2010 तक 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसलिये इस समय राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली ने इस समय खेती करने के लिये वित्तीय सहायतार्थ 32 औषधीय प्रजातियों को चिहिन्त किया है।

इनमें प्रमुख हैं :– 1. आंवला, 2. अशोक, 3. अश्वगन्धा, 4. अतीस, 5. भूमि अमलकी, 6. चन्दन, 7. गिलोय, 8. चिरायता, 9. गुड़मार, 10. गुग्गुल, 11. इसबगोल, 12. जटमांसी, 13. सेमल मूसली, 14. कांटा करंज, 15. कौंच या कैवाच, 16. मुलैठी, 17. मुश्कदाना, 18. कुचला, 19. सनाय, 20. सर्पगन्धा, 21. सफेद मूसली, 22. शतावरी, 23. कलिहारी, 24. कालमेघ, 25. सदाबहार, 26. जैट्रोफा (रतनजोत), 27. कुटकी, 28. मकोय, 29. तुलसी, 30. सेमल मूसली, 31. बेल, 32. कुट।

उपर्युक्त औषधीय पादपों के अतिरिक्त भी उन पादपों के कृषिकरण के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं जिनकी खरीद सुनिश्चित हो और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग हो।

वित्तीय सहायता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) नई दिल्ली द्वारा गठित 'नेशनल मेडिसनल प्लांट्स बोर्ड' औषधीय पौधों की कृषि करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कि अधिकतम 9

लाख रुपये है। जो कृषक 2 हैक्टेयर से कम खेती करना चाहते हैं उनके लिये 50 प्रतिशत, 2 से 10 हैक्टेयर तक की खेती पर 40 प्रतिशत तथा 10 हैक्टेयर से अधिक खेती पर 30 प्रतिशत तक का प्रावधान है।

इस वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिये निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –

1. प्रोजेक्ट रिपोर्ट
2. भूमि के कागजात (जिस पर कृषि करना चाहते हों)
3. राज्य स्तरीय औषध पादप मण्डल में पंजीकरण
4. परियोजना व्यय का कम से कम 10 प्रतिशत बैंक से ऋण आवश्यक
5. फसल बिक्री का अनुबन्ध।

अतः कृषकों को चाहिये कि वह भारत सरकार की वित्तीय सहायता का पूरा–पूरा लाभ उठाए और वृहद पैमाने पर जड़ी बूटियों की खेती कर अधिकतम लाभ उठाए।

औषधीय पौधों की कृषि की आवश्यकता

विश्व व्यापार में भारत का अंश लगभग एक प्रतिशत है जिसमें औषधीय पौधों से निर्मित उत्पाद का व्यापार लगभग 3,00,000 करोड़ रुपये का है। अमेरिका में सबसे अधिक मांग ग्वार पाठा की है। अमेरिका में लोग सीधे ही इनका सेवन करते हैं, जबकि यहां पर दवाओं के रूप में। अतः औषधीय पादपों की अच्छी प्रजाति तकनीकी, गुणात्मक लाभ, उपयुक्त समय तथा लागत को ध्यान में रखकर इनकी खेती की जानी चाहिए। जिससे लाभ अधिक हो सके।

आज लोगों का ध्यान आयुर्वेद एवं प्राकृतिक जड़ी–बूटियों से बनी दवाओं एवं कास्मेटिक्स वस्तुओं की ओर आकर्षित हुआ है। टी.वी. पर आने वाले सभी विज्ञापन चाहे वह साबुन का हो पेस्ट का हो या पाउडर का सभी आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों से बने होने का दम भरते हैं। औषधीय पादप निर्मित उत्पाद का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। इसलिए औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे इसके निर्यात को अधिकतम किया जा सके।

भारत की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में चला जाता है। अतः भारत में 'रतनजोत' (जैट्रोफा) पैदा करके वैकल्पिक रूप से डीजल पैदा किया जा सकता है जिससे हमारे आयात में कमी होगी।

एक रिपोर्ट के अनुसार इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन और रेलवे ने वैकल्पिक ईंधन स्रोत तैयार करने के लिये रेल की पटरियों के दोनों तरफ रतनजोत के पौधे उगाने का समझौता किया है। रेलमंत्री नीतिश कुमार ने बजट भाषण में यह जानकारी दी कि रतनजोत के पौधों से कम खर्चीली शोधन प्रक्रिया से बायो डीजल निकाला जा सकता है। जिसे रेल इंजनों के प्रयोग में लाया जा सकता है।

कैसे करें औषधीय पौधों की खेती

औषधीय पौधों की खेती करने से पहले निम्न बातों की अच्छी तरह जानकारी कर लें।

1. जड़ी–बूटी की खेती करने से पहले किसी सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन आदि में रूचिपूर्वक भाग लें एवं इससे संबंधित जो भी साहित्य उपलब्ध हो अच्छी तरह अध्ययन करें।
2. जो लोग पहले से इसकी खेती कर रहे हैं विनम्रता पूर्वक पहले उनके अनुभवों को सुने एवं उनकी खेती का अच्छी तरह अवलोकन करें।
3. जड़ी–बूटियों की कृषि करने से पहले इस क्षमता का आकलन कर लें कि आप कितना समय एवं धन लगा पायेंगे। इसी हिसाब से कृषि करें।
4. जिन फसलों की आप खेती करने जा रहे हैं। पहले यह मालूम करें कि उस फसल के उत्तम बीज एवं प्लांटिंग मैटीरियल बाजार में उपलब्ध है या नहीं और उत्पादित माल के लिये भी खरीददारों से स्पष्ट बात कर लें।
5. यह जानकारी रखें कि आप जिस जड़ी–बूटी की खेती करने जा रहे हैं वह बाजार में किस रूप में बिक रही है। जैसे जड़, तना, पत्ती, फल या पंचांग।
6. गहन अध्ययन करने के बाद 3 या 4 फसलों का चयन करें एवं अपना पूरा ध्यान इन्हीं फसलों के कृषि–करण पर लगा दें और उनको लगाने की तैयारी करें।
7. जिन औषधीय पौधों की आप खेती करना चाहते हैं उसके लिये पहले यह देख लें कि आप की भूमि उसके लिये उपयुक्त है अथवा नहीं।
8. जड़ी–बूटियों के बीजों का कोई प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है। अतः आपको किसी अन्य किसान की तैयार फसल का पहले से अवलोकन करके उत्तम बीज प्राप्त करना होगा।
9. जड़ी–बूटी की खेती में रसायनिक खादों का उपयोग बिल्कुल न करें

तालिका–1

प्रजाति	लागत प्रति हैक्टेयर	उत्पादन से प्राप्त धन	कुल लागत	अवधि
1. सर्पगन्धा	19,000	60,000	41,000	18 माह
2. इसबगोल	18,000	37,000	19,000	12 माह
3. सनाय	4,300 (प्रथम वर्ष)	15,000	10,700	12 माह
4. सदाबहार	6,000	20,500	14,500	12 माह

देसी खाद का ही प्रयोग करें और यदि आप स्वयं खाद बनाते हों तो सबसे अच्छा हो।

10. निर्यात के लिये प्रतिबंधित जड़ी–बूटियां जो आपके क्षेत्र में हो सकती है। उनकी खेती करें तो यह ज्यादा लाभप्रद होगा क्योंकि इन जड़ी–बूटियों को जंगलों से तो प्राप्त नहीं किया जा सकता जबकि इनकी खेती करके दौलत और शोहरत दोनों कमाए जा सकते हैं।
11. जड़ी–बूटी की खेती पहले प्रयोग तौर पर कम भूमि पर करें। सफल होने पर वृहद पैमाने पर उत्पादन करें।
12. यह पता अवश्य करें कि इसके लिये बाजार कहां–कहां है और कहां पर उचित मूल्य पर उत्पादित माल बिकता है।

जड़ी–बूटियों की खेती से मुनाफा

कुछ प्रमुख फसलों के अर्थशास्त्र पर तालिका–1 के माध्यम से दृष्टि डालें तो औषधीय फसलों का लाभ पता चलता है।

औषधीय पौधों की खेती के लाभ

1. जड़ी–बूटी की खेती करने के लिये अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती (कुछ फसलों को छोड़कर) प्राकृतिक रूप से सिंचाई ही पर्याप्त होती है।
2. जड़ी–बूटियों की खेती को जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अतः इसकी सुरक्षा पर व्यय भी कम आता है।
3. अधिकतर फसल बहुवर्षीय होती है जो एक बार बोने के बाद कई वर्षों तक लगातार फसलें देती रहती है।
4. इनके लिये रसायनिक खाद एवं दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनमें बीमारियां नहीं लगती।
5. औषधीय पौधों की कई फसलों को एक साथ बोया जा सकता है जो अलग–अलग समय पर लगातार आय की प्रदान करती रहेंगी।
6. जड़ी–बूटियों की खेती को बंजर भूमि में भी उगाया जा सकता है क्योंकि इनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है।
7. जिस जमीन का आज तक कोई उपयोग नहीं हो पाया इनसे उस जमीन में भी पैदावार प्राप्त की जा सकती है।
8. जड़ी–बूटियों की खेती को बगीचों में जो खाली जगह रह जाती है एवं पेड़ों के नीचे भी उगाया जा सकता है क्योंकि कुछ पौधे छाया में ही हो जाते हैं।
9. खेतिहीन मजूदर भी जंगलों में जड़ी बूटियों को इकठ्ठा कर बाजार में बेचकर पैसा कमा सकते हैं।
10. युवा वर्ग भी जड़ी–बूटी की खेती कर अधिक मुनाफा कमा सकता है। क्योंकि इनमें जोश और शोध दोनों की आवश्यकता होती है जो युवाओं में पर्याप्त होता है। ❑

(लेखक औषधीय पादप कृषिकरन परियोजना (अलीगढ़) में कार्यरत हैं।)

VAID'S ICS

The IAS Life-Line since 1985

WHY JOIN VAID'S

- Highly qualified and experienced teachers instrumental in the success of toppers like Sunil Barnwal (Ist in IAS '96), Nilesh, Manish, Peeyush (7th, 8th & 9th in IAS '96), Rajiv, Brijendra (4th & 9th in IAS '97), Ajay Shukla, Nidhi Pandey (5th & 12th in IAS 2000), Krishan Garg (11th in IAS 2001) & Amrita Soni (17th in IAS 2002).
- Fee at least 30% less than other popular Institutes.
- Max. 50 seats per batch.
- Emphasis on development of answer-writing skills.
- Conducive environs.
- Subjects : Essay, GS, History, Geog., Pub. Admn., Pol. Sc., Socio., Hindi Litt., Botany, Zoology, Psychology & Anthro.
- English and Hindi Medium.

Two More feathers in our cap. Mr.Manoj Chander & Mr. Rajiv have secured I & III ranks respectively in HAS —Congrats!

Remember! there were only FIVE vacancies this year

Exclusive Three week batch for RAS Anthro. Starting Dec. 15

Postal Courses Available

Pre. : GS, History, Geography, Socio. & P.A.
Mains : GS, History, Geography, Pub. Admn., Pol. Science, Anthropology & Hindi Litt.

English and Hindi Medium

Fresh Mains/Mains-cum-Prelims Batches

Regular Classes Start : Dec. 10 & 25, 2003
Prelims Batches Start : Jan. 15, 2004

Address for Correspondence: AG 317, Shalimar Bagh, Delhi-110088

Classes at: 2648, Hudson Line, Kingsway Camp, Delhi-9

Ph.: 27471544, 27474577, 27426324

For Information Bulletin send Rs. 50/- by DD/MO favouring VAID'S ICS at the Correspondence Address

अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियां और भारत का सूती वस्त्र उद्योग

❍ रवि कुमार दाधीच

भारत में कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार की दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा स्थान हैं। यह उद्योग श्रम प्रधान होने के कारण भारत जैसे श्रम प्रधान देश में अपनी अहमियत रखता है। वर्तमान में, सूती वस्त्र उद्योग कुल घरेलू उत्पादन (जी.डी.पी.) में 4 प्रतिशत का योगदान कर रहा है, औद्योगिक उत्पादन में इसका हिस्सा करीब 20 प्रतिशत है, साथ ही निर्यात् से प्राप्त कुल आय का एक तिहाई भाग इसी उद्योग से प्राप्त हो रहा है।

प्राचीनकाल से ही भारत, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केन्द्र रहा है तथा विश्व में मानव की इस कपड़ा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता रहा है। भारत को कपास की जन्मभूमि एवं सूति वस्त्र उद्योग का जन्मदाता कहा जाता है। इस उद्योग ने देश में रोजगार प्रदान करने तथा निर्यात् में प्रमुख भूमिका निभाने के कारण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है। वर्तमान में, इस उद्योग में 3 करोड़ 80 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त किये हुए हैं। भारत में, कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार की दृष्टि से इस उद्योग का दूसरा स्थान हैं। यह उद्योग श्रम प्रधान होने के कारण भारत जैसे श्रम प्रधान देश में अपनी अहमियत रखता है। वर्तमान में, सूती वस्त्र उद्योग कुल घरेलू उत्पादन (जी.डी.पी.) में 4 प्रतिशत का योगदान कर रहा है, औद्योगिक उत्पादन में इसका हिस्सा करीब 20 प्रतिशत है, साथ ही निर्यात् में प्राप्त कुल आय का एक तिहाई भाग इसी उद्योग से प्राप्त हो रहा है। जबकि आयात खर्च में इस उद्योग का केवल 8 प्रतिशत ही हिस्सा है। आज, देश में यही एक मात्र ऐसा उद्योग है, जो कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य संबंधित उत्पाद जैसे – सिले–सिलाए वस्त्र आदि के उत्पादन तक में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है।

वर्तमान स्थिति

देश के विभाजन से सूती वस्त्र उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान के हिस्से में रूई उत्पादन क्षेत्र का 73 प्रतिशत एवं 15 कारखाने आए, जबकि भारत के हिस्से में 402 मिलें तथा शेष 14 प्रतिशत कपास क्षेत्र आया। लेकिन भारत सरकार की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किए गए सार्थक प्रयासों से यह उद्योग निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर रहा। भारत में इस उद्योग के प्रमुख क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा का पठार, दक्षिणी तमिलनाडु, पंजाब और गंगा की ऊपरी घाटी है। अनुकूल भौतिक एवं प्राकृतिक सुविधा, मिलों की अधिकता तथा कपड़े की किस्मों में विभिन्नता के कारण मुम्बई को 'सूती वस्त्रों की राजधानी', अहमदाबाद को 'पूर्व का बोस्टन' तथा कानपुर को 'मैनचेस्टर' कहा जाता है। महाराष्ट्र एवं गुजरात में देश के कुल उत्पादन का आधा सूत एवं दो तिहाई वस्त्र तैयार होता है।

भारत सरकार ने 6 जून, 1985 को पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस राष्ट्रीय वस्त्र नीति का प्रमुख उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार एवं अच्छी किस्म का कपड़ा उपलब्ध करवाना था। इसी समय बीमार मिलों के पोषण व आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (एन.टी.सी.) की स्थापना की, लेकिन लागत में अधिकता तथा पुरानी मशीन के कारण एन.टी.सी. इसमें सफल नहीं हो सकी। 2 नवम्बर, 2000 को भारत सरकार ने दूसरी राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा की, जिसका मूल उद्देश्य कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देना तथा इस उद्योग को अधिक से अधिक लाभदायी बनाना है। आज सरकारी प्रोत्साहन, सुदृढ़ नियोजन एवं प्रबंध से यह उद्योग देश में सबसे बड़ा संगठित उद्योग है।

उत्पादन

विश्व में, वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से

संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत वस्त्रों के निर्यात् की दृष्टि से तीसरा तथा उपयोग की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। स्वतंत्रता के बाद से देश का सूती वस्त्र उद्योग निरन्तर विकास की ओर अग्रसर रहा है। वर्ष 1950–51 में तकुओं की कुल संख्या मात्र 1.1 करोड़ थी, जो वर्तमान में बढ़कर 4 करोड़ हो गई है। वर्ष 1950–51 में देश में सूत कताई मिलों की संख्या 378 थी, जो बढ़कर 1782 हो गई, इनमें 1439 मिलें निजी क्षेत्र में 192 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 151 सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। देश में मानव निर्मित रेशों और धागों का उत्पादन जो वर्ष 1980–81 में 207 मिलियन किलोग्राम था, वर्ष 1996–97 में 34838 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 1997–98, 1999–2000 व 2000–2001 में क्रमशः 37441, 39208 एवं 40233 मिलियन वर्गमीटर उत्पादित हुआ। वर्ष 2001–2002 में 42034 मिलियन वर्ग मीटर कुल कपड़ा उत्पादित हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता तथा विश्वव्यापी मंदी को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2002–2003 में 31609 मिलियन वर्गमीटर कपड़े का कुल उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा हैं। यह तालिका–1 से ज्ञात हो रहा है।

वर्तमान में, भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धता 31.98 मीटर हो गई है जाकि 2000–2001 में 31.61 मीटर तथा 1996–97 में 29.3 मीटर थी। आजादी के समय प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धता 15 मीटर से भी कम थी। देश में कपड़े के कुल उत्पादन में मिल क्षेत्र की तुलना में विद्युत करघा क्षेत्र का हिस्सा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2000–2001 में कपड़े के उत्पादन में मिल और विद्युत करघों का हिस्सा 4.1 एवं 75.5 प्रतिशत रहा शेष 20.4 प्रतिशत हिस्सा हथकरघा क्षेत्र का रहा है। सन् 2001–2002 में मिल क्षेत्र का हिस्सा 3.7 एवं विद्युत करघों का 76.8 प्रतिशत हिस्सा रहा। शेष 19.5 प्रतिशत हिस्सा हथकरघों का रहा। वर्ष 2002–2003 में भी मिल क्षेत्र की तुलना में विद्युत में विद्युत करघों का हिस्सा अधिक रहने का अनुमान है। जैसा कि तालिका–2 से स्पष्ट हो रहा है।

निर्यात व्यापार

अर्वाचीन काल से, भारतीय वस्त्रोद्योग निर्यात् प्रधान रहा है। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग से कुल निर्यात् आय का एक तिहाई हिस्सा प्राप्त हो रहा है इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत संबल मिल रहा है। वर्ष 1996–97 में कपड़े का निर्यात 9.91 अरब डालर का था, जो वर्ष 1999–2000 में बढ़कर 11.26 अरब डालर हो गया। अगर इसमें पटसन, नारियल रेशे एवं हस्तशिल्प वस्तुओं को सम्मिलित कर लिया जाये तो यह क्रमशः 11.72 अरब डालर व 1999–2000 में 13.32 अरब डालर तक पहुंच गया था। कपड़े के कुल निर्यात् में सिले–सिलाये वस्त्रों का कुल हिस्सा 41 प्रतिशत रहा है। सन् 2000–2001 एवं 2001–2002 में कपड़े का कुल निर्यात् क्रमशः 10552.54 एवं 9444.41 मिलियन डॉलर (यू.एस.) रहा हैं। अक्टूबर 2002 तक कुल निर्यात् 6058.96 मिलियन डॉलर (यू.एस.) हुआ। भारतीय वस्त्रों के सबसे बड़े ग्राहक रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैण्ड, हांगकांग, सूडान, जर्मनी, जापान, बंगलादेश आदि हैं। इसके अतिरिक्त इग्लैण्ड, नेपाल, इथोपिया, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस, ईरान, नाईजीरिया, इण्डोनेशिया, सउदी अरब आदि भी भारतीय वस्त्र एवं धागों का आयात करते हैं।

वर्तमान में विश्वव्यापी मंदी एवं यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन में आई गिरावट के कारण वस्त्र निर्यात वृद्धि दर में कमी आई है। इसके अलावा पूर्वी एशियाई देशों में मंदी तथा मौद्रिक संकट एवं चीन के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण निर्यात व्यापार में पर्याप्त अनुकुल वृद्धि नहीं हो पा रही है। गत दो वर्षों में जर्मनी ने भी रंजक के

तालिका–1

सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन – (मिलियन वर्ग मीटर)

क्षेत्र	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03 अनुमानित
मिल	1957	1948	1785	1714	1670	1546	1160
पावरलूम (होजरीसहित)	24,885	27,345	26,966	29,561	30,499	32,259	24,163
हैण्डलूम	7,456	7,603	6,792	7,352	7,506	7,585	5,803
अन्य	540	545	584	581	558	644	483
कुल उत्पादन	34,838	37,441	36,127	39,208	40,233	42,034	31,609

स्रोत : इकोनोमिक्स सर्वे – 2002–2003 – भारत सरकार, नई दिल्ली

तालिका–2

सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन – (प्रतिशत में)

क्षेत्र	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03 अनुमानित
मिल	5.6	5.2	4.9	4.4	4.2	3.7	3.7
पावरलूम (होजरीसहित)	71.4	73.0	74.7	75.3	75.7	76.8	76.4
हैण्डलूम	21.4	20.3	18.8	18.8	18.7	18.4	18.4
अन्य	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5
कुल उत्पादन	100	100	100	100	100	100	100

स्रोत : इकोनोमिक्स सर्वे – 2002–2003 – भारत सरकार, नई दिल्ली

प्रयोग के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इससे भी निर्यात् व्यापार में कमी हुई।

सरकारी प्रयास एवं प्रोत्साहन

इस उद्योग को विकसित करने, देश के निर्यात् में इसकी भागीदारी को बढ़ाने, हाथकरघों को विकसित करने, रेडीमेड गारमेन्ट्स के निर्यात् को बढ़ावा देने, पटसन उद्योग को सुरक्षित एवं विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जून 1985 को पहली राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा की। उसके बाद 2 नवम्बर, 2002 को देश की दूसरी राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा हुई। जिसका प्रमुख उद्देश्य रेडीमेड गारमेन्ट्स के निर्यात् को बढ़ावा देना तथा इस उद्योग को अधिकाधिक लाभकारी बनाना रहा हैं। नई वस्त्र नीति के अंतर्गत वर्ष 2010 तक कपड़ा और रेडीमेड गारमेन्ट्स के 11 अरब डालर के निर्यात को बढ़ाकर 50 अरब डालर करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रेडिमेड गारमेन्ट्स को आरक्षण सूची के हटाना, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोजन की 24 प्रतिशत की अधिकतम् सीमा समाप्त करना, बुनकारों के हितों की रक्षा करना, कताई के क्षेत्र में नई तकनीकी विधिओं की खोज और प्रयोग करना, कपड़ा उद्योग के लिए वित्तिय प्रबंध, जोखिम पूंजी कोष की स्थापना, वस्त्र उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करने पर बल दिया गया है। गत वर्ष 2001–2002 में सरकार ने हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु स्वयं सहायता समुहों और बचत तथा श्रम समितियों के निर्माण एवं कामगारों को शिल्प समूहों के रूप में संगठित करने के लिए 'बाबा साब हस्तशिल्प विकास योजना' प्रारम्भ की है। हथकरघा क्षेत्र में 'दीनदयाल हथकरघा योजना' के संचालन को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

चुनौतियां एवं निराकरण

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के प्रारम्भ में इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिये जाने से निर्यात व्यापार बढ़ा जिससे

तालिका–3

कपड़ा उद्योग का निर्यात् – व्यापार – मिलियन डॉलर (यू.एस.)

विषय–वस्तु	2000–01	2001–02	अप्रैल–अक्टूबर 2001	अप्रैल–अक्टूबर 2002	अप्रैल–अक्टूबर 2002 (प्रतिशत)
रेडीमेड गारमेन्ट	5087.04	4099.09	2627.26	2932.59	11.6
सूती वस्त्र	3509.08	3040.19	1865.97	1935.44	3.7
वूल और वूलन	359.47	289.09	205.90	167.03	(–) 18.9
हस्तकरघा निर्मित वस्त्र	1095.13	1089.62	646.07	781.91	21.00
सिल्क	501.82	433.39	244.16	241.98	0.9
कुल	10556.54	9444.46	5589.36	6058.96	

स्रोत : इकोनोमिक्स सर्वे – 2002–2003 – भारत सरकार, नई दिल्ली

IAS 2003-04

D. KUMAR'S MODULAR

सामान्य अध्ययन

इतिहास एवम अर्थशास्त्र

Next Batch of

Indian Economy

From 10th Dec. 2003

Courses Available:

- IAS PT cum MAINS 2004
- PCS U.P. & Rajsthan
- Foundation Course 2004

Both Hindi & English Medium

ORIGIN

IAS STUDY CENTRE

2041,OUTRAM LINES, DELHI-9

PH: 011- 27444189, 32347048 & 9811599917

e-mail: dkumarorigin@hotmail.com

Abhivyakti/Org006

वस्त्र उद्योग के लिए ऋण संरचना कोष स्थापित होगा

कर्जों में फंसी वस्त्र इकाईयों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार वस्त्र उद्योग के लिए ऋण संरचना कोष स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस कोष की स्थापना कर वस्त्र इकाईयों को ऋण दिया जा सकेगा ताकि बाजार के उछाल को वापस लाया जा सके। केंद्रीय वस्त्र मंत्री, शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वर्ष 2005 में कोटा प्रणाली के समाप्त हो जाने के बाद भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व की प्रतिस्पर्द्धा में बनाए रखने के लिए भारत सरकार कदम उठाएगी। भारत को वर्ष 2005 में खुला बाजार मिल जाएगा, लेकिन विशेष रूप से चीन के साथ हमें कड़ी स्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा। अतः हमें अभी से उसका मुकाबला करने को तैयार होना चाहिए।

उनका कहना है कि कोटा व्यवस्था समाप्त होने के बाद हमारा निर्यात कम न हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग की ढ़ांचागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने देश के लिए विभिन्न स्थानों में 11 अपैरल पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। ढ़ांचागत सुविधाओं के विस्तार के लिए आठ परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा गुड़गांवा में अपैरल इंटरनेशनल मार्ट और नोएडा में इंजिया एक्सपोजीशन मार्ट में एक ही जगह में सब कुछ मिलने तथा स्थायी प्रदर्शनी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य तेज गति से चल रहा है।

सरकार ने सिलेसिलाए वस्त्र तथा कपड़े का निर्यात वर्ष 2010 तक बढ़ कर 50 अरब डालर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित कर सतत प्रयास कर रही है। जिसमें सिलेसिलाए वस्त्रों का हिस्सा 25 अरब डालर होगा। पर यह व्यापार, उद्योग और सरकार के समन्वित प्रयासों से ही संभव होगा। देश का विकास सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही वास्तविक इंडियन टैक्सटाइल के विकास से संभव है।

वर्ष 1995 तक इस उद्योग ने तेजी से विकास किया। वर्ष 1995 में पश्चात् मूलभूत ढांचे एवं सुदृढ़ संगठन के अभाव में यह उद्योग मंदी की गिरफ्त में आ गया। लागत में वृद्धि, मांग में कमी, कार्यशील पूंजी का अभाव, निरन्तर बढ़ती श्रमिक आवास समस्या, वित्तिय संकट के कारण पुरानी मशीनों का आधुनिकीकरण नहीं हो पाना, विकसित देशों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गत 4–5 वर्षों छाई विश्वव्यापी मंदी ने इस उद्योग को कठिनाई की गिरफ्त में ले रखा है। इस क्षेत्र से जुड़ी कम्पनियों के अंशों में न तो अनुकूलता नजर आ रही है और न ही नए निवेशक संशय के कारण निवेश के इच्छुक है।

भविष्य में भी सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में कष्टप्रद हो सकती है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के प्रावधानों के अनुसार 2004 के पश्चात् बहु–तन्तु संधि के अधीन मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने होगें, जिसके तहत् सीमा शुल्क घटाने के चरणबद्ध प्रयास करने होगें। यह प्रतिबंध हटते ही घरेलू बाजार में आयातित कपड़े की बहुतायत हो जाएगी क्योंकि चीन, हांगकांग, ताईवान, दक्षिण कोरिया, जापान, इण्डोनेशिया आदि अन्य देश अपना कपड़ा बेच सकेगें। इसकी शुरुआत अभी से दिखाई देने लगी है।

अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार ने उदारीकरण के युग में बदलते औद्योगिक परिवेश में सूती वस्त्र उद्योग को विकसित एवं लाभकारी बनाने के अनेक उपयोगी कदम उठाने प्रारम्भ कर दिये, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। सर्वप्रथम–

- अच्छे किस्म की कपास के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा ताकि इसके आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके।
- मिलमालिकों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता की कपास निरन्तर उपलब्ध करवानी होगी। इससे यह उद्योग प्रतिस्पर्द्धा की कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम बन सकेगा।
- समुचित उत्पादन के लिए पर्याप्त और नियमित विद्युत आपूर्ति एवं सभी राज्यों के लिए समान विद्युत शुल्क की व्यवस्था करना आवश्यक है।
- उत्पादन शुल्क की ऊंची दरों में कमी एवं श्रमिकों की समस्याओं के समाधान और उसके कल्याण हेतु श्रम कानूनों में समय–समय पर संशोधन और परिमार्जन करना अति आवश्यक है, क्योंकि यह उद्योग श्रम प्रधान है।
- बंद मिलों को चालू करने तथा रूग्ण मिलों को अति आधुनिक रूप प्रदान करने, करों, विपणन तथा प्रदूषण रोकथाम संबंधी सरकारी नियमों को सरल और व्यावहारिक बनाना आवश्यक है।

आधुनिकतम् प्रौद्योगिकी के प्रयोग और सर्वोतम प्रबंध व्यवस्था से इस उद्योग की कार्यक्षमता एवं कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा सरकार ने हाथ–करघा बुनकरों को तकनीक और विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विपणन के क्षेत्र में एक नई समेकित हाथ करघा संवर्द्धन योजना की शुरुआत की गई है। लेकिन आज आवश्यकता है इन सब प्रयासों को वास्तव में कठोरता के साथ लागू करने की। जिससे यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बदलते औद्योगिक परिवेश में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके, साथ ही सूती वस्त्र उद्योग के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार किया जा सके। तभी यह उद्योग वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के वातावरण में देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में और अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। ❑

(व्यवसाय प्रशासन विभाग
राजकीय बांगड स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय
पाली (राज.))

3 दिसम्बर, विश्व विकलांग दिवस पर विशेष

विकलांगों के कल्याण हेतु सरकारी प्रयास एवं संचालित योजनाएं

○ उमेश चन्द्र अग्रवाल

विकलांगता और विकलांगों के प्रति सरकार और समाज के दृष्टिकोण में एक मौलिक परिवर्तन आया है और सरकार एवं समाज द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि विकलांगजन समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में पहचान पा सकें और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने की स्थिति में भी पहुंच सकें।

विकलांगता के बारे में सोचना तक किसी भी व्यक्ति के लिए काफी कष्टकारी स्थिति होती है और शायद इसी वजह से मानव सभ्यता के विकास के प्रारम्भिक चरण से ही विकलांगजनों के कल्याण हेतु विभिन्न स्तरों से विभिन्न प्रयास किए जाने को विशेष मान्यता दी जाती रही है। प्राचीन समय में लोग विकलांगों के भरण–पोषण हेतु दान–अनुदान अपना कर्तव्य मानते थे। बाद में नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक विचारों के फलस्वरूप विकलांगों का यथासम्भव उपचार करने तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाकर समाज में यथोचित स्थान उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी और सरकारी प्रयासों में तेजी लाने की कोशिशें की गईं। फलतः विकलांगता और विकलांगों के प्रति सरकार और समाज के दृष्टिकोण में एक मौलिक परिवर्तन भी आया और सरकार एवं समाज द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि विकलांगजन समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में पहचान पा सकें और समाज के विकास में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान करने की स्थिति में भी पहुंच सकें।

देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या के बारे में यदि आकलन किया जाए तो यह संख्या काफी बड़ी है। योजना आयोग के अधीन **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली** द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में देखने, सुनने, बोलने और चलने–फिरने में बाधित लोगों की संख्या हमारी कुल जनसंख्या का 1.9 प्रतिशत है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक विकलांगता एक हजार लोगों में 20 के अनुपात से तथा शहरी क्षेत्रों में 16 व्यक्ति प्रति हजार पाई गई है। इसी प्रकार 14 वर्ष की आयु तक मंद मानसिक विकास वाले व्यक्ति लगभग 3 प्रतिशत पाए गए। कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के बारे में इस संगठन का अनुमान है कि उनकी संख्या लगभग 40 लाख है जिसमें 20 प्रतिशत बच्चे हैं। सर्वेक्षण में प्रतिवर्ष विकलांगता के नए मामलों के बारे में अनुमान लगाया गया है कि इनकी संख्या प्रतिवर्ष लगभग 7.5 लाख है। इस प्रकार आमतौर पर देश की कुल जनसंख्या का लगभग 5 फीसदी हिस्सा किसी न किसी विकलांगता का शिकार है। शिक्षा और साक्षरता की दृष्टि से भी सर्वेक्षण में विकलांगों की स्थिति काफी शोचनीय बताई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत विकलांग बच्चे निरक्षर हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में निरक्षर विकलांगों का प्रतिशत 46 बताया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 4 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 12 प्रतिशत विकलांग बच्चे माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। स्वाभाविक ही है कि शिक्षा के उच्च स्तर तक विकलांगों की पहुंच और भी कम रही है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा विकलांगों के

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर, आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

SIHANTA'S I.A.S

विषय : इतिहास

–रजनीश राज

विशिष्ट पहलू : हम आपको पढ़ाते ही नहीं तैयार करते हैं,

कैसे?

☞ समेकित सामग्री, मैप व संक्षिप्त प्रश्न पर विशेष बल।

☞ 150 सवालों का आलोचनात्मक मुल्यांकन

☞ निरन्तर व आकस्मिक टेस्ट के द्वारा

☞ जानिए कि एक-एक अंक कैसे मिलता है।

P. T. की तैयारी तथ्यों के अम्बार से नहीं तकनीकी रूप से,

कैसे?

समुचित सामग्री

☞ तथ्यों का तिथिगत एवं प्रवृतिगत विश्लेशण

☞ किसी भी अध्याय में सवाल कहाँ से बनते हैं।

☞ वैज्ञानिक तरीके से पुनरावलोकन, कैसे?

☞ 30 टेस्ट, निरन्तर Quiz, टेस्ट के बाद विशद् विश्लेषण।

अतिरिक्त (निःशुल्क) : निबन्ध, साक्षात्कार, सामान्य अध्ययन की रणनीति, व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण।

Address : 632, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi.
Phones : 9810969605, 9891655951

कल्याणार्थ अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें केन्द्र सरकार द्वारा विकलांगजन अधिनियम, 1995 का निर्माण और उसका क्रियान्वयन, सरकारी सेवाओं में उन्हें आरक्षण की व्यवस्था, रेलगाड़ियों में यात्रा की विशेष छूट के प्रावधान, कई राज्यों की परिवहन निगमों की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा, उनके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष पुनर्वास सेवाओं की सुविधा, विकलांगों की स्थिति सुधारने और उनकी समस्याओं पर गौर करने के लिए राष्ट्रीय विकलांग आयोग की स्थापना, विकलांगों के कल्याण में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता, विशेष चिकित्सा हेतु विशेष मेडिकेयर सुविधाओं की व्यवस्था तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के माध्यम से विकलांगों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। विकलांगजनों के प्रति समाज का ध्यानाकर्षण करने, उनकी समस्याओं की पहचान और उनके निराकरण हेतु समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष **3 दिसम्बर** को **विश्व विकलांग दिवस** का आयोजन भी किया जाता है।

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को कल्याण सेवाओं का समग्र पैकेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा उनकी विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों आदि की स्थापना की गई है। इन संस्थानों में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून; राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान; कोलकाता, अलीथोवर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान; मुम्बई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान; सिकन्दराबाद, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान; कटक शारीरिक विकलांग संस्थान; नई दिल्ली तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण विभाग, कानपुर; राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली जैसे संस्थान और निगम कार्यरत हैं। इनमें से राष्ट्रीय संस्थानों का मुख्य उद्देश्य मानव शक्ति के विकास, पुनर्वास हेतु सेवा कार्यक्रमों को मॉडल विकसित करना, दूर–दराज के क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच के अतिरिक्त विकलांगता के विभिन्न क्षेत्रों में शोध और विकास के कार्यक्रमों का संचालित करना है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण विभाग, कानपुर द्वारा अस्थिरोग तथा दृष्टिहीनता से बाधित लोगों हेतु उपकरणों का विकास, उत्पादन तथा विपणन सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं जबकि राष्ट्रीय विकलांग, वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा विकलांगों में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विकलांग व्यक्तियों को कानूनी रूप से समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक व्यापक कानून का निर्माण भी किया गया है जिसे **विकलांगजन अधिनियम, 1995** कहा गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य स्तर पर विकलांगों के पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम जैसे– शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाधा रहित परिवेश का निर्माण, विकलांगों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान, संस्थागत सेवाएं और बेरोजगारी भत्ता तथा शिकायतों का निदान जैसे सहायक सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया गया है। इस अधिनियम को संसद द्वारा 12 सितम्बर, 1995 को पारित किया गया तथा 7 फरवरी, 1996 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम को 14 अध्यायों में विभाजित किया गया है जिनमें विकलांगों के लिए विविध प्रावधान किए गए हैं।

अधिनियम के अध्याय–1 के अनुसार 7 प्रकार की विकलांगताओं को चिह्नित किया गया है जो दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टि, कुष्ट रोग से उपचारित, श्रवण दोष, चलन विकलांगता, मानसिक रूग्णता और मानसिक मन्दता हैं। अध्याय–2 में अधिनियम के प्रावधानानुसार केन्द्र सरकार के समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति गठित किए जाने की व्यवस्था है। अध्याय–3 में केन्द्रीय समन्वय समिति के अनुरूप प्रत्येक राज्य में एक राज्य समन्वय समिति गठित किए जाने का प्रावधान है। इसके परिपालन में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य समन्वय समिति एवं राज्य कार्यकारी समिति का गठन करके इसकी नियमित बैठकें कराई जाती हैं। अध्याय–4 में विकलांगता की रोकथाम तथा समय से पहचान से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार एवं शिक्षण–प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की गई है। अध्याय–5 में अधिनियम की धारा 26 से 31 तक दिए गए प्रावधानों के अनुसार अब यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क और समुचित शिक्षा मिले। अध्याय–6 के अन्तर्गत उपयुक्त प्रकार के पदों का चिह्नीकरण, पदों का आरक्षण, विकलांगों के लिए विशेष सेवायोजन केन्द्र, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार मुहैय्या कराने के लिए योजनाएं, शिक्षण संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में कम से कम 3 प्रतिशत विकलांगों व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्राविधानित है। अध्याय–7 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि सरकार विकलांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराएगी। अध्याय–8 में विकलांग व्यक्तियों के लिए यातायात के साधनों, सड़कों, भवन एवं राजकीय रोजगार में अवरोध रहित वातावरण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अध्याय–9 में विकलांगता की रोकथाम के लिए, अनुसन्धान कार्य

को प्रोत्साहित एवं प्रायोजित करने के सम्बन्ध में प्रावधान किए गए हैं। अध्याय–10 में विकलांगों के लिए प्रतिष्ठान या संस्था चलाने वाले व्यक्तियों को संस्था के पंजीकरण की कार्यवाही किया जाना आवश्यक बनाया गया है। अध्याय–11 में अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार ऐसे लोग गम्भीर रूप से विकलांग माने गए हैं जिनमें 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता हो। अध्याय–12 में आयुक्त, विकलांगजन द्वारा मुख्य रूप से विकलांगों के अधिकारों के हनन तथा विकलांगों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में शिकायतों को सुनने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अध्याय–13 में यह व्यवस्था निर्धारित की गई है कि सरकार अपनी आर्थिक सीमाओं के आधार पर सभी विकलांगों के पुनर्वासन का भार उठाएगी तथा अध्याय–14 में प्राविधानित व्यवस्था के दुरूपयोग करने पर दो वर्ष की सजा 20,000 रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इन व्यवस्थाओं के साथ–साथ विकलांगजन अधिनियम, 1995 में इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए सरकार को सभी प्रकार के नियम और विनियम बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य आयुक्त, आयुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को लोक सेवक माना गया है।

उल्लेखनीय है कि विकलांगजन अधिनियम, 1995 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विकलांगजन अधिनियम, 1995 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए उनके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु कुछ विशिष्ट योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांगों के कल्याण एवं विकास हेतु संचालित कुछ विशिष्ट योजनाओं का विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

तालिका–1

विकलांगों हेतु संचालित विशिष्ट योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का प्रमुख उद्देश्य
1.	विकलांग पेंशन योजना	निराश्रित विकलांगों को भरण–पोषण की नियमित सुविधा उपलब्ध कराना।
2.	विकलांग छात्रवृत्ति योजना	विकलांग व्यक्तियों तथा विकलांग विद्यार्थियों को मासिक तौर पर छात्रवृत्ति प्रदान करना।
3.	कृत्रिम अंग क्रय अनुदान योजना	कृत्रिम अंग जैसे जयपुरिया फुट, चश्मा, श्रवण यन्त्र आदि क्रय करने हेतु आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना।
4.	विवाह प्रोत्साहन योजना	विकलांग व्यक्तियों को विवाह करने पर एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान करना।
5.	दुकान निर्माण योजना	विकलांग व्यक्तियों को दुकान बनाने हेतु ऋण उपलब्ध कराना तथा आर्थिक अनुदान प्रदान करना।
6.	विशिष्ट पुरस्कार योजना	प्रतिभाशाली विशिष्ट विकलांगों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना।

विकलांग पेन्शन योजना

विकलांग व्यक्तियों को नियमित रूप से भरण–पोषण हेतु निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को सरकार द्वारा वर्ष 1979–80 से प्रारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत निराश्रित, साधनहीन, शारीरिक रूप से अक्षम मूक–बधिर तथा मानसिक रूप से मन्दित विकलांग व्यक्तियों को 125 रुपए प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान ऐसे विकलांगों को अनुमन्य होता है जिनकी मासिक आय 1000 रुपए अथवा इससे कम है। ग्रामीण अथवा शहरी किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले विकलांगजन इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

विकलांग छात्रवृत्ति योजना

विकलांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके पुनर्वासन हेतु शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के अहम उद्देश्य से सरकार द्वारा विकलांग

तालिका–2

विकलांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति की दरें

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का प्रमुख उद्देश्य
1.	कक्षा 1 से 5 तक	25 रुपए प्रतिमाह
2.	कक्षा 6 से 8 तक	40 रुपए प्रतिमाह
3.	कक्षा 9 से 12 तक	85 रुपए प्रतिमाह
4.	स्नातक स्तर तक	125 रुपए प्रतिमाह
5.	स्नातकोत्तर स्तर तक	170 रुपए प्रतिमाह
6.	अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	170 रुपए प्रतिमाह

विद्यार्थियों को नियमित छात्रवृति प्रदान किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि विकलांग आर्थिक विषमताओं के कारण समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं जिसके कारण उनका जीवन स्वावलम्बी नहीं बन पाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो जाने पर वे स्वावलम्बी बनकर अपने सम्पूर्ण जीवन को बिना किसी की सहायता से समुचित प्रकार से चला सकते हैं। इस आधार पर ही सरकार द्वारा विकलांग विद्यार्थियों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को नियमित रूप से छात्रवृति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। यह छात्रवृत्ति विभिन्न स्तरों के लिए निम्नलिखित दरों पर प्रदान की जाती हैं –

कृत्रिम अंग क्रय अनुदान योजना

इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को तिपहिया साइकिल, वैशाखी, जयपुरिया बूट, चश्मा तथा श्रवण सहायक यन्त्र इत्यादि क्रय किए जाने के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है। विकलांग व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण का डाक्टरी सलाह पर क्रय कर सकते हैं और उन्हें इन अंगों तथा उपकरणों के क्रय करने पर निर्धारित सीमा तक आर्थिक सहायता अनुमन्य होती है। यह आर्थिक सहायता 50 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक प्रति विकलांग प्रदान की जाती है। विकलांगों को कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरणों की मरम्मत हेतु भी सरकार सहायता देती है जो 500 रुपए की अधिकतम सीमा तक अनुमन्य होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए 1000 रुपए मासिक आय सीमा का निर्धारण किया गया है अर्थात् इससे कम मासिक आय वालों को ही यह सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण अथवा शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

विवाह पुरस्कार प्रोत्साहन योजना

इस विशेष योजना को सरकार द्वारा 15 जुलाई, 1997 से प्रारम्भ किया गया है। योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को विवाह करने पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पुरस्कारस्वरूप निर्वाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विकलांग व्यक्तियों को योजनान्तर्गत किसी भी विकलांग व्यक्ति से अथवा सामान्य व्यक्ति से विवाह करने पर अलग–अलग पुरस्कार राशि प्राप्त होती है। योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्ति द्वारा विकलांग जन से ही विवाह करने पर 14 हजार रुपए की पुरस्कार राशि सरकार द्वारा दी जाती है अर्थात् यह पुरस्कार राशि महिला तथा पुरुषों दोनों के ही विकलांग होने की दशा में अनुमन्य होती है। यदि सक्षम व्यक्ति द्वारा विकलांग व्यक्ति से विवाह किया जाता है तो उन्हें इस योजना के अन्तर्गत 11 हजार रुपए की धनराशि सरकार द्वारा पुरस्कारस्वरूप प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में निवास करने वाले विकलांग व्यक्ति प्राप्त करने के हकदार हैं।

दुकान निर्माण योजना

विकलांगों को स्वरोजगार में स्थापित कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा दुकान निर्माण योजना को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी अपनी इच्छा व सुविधानुसार दुकान का निर्माण करा सकते हैं ताकि उन्हें अपने जीवन निर्वाह हेतु एक नियमित आमदनी प्राप्त हो सके और वे अपना जीवन सुचारू तरीके से चला सकें। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी 20 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस धनराशि में से लाभार्थी को केवल 15 हजार रुपए की ही वापसी बैंक को करनी पड़ती है। इस धनरा[illegible] पर भी अत्यन्त अल्प ब्याज अर्थात् मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक तौर पर देना पड़ता है। शेष 5 हजार रुपए सरकार द्वारा बैंक को भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार लाभार्थी को प्राप्त 20 हजार रुपए के ऋण में से 15 हजार रुपए का सरकारी अनुदान का भाग निहित रहता है। विकलांगों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना एक अनुदान योजना है जिसको विकलांगों द्वारा काफी स्वीकारोक्ति मिली है और उनके द्वारा इसे वृहद मात्रा में अपनाया जा रहा है।

विशिष्ट पुरस्कार योजना

यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली विकलांगों को प्रोत्साहित करने हेतु संचालित की गई है। योजना के अन्तर्गत दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टि, कुष्ट रोग से उपचारित, श्रवण दोषयुक्त, चलन विकलांगता, मानसिक रूग्णता और मानसिक मन्दता से ग्रसित विकलांगों को उनके द्वारा किए जा रहे है प्रयासों को आधार मानते हुए चयनित किया जाता है। इन विशिष्ट प्रतिभाशाली विकलांगों को प्रतिवर्ष विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 3 दिसम्बर को आयोजित जनसभा में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इस अवसर पर इन विकलांगों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इससे विकलांगजनों में विशेष संबल और विश्वास की भावना जागृत होती है और वे स्वयं राष्ट्र को अपनी निष्ठाओं, क्षमताओं और योगदान से समृद्ध कर पाने के लिए उत्सुक होते हैं।

विकलांगों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों तथा संचालित की गई विभिन्न योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में अब अधिक आवश्यकता इस बात की है कि इन सब प्रयासों के साथ–साथ इस पुनीत कार्य में पूरे समाज का सहयोगपूर्ण

(शेषांश पृष्ठ 46 पर)

IAS/PCS 2004-05

माध्यम
IAS STUDY CENTER
आपका विश्वास, हमारा प्रयास

प्रवेश सूचना प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा 2004-05

"Following Tradition in Success"

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2004 के लिए निम्नलिखित विषयों के सत्र दिसम्बर माह से आरंभ।

इतिहास (अजय अनुराग) (समस्याओं का अध्ययन काल का नहीं)

दर्शनशास्त्र (डॉ॰ देवेन्द्र विक्रम सिंह) (इलाहाबाद वि॰ वि॰)

सामान्य अध्ययन (संजय कुमार एवं विशेषज्ञ समूह)

संस्कृत (शिवानन्द साहेब)

भूगोल (2001 बैच के सफल प्रत्याशी)

LAW (Arun Kr. Jha)

हिन्दी साहित्य (एक विशेषज्ञ)

हमारी कार्ययोजना
- ❑ आपका नामांकन आपकी अंतिम सफलता तक।
- ❑ प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के लिए समन्वित दृष्टिकोण।
- ❑ संपूर्ण पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन।
- ❑ पूर्ण परिमार्जित अध्ययन सामग्री एवं क्लास नोट्स पर पर्याप्त निर्भरता।
- ❑ अभ्यास पर अत्यधिक बल व समयबद्ध मूल्यांकन।

विशेष :
- ❖ पत्राचार कार्यक्रम भी उपलब्ध।
- ❖ **SC/ST** प्रत्याशियों को विशेष छूट।
- ❖ छात्रावास भी उपलब्ध।

हर महीने नया बैच

IAS

सामान्य अध्ययन

PCS

प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा 2004-05

"Join to Feel the difference in GS"

सिविल - सेवा व राज्य - सेवा परीक्षा में सामान्य अध्ययन के स्वरूप का गहन अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि अब सामान्य अध्ययन पारंपरिक न रहकर एक नया रूप ले चुका है। नई पद्धति में **GS** 600 का न होकर 1100 का माना जाना चाहिए, क्योंकि निबंध ओर **Interview** भी अब पूर्णतः **GS** के अंग बन गए है। "माध्यम" में हमने इसको ध्यान में रखकर ही **GS** के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की है। जहाँ संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ ही अध्यापन करेंगे।

☐ OUR GS TEAM

● इतिहास व संस्कृति-अजय अनुराग ● भारतीय राजव्यवस्था-संजय कुमार ● भारतीय अर्थव्यवस्था-अजित कुमार ● सा॰ विज्ञान, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी-नीरज कुमार ● भूगोल-2001 बैच के सफल प्रत्याशी ● सामाजिक मुद्दे एवं समसामयिकी-संजय कुमार ● सांख्यिकी एवं मानसिक योग्यता-एक विशेषज्ञ

Contact : **Yagya N. Jha** (Director, Madhyam IAS STUDY CENTER)

B-3, Basement, Ansal Building, A-37-39, Behind SAFAL (Mother Dairy),
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009, **Ph. : 27653114, 33143492**

मानवाधिकार के प्रति जागरूकता

○ मधुरिमा

***मा**नव इतिहास के सभी समाजों और संस्कृतियों में कुछ ऐसे अधिकार और सिद्धान्त लागू रहे हैं जिनका न केवल सम्मान किया जाता था बल्कि उनका संरक्षण भी किया जाता था। इसी आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों की आवाज बुलन्द हुई।*

मानव इतिहास के सम्पूर्ण काल में सभी समाजों और संस्कृतियों में कुछ ऐसे अधिकार और सिद्धान्त लागू रहे हैं जिनका न केवल सम्मान किया जाता था बल्कि उनका संरक्षण भी किया जाता था। इसी आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों की आवाज बुलन्द हुई। प्रत्येक मनुष्य को अधिकारों के उपयोग और संरक्षण का अधिकार है। विश्व भर में सभी क्रान्तिकारी आन्दोलनों ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य के अधिकार अहरणी (अहस्तांतरणीय) और पवित्र हैं। मानवधिकारों की समकालीन संकल्पना को बींसवी शताब्दी और दो विश्व युद्धों के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। मानव इतिहास में संयुक्त राष्ट्र का आविर्भाव एक युगांतकारी घटना है।

संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र में मौलिक मानवाधिकार, मनुष्य की गरिमा एवं महत्व, स्त्री पुरुष और छोटे–बड़े राष्ट्र के समान अधिकारों में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया है। सार्वभौमिक घोषणा के बाद अन्य घोषणाएं की गई। मनुष्य के कुछ नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देते हैं। बाद में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य अधिकार घोषित किए गए। हाल में ही मानवता के लिए खतरा बनी कुछ नई समस्याओं और मुद्दों के सन्दर्भ में अन्य कई मानवाधिकार उभरे हैं ये पर्यावरण, संस्कृति और विकास से सम्बन्धित हैं। इन अधिकारों का सम्बन्ध समूहों और लोगों से है, इनमें शामिल है – आत्मनिर्णय का अधिकार और विकास का अधिकार।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवधिकारों के सम्बन्ध में प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद भी है। इन अधिकारों को मूल रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं– राजनीतिक नागरिक अधिकार

भारत के संविधान में निम्नलिखित मानवाधिकारों को सम्मिलित किया गया है–

क्र.स.	विषय	मानवाधिकार अनुच्छेद	भा.सवि. कानून
1.	कानूनी के समक्ष बराबरी	7	14
2.	धर्म, लिंग, जन्म, स्थान, जाति आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक	2 (1)	15
3.	सार्वजनिक संस्थानों में नौकरी के समान अवसर	21 (2)	16 (1)
4.	अभिव्यक्ति, सभा करने, संघ बनाने की आजादी	19, 20 (1,2) 24(4)	19 (1)
5.	दोष प्रमाणित होने से पूर्व निर्दोष माने जाने का अधिकार तथा ऐसे कार्यों के लिए सजा पाने से सुरक्षा जो उस कार्य के करने के समय कानून में अपराध नहीं हो	11 (1, 2)	20 (1)

	जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा	3,9	(21)
7.	मनुष्य के व्यापार पर एवं जबरन काम कराने पर प्रतिबन्ध।	4	23 (1)
8.	किसी भी धर्म में विश्वास करने तथा उसके प्रचार करने की आजादी, अन्तःकरण की आजादी।	18	25 (1)
9.	अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा	22	29 (1)
10.	अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्था खोलने और उनको प्रशासित करने का अधिकार।	26 (3)	30 (1)
11.	अधिकारों के हनन के संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार।	8	32,226
12.	उत्पीड़न विरोधी व्यवस्था।	5	भा.द.सं.–330, 331, कानूनी अधिकार
13.	न्यायोचित एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।	10	संवैधानिक
14.	सम्पत्ति रखने का अधिकार।	17	कानूनी
15.	सरकार में प्रत्यक्ष या प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार/वयस्क मताधिकार द्वारा सरकार बनाने का अधिकार।	21	संवैधानिक

वे अधिकार जिन्हें संविधान में स्थान नहीं मिल पाया (1996 तक)

1.	सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हों।	22	–
2.	काम का अधिकार, उचित मजदूरी का अधिकार।	23	–
3.	ऐसे जीवन स्तर का अधिकार जो व्यक्ति के जीवन स्तर के लिए आवश्यक हो–घर, भोजन, कपड़ा, बीमारी आदि से इलाज आदि का अधिकार।	25	–
4.	शिक्षा का अधिकार	26	–

और आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार। पहली श्रेणी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, घूमने–फिरने की स्वतंत्रता तथा राज्य के द्वारा कई हस्तक्षेपों से स्वतंत्रता आदि आते हैं। दूसरी श्रेणी के अधिकारों में रोजगार का अधिकार, शिक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर को बनाये रखने हेतु कपड़ा, मकान और भोजन आदि का अधिकार आता है। साथ ही साथ जीवन को विषम परिस्थितियों जैसे– बीमारी, बुढ़ापा अथवा शारीरिक अक्षमता आदि में राज्य से सुरक्षा की गारन्टी भी सम्मिलित है।

भारतीय संविधान और मानवाधिकार

भारतीय संविधान में सभी मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत मिलकर मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के समझौतो तथा आर्थिक–सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की भावना को व्यक्त करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, कि सभी भारतवासियों ने अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने का सत्यनिष्ठा के साथ संकल्प लिया है।

इन मानवाधिकारों को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्तों में समाहित करने का प्रयास किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है, कि क्या वे सभी मानवाधिकार जो व्यक्ति को मानव के रूप में जन्म लेने के कारण प्रकृति प्रदत्त हैं, वास्तव में वे उपयोग में आते भी है या नहीं। ये मानवाधिकार कई कारणों से बाधित होते हैं– एक तो मानवाधिकार विरोधी कानून बनाकर, दूसरा जानबूझ कर इनको न मानकर, तीसरा समाज की मानवाधिकार विरोधी प्रथाओं एवं गलत परम्परा का अनुकरण कर। निर्धन एवं अशिक्षित समाज में मानवाधिकारों का हनन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक हनन नारी के अधिकारों का होता है। पुलिस की ज्यादतियां भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बाल श्रमिकों का शोषण, बन्धुआ मजदूरों का शोषण, आदिवासियों का शोषण एवं विकास के नाम पर विस्थापन और जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकारों को चुनौति आदि मानवाधिकार के हनन के उदाहरण हैं।

जागरूकता क्यों?

मानव मात्र होने के कारण उसके स्वंय के विकास एवं क्षमताओं के प्रस्फुटन के लिए कई सारी व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता आवश्यक है। इन व्यवस्थाओं, दशाओं अथवा परिस्थितियों को ही व्यक्ति के मानव अधिकार के रूप में समझा जा सकता है जैसे– जीने का अधिकार। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामान्यतः मानवधिकारों के प्रति आम जनता में जागरूकता का अभाव–सा परिलक्षित होता है फलतः शोषण, अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार, लोगों के अधिकारों का हनन आदि सामान्य रूप से प्रचलित हैं। वस्तुतः देश व समाज के प्रति जागरूकता का होना आवश्यक है। जागरूक व्यक्ति से ही जागरूक समाज और राष्ट्र का निर्माण सम्भव है। संक्षेप में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की आवश्यकताओं को निम्न शीर्षकों में व्यक्त किया जा सकता है:–

- व्यक्ति के अस्तित्व के लिए
- शोषण व अन्याय के प्रतिकार के लिए
- आजीविका की प्राप्ति हेतु।
- लोगों में कर्तव्य भावना की जागृति के लिए।
- नागरिकताबोध विकसित करने के लिए।
- समाज में समानता की स्थापना के लिए।
- सांस्कृतिक सुरक्षा व संरक्षण के लिए।
- मूल्य आधारित व्यवस्था की स्थापना के लिए।
- स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हेतु।
- राष्ट्र के समग्र विकास के लिए।

जागरूकता का प्रसार कैसे?

1. ***पाठ्यक्रम में शामिल करके*** – वैसे तो "मानवाधिकार" शब्द पर्याप्त प्रचलित हो चुका है, किन्तु इसकी अवधारणा के विषय में अनभिज्ञता देखने को मिलती है। अतः यह आवश्यक है, कि मानवाधिकारों के सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक छात्रों को जानकारी दी जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार को एक विषय के रूप में विद्यालयों और पुलिस प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की दिशा में कुछ पहल की है। मानवाधिकार में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाया जा रहा है। हांलाकि कई मानवाधिकार संस्थान भी इससे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों को संस्थागत एवं पत्राचार माध्यम से संचालित कर रहे हैं, किन्तु इसे और बढ़ाने की जरूरत है।
2. ***संचार माध्यमों का उपयोग*** – विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का उपयोग हम मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के प्रसार के क्षेत्र में कर सकते हैं, संचार क्रान्ति के इस युग में टेलिविजन, रेडियो एवं सिनेमा का इस दिशा में बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त परम्परागत संचार माध्यमों जैसे– कठपुतली, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक समारोहों के द्वारा भी लोगों में जागरूकता का फैलाव किया जा सकता है।
3. ***विधिक साक्षरता कार्यक्रमों के द्वारा*** – आम जनता विशेष कर ग्रामीण जनता जो कि निर्धनता के साथ ही निरक्षरता से पूरी तरह ग्रस्त हैं को विभिन्न प्रकार के विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कानून, संवैधानिक व्यवस्थाओं जैसे– मूल अधिकार आदि एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य के सम्बन्ध में विधिवत् जानकारी प्रदान की जा सकती है। हमारे यहां श्रम के क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों में शोषण व उत्पीड़न ज्यादा है, जैसे–कृषि, भवन, निर्माण आदि। इन लोगों के बीच भी इस तरह के साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।
4. ***सरकारी संगठनों/विभागों का मानवाधिकार के प्रति अभिमुखीकरण*** – शासन अपने विभिन्न संगठनों/विभागों के माध्यम से राज्य के विकास के लिए कार्य करता है, वर्तमान में यह देखा जा रहा है, कि अनेकों सरकारी विभागों/संगठनों, जिनका आम जनता से सीधा सम्बन्ध है, के द्वारा मानवाधिकारों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। साथ ही यह भी प्रतीत होता है, कि इसके द्वारा असमानता, भेदभाव एवं शोषण को प्रश्रय भी मिल रहा है, जैसे– पुलिस, वन, पंचायती राज्य आदि विभाग। एक उदाहरण के रूप में देखें तो पुलिस विभाग जिसके पास लोगों की सुरक्षा का दायित्व है, को विशेष रूप से मानवाधिकार के प्रति सम्वेदित किया जाना चाहिए। अभियुक्तों के साथ किया जाने वाला अमानवीय व्यवहार, क्रूरता, थानों में महिलाओं के साथ होने वाली अभ्रदता, पुलिस जनों का अमानवीय आचरण इस विभाग की भयावह तस्वीर दिखलाता है। इन्हें अभिमुखी करण के द्वारा मानवाधिकार सम्वेदित व्यवहार अपनाने की ओर प्रेरित किया जाना चाहिए।
5. ***स्वैच्छिक संगठनों का मानवाधिकार के प्रति संवेदीकरण–***

   (क) नेटवर्कों का संवेदीकरण – स्वैच्छिक संगठनों के राष्ट्रीय नेटवर्कों जैसे–वाणी (वालेंण्टरी एक्शन नेटवर्क इण्डिया) विहायी (वालेंण्टरी हेल्थ आफ इण्डिया) तथा प्रादेशिक नेटवर्कों जैसे– उपवन (उ.प्र. वालेंण्टरी एक्शन नेटवर्क) तथा क्षेत्रीय नेटवर्कों जैसे– वान (देवरिया,) सहयोग (गोरखपुर) राही इण्डिया (झांसी) आदि को मानवाधिकार के प्रति संवेदित किया जाए, ताकि ये

टवर्क अपने से जुडें हुए सैकडों सदस्यों, संगठनों को इस दिशा में कार्य करने को प्रेरित कर सकें।

(ख) ***मानवाधिकार के प्रति कार्यरत संस्थाओं का चिह्नीकरण*** – राष्ट्रीय, प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर पर आज अनेकों स्वैच्छिक संस्थाएं सफलता पूर्वक मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों के प्रति समुदाय से जुड़कर सघन रूप से काम कर रही हैं। स्त्री शिक्षा, महिला उत्पीड़न, बाल अधिकार, आदिवासियों के विकास, पर्यावरण संरक्षण व जल, जगंल, जमीन जैसे मुद्दे इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं। कुछ संगठन जैसे – पी.यू.सी.एल., पी.यू.डी.आर., पैरवी (नई दिल्ली), एन.सी.पी.एन.आर., (केरल), बेटी फाउंन्डेशन (लखनऊ), वात्सल्य (लखनऊ), प्रयास (दिल्ली), जी.ई.ए. जी. (गोरखपुर) मानवाधिकार के क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य कर रहे हैं। इस तरह की और संस्थाओं को चिह्नित कर उनके अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए तथा मानवाधिकार के मुद्दे पर और अधिक काम करने की आवश्यकता के प्रति इन्हें संवेदित किया जाना चाहिए।

वस्तुतः किसी भी राज्य में लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए मानवाधिकारों की स्थापना एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वहां के लोगों का इन अधिकारों के प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। मानवाधिकार को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अंग बनाकर औपचारिक रूप से छात्रों की एक बेहतर समझ विकसित करने के साथ ही उनके माध्यम से लोगों में इनके प्रति सजगता का प्रचार–प्रसार किया जा सकता है। जनसंचार के आधुनिक व परम्परागत साधनों का उपयोग जागरूकता व प्रसार में बेहतर ढंग से किया जा सकता है, आज दृश्य–श्रव्य माध्यम अत्यन्त प्रभावशाली व शक्तिशाली रूप से उभरकर आया है, इसके माध्यम से मानवाधिकार के क्षेत्र में जागरूकता प्रभावी रूप से फैल सकती है। शासकीय व गैर सरकारी संगठनों/विभागों को इस क्षेत्र में प्रयास करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। अन्त में, लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ के रूप में स्थापित स्वैच्छिक क्षेत्र को मानवाधिकार के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए मजबूती के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह वह क्षेत्र है, जिसका स्थानीय समुदाय के साथ गहरा जुड़ाव है तथा जो जनभागीदारी के माध्यम से कार्यक्रम क्रियान्यवन में विश्वास रखता है। मानवाधिकार के प्रचार–प्रसार व जागरूकता के लिए इन संगठनों द्वारा जन आन्दोलन भी खड़ा किया जा सकता है। ❑

(प्राध्यापिका,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
डी.जी. (पी.जी.) कालेज, कानपुर)

STANDARD IX is where your child's future begins.

Do you see a budding engineer – or perhaps a doctor – in your ninth grader? Do you worry about his or her future? Public exams, college admissions, graduation, a career... the very thought of what lies ahead can be overwhelming.

No one understands that better than Brilliant. Which is why our Professors have created two very special courses for Students of Stds. IX and X.

TARGET IIT | MBBS

Target-IIT and Target-MBBS. Firm beginnings for happy endings.

Brilliant's unique Target Courses are – as their names suggest – especially created for students whose long term aim is to try for Engineering or Medicine.

They build, in each child, the foundation, the logical, problem-solving approach, the confidence and the attitude so essential to succeeding in difficult competitive exams. They pave a solid pathway for those who are serious about preparing for IIT-JEE or Medical Entrance, after Std. XII. And more importantly, they bring alive science and maths in a way that awakens and inspires the latent scientist – or doctor – in each child. This results, quite naturally, in better performance in the Std. X public exams.

If you want to know more about Brilliant's Target Courses, fill in the coupon below and mail it to us. We'll be happy to help you create a brighter future for your child.

Yes, I would like to bring out the best in my child. Please send me the Target Course details.

My name: _____

Address: _____

_____

Child's name: _____

Moving to: ☐ Std. IX ☐ Std. X in 2004

Target Course: ☐ IIT ☐ MBBS

Admission open. Prospectus and Application Form can also be obtained from our website www.brilliant-turorials.com

BRILLIANT® TUTORIALS

Box: 4996-YOH 12, Masilamani Street, T. Nagar, Chennai-600 017.
Phone: 044-24342099, Fax: 044-24343829
e-mail:enquiries@brilliant-tutorials.com

Brilliant's Courses for IIT-JEE & medical Entrance

IIT-JEE • For students entering Std. XI: 2 Yr. ELITE with YG-FILEs + B.MAT for IIT-JEE 2005 • For students entering Std. XII : 1 Yr. Course with YG-FILE + B.MAT for IIT-JEE 2004 • For students entering Stds. IX, X : TARGET - IIT Courses to build a firm foundation.

MBBS • 2 Yr. CBSE-PLUS, with Question Bank (QB) + B.NET, for MBBS Entrance 2005 (Std. XI) • 1 Yr. Course, with QB + B.NET, for 2004 (Std. XII) • QB + B.NET for 2004 (Std. XII)
•TARGET-MBBS: Primer Courses for students of Std. IX, X.

सच्चा सुख

○ देवेन्द्र उपाध्याय

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। सन् 1902 में वे एंट्रेस की परीक्षा में बंगाल चिकित्सा विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। इन्टर, बीए और एम.ए.की परिक्षाओं में प्रथम आने पर उन्हें लगातार छात्रवृत्ति मिली। अध्ययन के बाद वे मुजफ्फरपुर कालेज में अध्यापक हो गएं और फिर वकालत करने कलकत्ता पहुंच गएं। पर वहां पहुंचते ही वे वकालत का विचार छोड़ स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़ें।

बचपन में ही डा. राजेंद्र प्रसाद के पिता का निधन हो गया था। उनके बड़े भाई महेन्द्र प्रसाद ने उनका लालन–पालन किया। कलकत्ता में रहते हुए पिता तुल्य बड़े भाई का बुलावा आया, वे बड़ी द्विविधा में पड़ गएं। आखिर उन्होंने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा–

पूज्य भैय्या एक भावुक व्यक्ति होने के

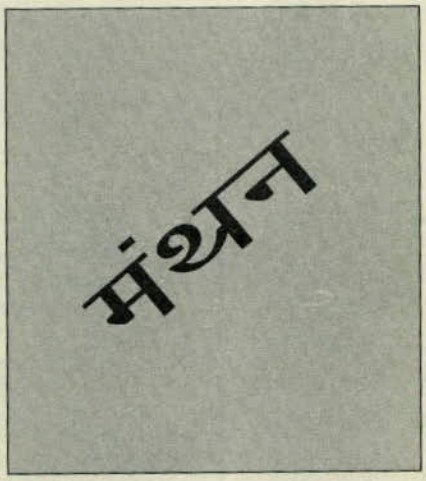

कारण मैं आपके सामने बैठकर बातें करने में असमर्थ हूं। मेरा हृदय देश सेवा के लिए विकल है। मैं मानता हूं कि आपको परिवार के पालन में कठिनाई है किंतु आपसे नम्र निवेदन है कि तीस करोड़ भारतवासियों के लिए आप मेरा त्याग कर दें। आप मेरी तनिक चिंता न करें क्योंकि मैंने अपना रहन–सहन इतना सादा बना लिया है कि मैं प्रत्येक दशा में प्रसन्न रह सकता हूं। धन नाशवान है और इसकी तृष्णा का कोई अंत नहीं। सच्चा सुख संतोष में ही है। संसार में प्रायः दरिद्र लोगों ने ही बड़े काम किए हैं, धनवानों को तो अपने भोग विलासों से ही अवकाश नहीं। अतः हमें दरिद्रता से घृणा न कर उसे अपनाना चाहिए। अंत में, मैं आप पर यह प्रकट कर देना चाहता हूं कि संसार में मेरी एकमात्र इच्छा भारतमाता की सेवा करना ही है।

इसके बाद राजेंद्र बाबू 'स्वदेशी आंदोलन में जुड़ गए। चम्पारन सत्याग्रह से उनका वास्तविक राष्ट्रीय जीवन शुरू हुआ। चंपारन सत्याग्रह के दौरान वे 1917 में महात्मा गांधी के संपर्क में आएं और फिर उनके अनुयायी बन गएं। ❑

मुझे चांद फूली रोटी नज़र आती है

मुझे चांद फूली रोटी नज़र आती है,
बरबस हमारा हाथ उदर पर चला जाता है,
मुझे चांद फूली रोटी नज़र आती है।

भूख से अब कदम रखा नहीं जाता है
बेटवा हाथ पकड़ किकियाता है
मईवां राग में राग मिलाती है,
ऊपर से 'वो' दो-चार थपियाती है,
मुझे चांद फूली रोटी नज़र आती है।

अब और सहा नहीं जाता है,
कदम शहर की ओर चला जाता है
रंग-बिरंगे होटल के कूड़ेदान पर नज़र गड़ जाती है
धीरे-धीरे एक-दो जूठे पत्तल हाथ लग जाते हैं
पीछे से दो-चार कुत्ते घुरियाते हैं
हमारी नजर उनकी नज़रों से मिल जाती है
मानो कह रहे हों, हमारे भी अधिकार छीन लोगे क्या?
मुझे चांद फूली रोटी नज़र आती है,
आखों में पानी भर आता है।

लालकिले से किसी ने चिल्लाया है
जल्द ही चांद से रोटी मंगाई है
अब उदर को मत सहलाओ,
बचवन को मत रुलाओ,
जूठे पत्तल पर आस मत लगाओ,
हमने सब समस्या का समाधान,
अगली पीढ़ी के लिए कराई है
मुझे चांद फूली रोटी नज़र आती है।

मईवा अपनी छोटे-छोटे हाथों को बढ़ाती है,
हमारे आंसू सुखाती है, धीरे से गले लग जाती है,
मुझे चांद फूली रोटी नज़र आती है।

– नवीन कुमार, भवानीपुर, डोरण्डा, रांची

एक योजना ने दिखाई नई राह

○ निरंकार सिंह

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ग्रामविकास समिति ने यह साबित कर दिया है कि यदि संकल्प और निष्ठा के साथ योजनाएं लागू की जाएं तो सीमित संसाधनों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ग्रामविकास समिति ने यह साबित कर दिया है कि यदि संकल्प और निष्ठा के साथ योजनाएं लागू की जाएं तो सीमित संसाधनों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस ग्रामविकास समिति के कार्यों की सफलता से अब यह बात कही जा सकती है कि यदि हमारे शासक और नियोजकों में सूझबूझ हो तो हमारे किसान अपने खाद्यान्न उत्पादन आसानी से डेढ़ से दो गुना तक बढ़ा सकते है। जिला ग्राम विकास समिति ने इस गांव के किसानों को वैज्ञानिक तौर–तरीकों से खेती करने का रास्ता दिखाकर न केवल उनके कृषि उत्पादन को दोगुना कर दिया है बल्कि उनके सामाजिक जीवन में भी क्रांति ला दी है।

उ.प्र. के बाराबंकी जिले के अकबर पुर गांव का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय कृषि सचिव जे.एन.एल. श्रीवास्तव

इस समिति के योजनाकारों और कर्मचारियों ने दिखा दिया कि उपलब्ध वित्तीय और जन बल संसाधनों के ही द्वारा किसान न केवल अपनी दशा सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए रोजगार मुहैय्या करा सकते हैं। इस समिति का गठन इंडियन पोटाश लिमिटेड के तत्वावधान में 1994 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि योजनाओं के विस्तार के लिए 1988 में 'इंडोकेनेडियन कृषि विस्तार परियोजना' का प्रारंभ 1988 में भारत और कनाडा के बीच एक समझौते के अन्तर्गत हुआ था। बाराबंकी जिले में इण्डो–कनेडियन कृषि विस्तार परियोजना का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद इस ग्रामविकास समिति का गठन किया गया। परियोजना द्वारा 1988 में शुरू किए गए तमाम कार्यक्रमों का कुशलतापूर्वक संचालन अब यही जिला ग्राम विकास समिति कर रही है।

इस समिति के अधीन 32 ग्राम विकास संघों ने अपने–अपने गांवों का कायाकल्प कर दिया है। इन संघों ने एक संस्था का रुप ले लिया है जो ग्रामीणों की सहभागिता से ही तैयार किया गया है। अब ये संघ सामाजिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। अब इस जिले में तीन सौ से अधिक गांवों के लोग ग्राम विकास संघों के माध्यम से अपनी समस्याओं और

कठिनाइयों का सामूहिक रुप से हल करके विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन संघों के सदस्य खाद, बीज और अन्य जरूरतों के लिए आवश्यक कर्ज ले लेते हैं और उसे ब्याज सहित अदा भी करते हैं। संघ अपनी आय का दस फीसदी भाग सामाजिक विकास कार्य के लिए खर्च करता है। इस संघ के किसान आज उत्तम श्रेणी के उन्नत बीजों का भी उत्पादन कर रहे हैं।

आज यह समिति अपने सभी संघों के और उनके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय विकास का काम कर रही है। ग्रामविकास समिति कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कपार्ट, नाबार्ड, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, नासिक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुड़गांव, कृषि विस्तार परियोजना व कृषि एवं सहकारिता विभाग की कई परियोजनाओं द्वारा प्रदेश के हजारों कृषकों को लाभ पहुंचा रही है। इस समिति के कार्यों का जीता–जागता उदाहरण अकबरपुर गांव है। यह गांव ब्लाक मसौली, जिला–मुख्यालय बाराबंकी से 16 किमी. दूर सफदरगंज के निकट स्थित है। अकबरपुर ग्राम संघ की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। इसमें 86 सदस्य हैं। इन सदस्यों ने पचास रुपये के अपने–अपने शेयर से जो पूंजी जुटाई उससे कृषि में काम आने वाले यंत्रों को खरीदा। संघ के स्वामित्व में लगभग 36,000/–रु. के कृषि यन्त्र हैं जिनको किराये पर देकर संघ अपनी आय में लगभग 40,000/–रु. की वृद्धि कर चुका है। संघ स्वयं ही उर्वरकों, बीज, कीटनाशकों आदि का व्यवसाय करता है और लाभ अर्जित कर रहा है। संघ को भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं से मेथा आसवन इकाई (वर्ष 1988), मिनी दाल मिल, गन्ना क्रैशर इत्यादि मिली है। संघ सहभागिता द्वारा सभी उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। आस–पास गांव के लोगों ने भी इसका अनुसरण किया है। ग्राम विकास संघ अकबरपुर के सदस्यों ने दान एवं संघ के लाभ से रु. 55,000 की लागत से अपना संघ भवन बनवाया है एवं इसमें किसी प्रकार की सरकारी मदद भी नहीं ली है। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा मक्का मैंथा के प्रदर्शन एवं गेहूं एवं धान का "अनौपचारिक बीज का उत्पादन कार्यक्रम" भी चलाया जा रहा है। अकबरपुर विकास संघ एक विद्यालय सहित कई सामुदायिक विकास योजनाएं भी संचालित कर रहा है। संघ की गतिविधियों का अवलोकन करने इज़राइल के वैज्ञानिक, नाबार्ड के आधिकारियों का एक दल, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री और भारत सरकार के कृषि सचिव जे.एन.एल. श्रीवास्तव भी आ चुके हैं। अकबरपुर ग्राम विकास संघ के कार्यों और उपलब्धियों को देखकर भारत सरकार के कृषि सचिव जे.एन.एल. श्रीवास्तव ने बाराबंकी ग्रामविकास समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि योजनाओं को किसानों की सहभागिता से ही सफल बनाया जा सकता है।

बारांबकी जिला ग्रामविकास समिति के पास अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई भारी–भरकम ढ़ाचा नहीं है। इस समिति के प्रशासनिक सचिव और उनके तीन–चार सहयोगी ग्रामविकास संघों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस ग्राम विकास समिति ने गांव और कृषि के विकास का जो रास्ता दिखाया है। उससे पूरे देश की तस्वीर बदली जा सकती है। ❑

(पृष्ठ 38 का शेषांश)

तथा सद्भावपूर्ण भूमिका भी सुनिश्चित की जाए। वास्तविकता यह है कि विकलांगों के अनुसार के वृहत्तर पुनर्वास के प्रयास केन्द्र तथा राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही सफलतापूर्वक उचित परिणाम दे सकते हैं। विकलांगों के प्रति समाज का सकारात्मक और सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और साथ ही साथ ऐसे पुनर्वास कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने चाहिए जो विकलांगों को स्थायी तौर पर संबल प्रदान कर सकें। इस दिशा में संचार माध्यमों की भूमिका निश्चित रूप से अहम् हो सकती है। दैनिक समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा दूसरे पारम्परिक माध्यमों द्वारा इस विषय पर जनजागृति अभियान चलाए जाने चाहिए। हालांकि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राष्ट्रीय सूचना केंद्र भी स्थापित किया गया है जो विकलांगता तथा पुनर्वास पर सूचना तथा जानकारी का प्रचार–प्रसार करता है लेकिन इस क्षेत्र को अधिक व्यापक और विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक बात जिसकी आज विशेष जरूरत है, वह यह है कि आज विकलांगों को समाज की या सरकार की दया पर जिन्दा रहने की आदत नहीं डाली जानी चाहिए क्योंकि यह आदत स्वयं उनके लिए घातक है। इससे वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाते तथा उसमें स्वाभिमान पैदा नहीं हो पाता। अतः उनके प्रति समाज और सरकार को दया के स्थान पर सहयोग और आत्मनिर्भरता विकसित करने का विशेष प्रयास करना चाहिए। ❑

(लेखक राज्य नियोजन संस्थान, (उ.प्र.) में संयुक्त निदेशक हैं।)

डेगूं ज्वर

○ डा. वी.के. तिवारी
○ मानवेन्द्र तिवारी

डेगूं ज्वर प्राचीन काल से ही समाज में आथ्रोपोड रोगवाहक के रूप में व्याप्त रहा है। इसके रोगविषयक (क्लीनिकल सिम्टम्) लक्षणों का वर्णन 1912 में किया जा चुका है। यह रोग आरवोवायरसजनित है जो कि मानव को संक्रमित कर रोग को उत्पन्न करता है। यह रोग प्रायः नगरीय अथवा उपनगरीय क्षेत्रों में ही मिलते हैं। ये संक्रमण बिना लक्षण वाले या फिर संस्थापित ज्वर (क्लासिकल फीवर) अथवा डेगूं (हीमेरेजिक) रक्तस्राव ज्वर आघात रहित, डेगूं रक्तस्राव ज्वर आघात सहित पाए जा सकते हैं।

डेगूं ज्वर भी मच्छर जनित है। भारत में इसका प्रसार "ऐडीज ऐजीप्टिाई" से होता है। लगभग 250–300 करोड़ व्यक्ति उन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं जहां पर डेगूं के वायरस का संक्रमण पहुंच सकता है। विश्व के 56 देशों में ये रोग पाए गए हैं। डेगूं के रोगियों में वृद्धि का प्रमुख कारण अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण है। जल–प्रबन्धन की उचित व्यवस्था ने हो पाना रोग की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। विश्व के परिदृश्य में जहां डेगूं का चित्रण मिलता है उसमें गमन, व्यापार और रोगवाहकों के नियंत्रण में कमी ही रोगियों के वृद्धि हेतु उत्तरदायी हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया देशों में डेगूं ज्वर/डेगूं रक्तस्राव, बांला देश, भारत, इन्डोनेशिया, मालद्वीप, म्यॉमार, श्रीलंका, थाइलैण्ड में 130 करोड़ जनसंख्या स्थानिक (इन्डेमिक) वाले क्षेत्रों में रह रही है।

भारत में डेंगू का परिदृश्य

भारत में डेगूं के चारों सबटाइप्स विलगित किए गए हैं। 1996 में दिल्ली में डेगूं की महामारी के बाद रोगियों में तो कमी आई है जबकि 2001 में राजस्थान में (1433 रोगी प्रतिवेदित किए गए जिनमें 33 की मृत्यु हुई है। तमिलनाडु में 761 रोगी प्रतिवेदित किए गए और 8 की मृत्यु हुई।

तालिका 1

वर्ष	रोगी	मृत्यु
1997	1177	36
1998	707	18
1999	944	17
2000	605	07
2001	2929	47

संस्थापित (क्लासिकल) डेंगू ज्वर : क्लासिकल डेगूं अथवा हड्डी तोड़ बुखार भारत में अति प्राचीन काल से व्याप्त रहा है यह तीक्ष्ण वायरस ज्वर है जो 4 सीरोटाइप (1,2,3,4) डेगू वायरस के हैं, उनसे होता है। इसका दोनों ही स्वरूप स्थानिक (इन्डेमिक) महामारी (इपिडेमिक) हो सकता है।

इसकी महामारी वर्षा ऋतु के उत्तरोत्तर भाग में जिस समय इसके रोगवाहक प्रचुरता में पाए जाते हैं, उस समय होती है। वातावरणीय तापक्रम का इस रोग के प्रसार में विशेष महत्व है। 26° से कम तापक्रम पर मच्छर इस रोग के प्रसार में अक्षम रहेगें, इसके रोगियों के कम मिलने का शायद यही कारण है।

संक्रमण का आधार मानव एवं मच्छर दोनों हैं। पारेषण चक्र निम्नवत है –

मानव → मच्छर → मानव

ऐडीज मच्छर किसी डेंगू रोगी का पांचवें दिन के पूर्व (वाइरीमिया स्थिति) रक्तपान करके संक्रमित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद बाह्य उद्भवन काल (8–10) दिनों के अन्दर वह मच्छर पूर्णतया संक्रमित हो जाता है और संक्रमण फैलाने में पूर्ण समर्थ हो जाता है।

लक्षण

सभी उम्र एवं लिंग के लोगों पर यह प्रभाव डालता है। रूग्णता की अवस्था में उद्भवन काल 3 से 10 दिनों तक का हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में ठण्ड के साथ ज्वर, तीव्र सिरदर्द, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द जिससे कि गमन प्रभावित होता है। 24 घंटे के अंदर रेट्रोआरबिटल दर्द, आंखों पर दबाव, प्रकाश से फोबिया विकसित हो जाता है। अन्य लक्षणों में अत्यधिक कमजोरी, भूख में कमी, कब्ज, ज्वर त्वचा का उद्भेदन (इरपशन) 80 प्रतिशत रोगियों में त्वचा पर चकत्ते हो सकता है।

डेगूं रक्तस्राव ज्वर

यह विषम प्रकृति का ज्वर है इसमें एक से अधिक डेगू वायरस का संक्रमण होता है इसकी वीभत्सता के दो कारण है– प्रथम इसमें संक्रमण रोगी को सुग्राही (सेन्सिटाइज) करता है दूसरा प्रकोप प्रतिरक्षक महाविपत्ति (केटास्टोफिक) को प्रदर्शित करता है। ये लक्षण रूग्णता के प्रथम कुछ दिनों में अथवा अन्तिम अवस्था में प्रकट हो सकते हैं।

रोगविषयक (क्लीनिकल) निदान

1. ज्वर तीव्र, लगातार 2 से 7 दिनों तक चल सकता है।
2. रक्तस्राव
3. यकृत के आकार में वृद्धि

प्रयोगशाला नैदानिक क्रम में थ्राम्बोसाइटोपीनिया ($1,00,000mm^3$) और हीमासान्द्रता प्रमुख है। डेंगू आघात सिन्डोम में सभी लक्षण एवं आघात तीव्र कोटि का होता है।

उपचार

1. डेगू ज्वर का प्रबन्धन लक्षणों के आधार पर किया जाता है। आराम की सलाह दी जाती है। ज्वर को कम करने वाली औषधियों अथवा पानी से कपड़े को भिगोकर पोछने की सलाह दी जाती है।
2. सदैव इसका ध्यान रहे कि ज्वर 40° सेन्टीग्रेट से अधिक न हो।
3. एस्प्रिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि डेगू रक्तस्राव भी बढ़ेगा और एसिडोसिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
4. मुंह से तरल पदार्थ एवं इलेक्ट्रोलाइट की आपूर्ति बढ़ाना चाहिए।

डेगूं आघात का प्रबन्धन

यह चिकित्सकीय आपातकाल की अवस्था है अविलम्ब कुशल चिकित्सक की परामर्श आवश्यक है।

डेगूं पर नियंत्रण

1. रोगवाहकों पर नियंत्रण आवश्यक है। इन मच्छरों के आदर्श आश्रय स्थल अस्वच्छ जल हैं। कूलर की टंकियां नगरों में विशेष आश्रय स्थल हो जाते हैं इसलिए इसकी नियमित अन्तराल पर सफाई आवश्यक है।
2. संशक्ति कीटनाशकयुक्त मच्छरदानियां विशेष लाभकारी रहती है।
3. प्रौढ़नाशक एवं लार्वानाशक का प्रयोग उपयोगी रहता है एवं लार्वानाशक का प्रयोग करते समय केवल उन्हीं लार्वानाशक का प्रयोग किया जाय जो स्तनधारी वर्ग के लिए विषैला न हो।
4. अनावश्यक बर्तन, घड़े, कन्टेनर को हटा देना चाहिए।
5. एक निश्चित अन्तराल पर वर्षा के पानी के निकासी वाले पाइपों, नालियों की सफाई आवश्यक है अन्यथा ये ऐडीज मच्छर के आश्रय स्थल में परिवर्तित हो सकते हैं।
6. इसके डिम्भक का सर्पाकार गमन देखकर इसकी पुष्टि की जा सकती है।
7. सप्ताह में एक दिन शुष्कदिवस मनाया जाना चाहिए जिसमें कि सभी जल– संग्रह वाले वर्तनों, टंकियों को खाली कराकर पुनः भरना चाहिए, संगठित समुदाय वाले स्थानों में ये उपयोगी रहते हैं।

रोगवाहक रोग होने के कारण समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। इसी से डेंगू के भयानक प्रसार को रोका जा सकता है। राष्ट्र की अर्जित सम्पदा को खुशहाली के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ❑

☎ 2331560, 2757086
हिन्दी एवं इतिहास का टॉपर संस्थान
एकेडमीशियन्स IAS
C-50, अलकापुरी, अलीगंज, लखनऊ
Total Selections - IAS - 129, PCS - 327
IAS - 2002 - 12, 1 in Top 10, 4 in Top 100
इतिहास रहीस सिंह द्वारा।
विशेषताएं– ❖ 12 वर्षों का अध्यापन अनुभव।
❖ 6 अत्यन्त लोकप्रिय पुस्तकों (हड़प्पा सभ्यता, दिल्ली सल्तनत, मुगल, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संघर्ष) के लेखक।
❖ प्रारम्भिक परीक्षा में 75% से अधिक एवं मुख्य परीक्षा में 81% परिणाम (तथा 75.4% तक अंक) दिलाने में सफल।
❖ विषय की विशेषज्ञता के सदर्भ में आप परिणाम देखकर या छात्रों से जानकारी ले सकते हैं।
हिन्दी डा0 सुशील सिद्धार्थ
विशेषताएं– ❖ 20 वर्षों का अध्यापन अनुभव ❖ लेखक, सम्पादक (सहायक सम्पादक 'तद्भव' एवं 'कथाक्रम')।
❖ बेहतर अंक (IAS में 70% तक, PCS में 75% तक)।
❖ समग्र पाठ्यक्रम का पाठ्य सामग्री सहित अध्यापन।
General Studies
विशेषज्ञों की टीम द्वारा, सटीक एव बेहतर अध्यापन एवं 15 दिन पर एक सेमिनार जिसमें (IAS, PCS प्राध्यापक एवं पत्रकार) अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
LAW, PCS(J) APO डा. पी.पी. सिंह
एवं अन्य (गेस्ट फैकल्टी के रूप में रिटायर्ड जज, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक)।
दर्शन शास्त्र
श्रेष्ठ प्राध्यापकों (लखनऊ एवं इलाहाबाद) द्वारा।
Sociology Faculty from LU
COURSES : Foundation Course (1 yr.), Main, Main-cum-Pre & Pre
BATCHES : Cycle Batch (from 1st Week of each Month)

लिखावट से जाना जा सकता है व्यक्ति के बारे में

पुस्तक : 'लिखावट से व्यक्तित्व जानिए'; लेखक : राजीव अग्रवाल; प्रकाशक : भगवती पॉकेट बुक्स, 11/7, डॉ रांगेय राघव मार्ग, आगरा–2; पृष्ठ संख्या : 82, मूल्य : 50 रुपये।

मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में अन्तिम रूप से कहना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी सदियों से तमाम विधियों के जरिए उसके बारे में कयास लगाया जाता रहा है। लिखावट के जरिए व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कैसे जाना व समझा जा सकता है, राजीव अग्रवाल की पुस्तक *'लिखावट से व्यक्तित्व जानिए'* को पढ़कर समझा जा सकता है। व्यक्तित्व की लिखावट के जरिए परख कैसे की जा सकती है, के सन्दर्भ में अच्छी पुस्तक कही जा सकती है।'

पुस्तक में अंग्रेजी के छोटे–बड़े अक्षरों के जरिए व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को निरूपित किया जा सकता है। केवल अंग्रेजी अक्षरों के जरिए सम्पूर्ण व्यक्तित्व को क्या समझा, परखा जा सकता है? पुस्तक में यह कमी शुरू से लेकर अन्त तक खलती है। लिखावट व्यक्तित्व पहचानने का ऐसा सशक्त माध्यम है, जो पत्रों के जरिए देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता है। लिखावट अक्षर के ऊपरी मध्य व निचले हिस्से की बनावट कैसी है, उनमें उतार–चढ़ाव कैसा है इससे

RAO IAS
THE MOST POPULAR INSTITUTE FOR IAS AND PCS
14/1, स्टैनली रोड, (लोक सेवा आयोग के सामने), इलाहाबाद फोनः 2601624
पत्राचार कोर्स एवं क्लास कोचिंग, छात्रावास उपलब्ध
हिन्दी माध्यम
IAS/PCS (Pre & Main) बैच 16 दिसम्बर से
भूगोल विजय कुमार मिश्र
वैकल्पिक विषय (Pre & Main) द्वारा
• नवीनतम परीक्षा प्रणाली के अनुसार विषय की तैयारी • 500 से अधिक मानचित्रों का अभ्यास
• प्रतिदिन होमवर्क तथा उनका सूक्ष्मता से परीक्षण • सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर भरपूर अध्ययन सामग्री
• पाँच महीने का गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण • अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नावलियाँ, नियमित टेस्ट
• सर्वोत्तम शिक्षण परिवेश
विषय उपलब्ध :- सामान्य अध्ययन और निबन्ध, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र,
विवरण पुस्तिका हेतु रू० 50/- M.O. से भेजें
SATYA

व्यक्ति के जीवन के विभिन्न आयामों को बरीकी से समझा जा सकता है।

जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति का चेहरा और अंगूठे का निशान एक जैसा नहीं होता, उसी तरह हर व्यक्ति की लिखावट में भी कुछ न कुछ अन्तर जरूर होता है। लेखक ने अक्षरों को लिखावट के आधार पर चार भागों में बांटा है। ये चार प्रकार हैं – माला के रूप में, मेहराब के रूप में, नुकीली और लूप के रूप में। लेखक के मुताबिक माला के रूप में लिखने वाला व्यक्ति विचारों का खुला हुआ, आलसी और मितव्ययी होता है। जिसकी मेहराब के रूप में लिखावट होती है, वह व्यक्ति कम बोलने वाला, दिखावा करने वाला और रहस्यमय व्यक्तित्व वाला होता है। इसी तरह नुकीली लिखावट वाला व्यक्ति शक्तिशाली, उग्र, हठीला और दृढ़निश्चयी होता है। लूपदार लिखावट जिसकी लिखावट का नुकीलापन बढ़ता जाता है, वह धीरे–धीरे हठीला और तनावग्रस्त होता जाता है।

इसके अलावा लिखते समय हाशिया शब्दों एवं लाइनों के बीच की दूरी, लिखते समय अक्षरों पर दबाव की स्थिति भी व्यक्ति के आन्तरिक एवं व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ बतला देते हैं। लिखावट की गति को देखकर व्यक्ति की प्रवृति एवं आदतों को किस तरह से जाना जा सकता है। पुस्तक में बरीकी से समझाया गया है। 't'और 'i' अक्षरों की बनावट को देखकर व्यक्ति के कार्य–व्यवहार को समझा जा सकता है। अक्षर बोलते हैं अध्याय के अन्तर्गत 'a' और 'o' अक्षरों को शब्दों के साथ किस तरह लिखा गया है, इससे भी व्यक्तित्व पहचानने में मदद मिलती है। 'b' और 'c' अक्षरों की लिखावट से व्यक्ति के कलापक्ष और कार्य व्यवहार को निर्धारित या जाना जा सकता है। 'd' और 'e' अक्षरों के जरिए व्यक्ति की मूल प्रवृति और मानसिक (बुद्धि) बुनावट को जानने में सहायता ली जा सकती है। 'f' अक्षर की लिखावट से व्यक्ति के विकास क्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। 'g' 'g' 'y' और 'z' अक्षर की लिखावट से (लोच) व्यक्ति के आपसी संबन्धों को जाना जा सकता है।

लिखावट के अनुसार यदि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को आकर्षक, कलात्मक, प्रभावशाली, सौहार्दपूर्ण एवं प्रतिभावान बनाना है तो अच्छी लिखावट के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उस लिखावट पर जोर देने की बात पुस्तक में की गई है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता जाए।

पुस्तक की आवरण सज्जा उत्कृष्ट है। मूल्य पृष्ठ एवं विषय सामग्री की दृष्टि से 50 रुपए ज्यादा है। फिर भी विषय और प्रस्तुति को देखते हुए पुस्तक बहुपयोगी मानी जा सकती है। पुस्तक में अंग्रेजी अक्षरों के अलावा हिन्दी अक्षरों को भी साथ देकर बहुआयामी तथा जनपयोगी बनाया जा सकता है इस पर लेखक को ध्यान देना चाहिए। ❑

समीक्षक
– अखिलेश आर्येन्दु

बुनियादी संरचनाएं और सेवाएं : नई बुलंदियों पर गणतंत्र दिवस विशेषांक 2004

महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी परम्परा का निर्वाह करते हुए योजना का गणतंत्र दिवस विशेषांक–2004 का विषय 'बुनियादी संरचना और सेवाएं : नई बुलंदियों पर' रहेगा।

विषय से जुड़े प्रख्यात विशेषज्ञ, योजनाकार, अर्थशास्त्री, विश्लेषक और पत्रकार अपने अनुभवजन्य मतमतांतरों को पाठकों के साथ बांटेंगे।

पाठक अपना आर्डर स्थानीय एजेंटों को दे दें या विज्ञापन एवं सर्कुलेशन प्रबंध, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड–IV, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066 (दूरभाषः 26100207, 26105590)

गणतंत्र दिवस विशेषांक का मूल्य 15 रु. है।

उत्कृष्ट परम्पराओं का एक दशक

IAS / PCS

GENERAL STUDIES • ESSAY INTERVIEW
& PUBLIC ADMINISTRATION BY THE RENOWNED CONSULTANT

Mr. R.C. SINHA

Batches Start From • G.S. Eassay 23 Dec.'03 • Public Admin 3 Feb.'04
Contact Director- (AIR CONDITIONED CLASS ROOM)

Centre for Excellence

8-B, Elgin Road, Opposite Mishra Bhawan, Civil Lines, Allahabad
Note- Membership through Entrance Test only
Ph.: 0532-2611518

IAS/PCS

सफलता का सरलतम मार्ग...

INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE STUDIES (IAS)
प्रशासनिक अध्ययन संस्थान

वर्तमान और भविष्य का सुरक्षित व अंकदायी विषय

लोक प्रशासन
by
अशोक कु० दुबे

एक दशक का सफल अध्यापन अनुभव .....

इतिहास

प्रारंभिक परीक्षा के लिए
Batch Start 11 December

संस्थान की विशेषताएँ
- मॉडल व दृश्य माध्यम द्वारा लोक प्रशासन का जीवंत अध्यापन
- उत्तरों की प्रस्तुति में सकारात्मकता और सृजनात्मकता का पर्याप्त उपयोग
- विषय का विशद, समग्र और विश्लेषणात्मक अध्यापन
- G.S. में उपेक्षित बिन्दुओं पर भी समान रुप से बल
- परिष्कृत तथा परिमार्जित अध्ययन सामग्री
- मौलिक प्रश्न-पत्रों के माध्यम से नियमित प्रगति जाँच

पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

FREE Class
10th Dec.
(4 p.m.)
लोक प्रशासन by
अशोक कु० दुबे

नोटः- SC/ST/OBC, विकलांगों व महिलाओं के शुल्क में विशेष रियायत

Foundation 2004
(Mains Cum Pre.)

102/B-14, Ist Floor, Com. Complex, Near HDFC ATM, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. 27651002, M. 9811291166

Separate Hostel Facility

विकास समाचार

आर्थिक वृद्धि दर छह प्रतिशत से अधिक होगी

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने विश्वास व्यक्त किया है कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर छह प्रतिशत से अधिक रहेगी। जबकि नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकानामिक्स रिसर्च (एनसीआईआर) का मानना है कि सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के 5.4 प्रतिशत के भीतर कायम रखने में सफल होगी।

सीआईआई के ताजा सर्वेक्षण में देश के ज्यादातर उद्योगपतियों का माना है कि चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर छह प्रतिशत से अधिक रहेगी। उद्योगपतियों का मानना है कि देश के उद्योग जगत में कारोबारी विश्वास बढ़ा है जिसके फलस्वरूप ज्यादातर औद्योगिक में इकाईयों में ताजा पूंजी निवेश उम्मीद बढ़ने के साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना बढ़ी है।

नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकानामिक्स रिसर्च (एनसीआईआर) का मानना है कि सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पादन के 5.4 प्रतिशत के भीतर कायम रखने में सफल होगी जबकि 2003–04 के बजट आकलन में यह घाटा 5.6 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गयी है। एनसीआईआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जहां तक जीडीपी के अनुपात का सवाल है। सरकारी खजाने में कुछ सुधार की उम्मीद है। एजेंसी को उम्मीद है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.4 प्रतिशत अर्थात 145466 करोड़ रुपये रहेगा। राजकोषीय घाटा 2003 से 2008 के बीच औसतन 11.32 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। जीडीपी की अधिक विकास दर का औसत राजकोषीय घाटा 2003–08 के दौरान कम होकर 5.3 फीसदी रहने की उम्मीद है। 2002–03 में राजकोषीय घाटा 5.9 फीसदी रहा था।

फेफेड़े के कैंसर से ग्रस्त मरीजों के लिए दवा ईजाद

भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने ऐसी औषधी का विकास किया है जो फेफड़े के डर से ग्रस्त मरीजों की पीड़ा को बहुत हद तक कम कर सकेगी। साथ ही उनकी आयु भी बढ़ा सकेगी।

स्नातकोत्तर औषधि तथा अनुसंधान (पीजीआई एम.आर) के पलमोनेरी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डी. बेहरा ने बताया कि औषधियों का एक मिश्रण तैयार किया गया है। यह मिश्रण 6 महीने तक इंजेक्शन के जरिए रोगी को लगाया जाएगा। हर माह एक इंजेक्शन लगाया जाएगा।

हर इंजेक्शन की कीमत 12 हजार रुपये होगी। यह औषधी रेडिएशन के साथ प्रदान की जाएंगी। औषधियों के इस किरण से कैंसर ग्रस्त मरीज की आयु दो से तीन साल बढ़ाई जा सकेगी।

यह मिश्रण डोसेटैक्सेल, सिफप्लास्टिन और जेन्सीटेविन में से किसी दो या तीनों को मिलाकर तैयार किया गया है। आयु बढ़ाने की इस औषधी की क्षमता हर मरीज के मामलें में अलग होगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि मरीज में कैंसर किस हद तक विकसित हो चुका है।

मरीज के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधी क्षमता का भी इसमें खास महत्व होगा। प्रयोगों के दौरान जिन मरीजों को यह औषधि दी गयी उनमें से 20 प्रतिशत की आयु निश्चित तौर पर बढ़ गयी लेकिन रोग की स्थिति में सुधार तो सभी में देखा गया।

फैंफडे के कैसर से गंभीर रूप से ग्रस्त मरीज कुछ कुछ ही सप्ताह जी पाते हैं। यह औषधी उनके लिए आशा का संदेश लेकर आई है।

नगालैंड को 1050 करोड़ रुपये का पैकेज

नगालैंड में शांति प्रक्रिया पर जोर देने के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अब राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए 1050 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिये प्रधानमंत्री के इस बीस सूत्री पैकेज में सर्वोच्च प्राथमिकता बेरोजगारी दूर करने को दी गई है। इसके तहत राज्य में कृषि, जड़ी बूटी, ग्रामोद्योग, बागवानी, पर्यटन, परिवहन तथा बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये ऐसी योजनाएं बनाई जायेंगी जिससे रोजगार के 25 हजार अवसर पैदा होगें।

पटरी पर दौड़ेगा पांच सितारा होटल

बार, जिम मसाज एवं ब्यूटी पार्लर, मोबाइल फोन, साइबर कैफे, स्टीमवाथ, छह चैनल म्यूजिक टी.वी., डीबीडी, एक पांच सितारा होटल की सुविधाएं अब ढक्कन ओडिसी लक्जरी ट्रेन में मुहैया है मानों पहियों पर कोई पांच सितारा होटल चल रही हो।

महाराष्ट्र .सरकार ने यह प्रतिष्ठित परियोजना विदेशी पर्यटकों के लिए तैयार की है। पेराम्बूर की एकीकृत कोच फैक्ट्री द्वारा तैयार 21 डिब्बों की ट्रेन के निर्माण में 32 करोड़ रुपये की लागत आई। इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम करेगा। अब ट्रेन पटरी पर सफर शुरू करने के लिए तैयार है और उसे राज्य सरकार से हरी झंडी की प्रतीक्षा है।

यह पर्यटन ट्रेन हफ्ते भर के सफर में तीन हजार किलोमीटर की दूरी तय करेगी और विदेशी पर्यटकों को महाराष्ट्र घुमाएगी।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें

द स्टोरी ऑफ कालिदास का यह दूसरा संस्करण विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इसमें कालिदास की जीवनी एवं रचनाओं को बहुत ही साधारण एवं सरल रुप में प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में महान संस्कृत कवि कालिदास की कुछ उत्कृष्ट रचनाओं को शामिल किया गया है।

मूल्य: 42.00 रु0 **पृष्ठ संख्या–53**

कुर्बानी अनजान शहीदों की देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर मर मिटने वाले ऐसे चंद भूमि-पुत्रों को इस पुस्तक में स्थान दिया गया है जो समय के साथ इतिहास के गर्त में दब गए हैं या जो अनाम, अज्ञात हैं। ऐसे ही अल्पज्ञात शूरवीरों की गाथाएं इस पुस्तक में है।

मूल्य: 30.00 रु0 **पृष्ठ संख्या–75**

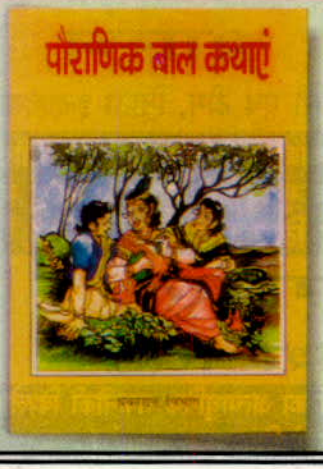

पौराणिक बाल कथाएं भाग–2 का यह दूसरा संस्करण बाल साहित्य एवं पौराणिक साहित्य की एक अद्वितीय कड़ी है। यह साहित्य हमारी गौरवशाली परंपराओं की अभिव्यक्ति है।पौराणिक कहानियों से हम अपने पूर्वजों के जीवन के बारे में जानकारी तो प्राप्त करते ही है, साथ ही साथ उस युग के जन जीवन और मानवीय व्यवहार से भी परिचित होते हैं। यह जानकारी कभी रोचक और मनोरंजक होती है तो कभी–कभी शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायी भी। अत: यह पुस्तक साहित्य में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।

मूल्य: 40.00 रु0 **पृष्ठ संख्या–54**

प्रवीन सैनी

विक्रय केन्द्र

प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्र

प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001; सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001; हाल न. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054; कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038; राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090; 8 एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700069; बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004; प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम-695001; 27/6 राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ-226001; प्रथम तल, गृहकल्प काम्प्लेक्स, नामपल्ली, हैदराबाद-500001; प्रथम तल, 'एफ' विंग, केन्द्रीय सदन, कोरामंडल, बंगलौर-560034, अम्बिका काम्प्लेक्स, प्रथम तल, यूको बैंक के ऊपर, पालदी, अहमदाबाद-380007; नोझम रोड, उजान बाजार, गुहाबटी-781001

पत्र सूचना कार्यालय के विक्रय केन्द्र : सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, 'ए' विंग, ए. बी. इंदौर (म.प्र.); 80 मालवीय नगर, भोपाल-462003; बी/7/बी, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001

उमाकांत मिश्रा, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली–110 020 में मुद्रित। दूरभाष : 26388830–33
संपादक : राजेन्द्र राय

रजि.सं.एल. 12036 यू (डीएन) 53/2003-05 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L.12036 (DN) 53/2003-05 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi.
पंजी सं. 951/5
R.N. 951/5

IAS/PCS PT/MAINS
PT-CUM-MAINS

सफलता की नई सीढ़ी,
अन्वेषण और विश्लेषण का नया दृष्टिकोण,
व्यक्तित्व विकास का अनूठा माध्यम,

"नया उपगमन
विशिष्ट रणनीति,
नई विधा,
तीक्ष्ण दृष्टि"

DISCOVERY
...Discover your mettle

सामान्य अध्ययन
सी.बी.पी. श्रीवास्तव,
निलेश सिंह, अख्तर मलिक एव अन्य

- वर्ष 2003 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से निम्नांकित प्रश्न सी.बी.पी. श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से कक्षा में ही चर्चा में लाए गए थे।

प्रथम पत्र - प्र. सं. 4. क,ग, 5. i,V 6. क, ख 7. क, ख 8. क, ख, ग, 9. ख, ग, घ 10. क 11. क, ग 13. क, ख, च

द्वितीय पत्र - प्र. स. 1. क, ख, ग, 2. क, ख 3. क, ख, ग 4. क, ख 5. क, ख, ग, 6. क, ख, ग, च, य, ट, ठ, ढ़, ण 7. ग 10. क, ग, 12. ग, ड. ii,iii

समाज शास्त्र
सी.बी.पी. श्रीवास्तव,

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

- सभी विषयों में तथ्यों एवं संकल्पनाओं के मध्य सामंजस्य।
- सामान्य अध्ययन में विशेष रूप से अद्यतन घटनाक्रमों का "फाइल मेन्टिनेन्स सिस्टम" के तहत क्रमबद्ध अध्ययन।
- अप्रैल द्वितीय सप्ताह तक सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन।
- परीक्षोन्मुखी वातावरण में आवर्ती जाँच परीक्षा।
- विश्लेषणात्मक लेखन हेतु विशेष मार्गदर्शन
- सुग्राह्य अध्ययन सामग्री

"सुधार-आधारित विकास कार्यक्रम" के लिए

नामांकन प्रारंभ

लोक प्रशासन
दिवाकर गुप्ता

प्रारंभिक परीक्षा के लिए एकमात्र विकल्प,
मुख्य परीक्षा के लिए विशिष्ट लेखन रणनीति

इतिहास
अख्तर मलिक एवं अन्य विशेषज्ञ

प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष रणनीति एवं उपगमन
मुख्य परीक्षा के विभिन्न उपखण्डों का विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन
इतिहास लेखन पर व्याप्त अर्न्तद्वन्द्व दूर करने के लिए इतिहासज्ञों का मार्गदर्शन

विश्व इतिहास पर विशेष परिचर्चा-दिसम्बर द्वितीय सप्ताह।

दर्शन शास्त्र
अविनाश तिवारी एवं टीम, निष्ठा इलाहाबाद

विषय के विभिन्न उपखंडों का अत्याधुनिक तकनीकी विश्लेषण प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा पर विशिष्ट बल
प्रारंभिक परीक्षा के लिए एकमात्र विकल्प,

भूगोल
निलेश सिंह

विषय के विभिन्न उपखंडों का अत्याधुनिक तकनीकी विश्लेषण
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए पृथक कक्षाएं ।

तकनीकी कारण विशेषज्ञों के नाम का प्रकाशन संभव नहीं है।

ALSO AVAILABLE
- CORRESPONDENCE COURSES, HOSTEL FACILITIES

DISCOVERY
...Discover your mettle

(THE IAS ACADEMY BY C.B.P. SRIVASTAVA)
B-14 (Basement), Commercial Complex, Beside HDFC Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph. : 30906050, 27655891, E-mail : discovery_ias@rediffmail.com